खण्ड-248, अंक-9
सोमवार, 24 चैत्र, शक संवत् 1886
(13 अप्रैल, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 248 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७१३–७१७
प्रश्नोत्तर	७१७–७५५
राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत निर्दिष्ट विषय के सम्बन्ध में जानकारी (जारी)	७५६
महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली में प्रख्यापित शुद्धिपत्र (मेज पर रखा गया) ..	७५६
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र, १९६४–६५ (मेज पर रखा गया)	७५६
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	७५६–७५७
राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये भूमि तथा भवन-कर के सम्बन्ध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	७५७
विधायकों के वेतन और भत्ते की वृद्धि के विरोध में श्री राजनारायण द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७५७–७५९
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	७५९–७६०
राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत निर्दिष्ट विषय के सम्बन्ध में जानकारी	७६१–६६२
शारदा कैनाल के लखनऊ व बाराबंकी डिवीजनों में पानी के अभाव के सम्बन्ध में वक्तव्य	७६२–७६३
कृषि उत्पादन मंडी विधेयक पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	७६३
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित)	७६४–८२०
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ (पुरःस्थापित किया गया)	८२०
सरकार द्वारा जनवरी, १९६४ में खरीदे गये १० रेलवे वैगन चावल खराब निकलने के सम्बन्ध में नियम ५० (१) के अन्तर्गत बिवाद ..	८२०–८२६
नत्थियां	८२७–८४९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १३ अप्रैल, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
(उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा संयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
ठम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह,
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बुधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री

बंधीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल,श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराज सिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री

महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मावोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशं दादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री

राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमसाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विनयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियावुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीवत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १३ अप्रैल, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर मिलों से हड़ताल की नोटिस

**१—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित जे० के० जूट मिल तथा महेश्वरी देवी जूट मिल में वेज बोर्ड के फैसलों को लागू करने के लिये त्रिदलीय सम्मेलन ने यह निश्चय किया था कि वे फैसले २६ फरवरी, १९६४ से लागू होंगे परन्तु वे फैसले आज तक लागू नहीं हुये फलस्वरूप उन मिलों के ६ हजार मजदूरों की यूनियनों ने हड़ताल करने की नोटिस दे दी है? यदि हां, तो सरकार ने उन फैसलों को लागू कराने और हड़ताल की स्थिति न उत्पन्न होने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाया है?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

त्रिदलीय सम्मेलन में यह निश्चय हुआ था कि वेतन मंडल द्वारा सिफारिश की गई दरों के अनुसार फरवरी के माह के प्रथम पाक्षिक वेतन का भुगतान २५ फरवरी, १९६४ तक हो जायेगा और मंडल की अन्य सिफारिशें भी ३० अप्रैल, १९६४ तक लागू कर दी जायेंगी। इन दोनों प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों तथा उनके कर्मचारियों के बीच नये वेतन दरों को लागू करने के विषय में कुछ मतभेद होने के कारण नई दर अभी लागू नहीं की जा सकी, परन्तु श्रम विभाग के अधिकारियों के हस्तक्षेप के फलस्वरूप यह तय हुआ कि इस विषय में दोनों ही प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों व कर्मचारियों में आपसी बातचीत चलती रहे तथा इस बीच में वेतन पुराने दरों के आधार पर मिलते रहें। इस सम्बन्ध में महेश्वरी देवी जूट मिल में मजदूर यूनियनों द्वारा हड़ताल की नोटिस भी दी गयी थी परन्तु श्रम विभाग के प्रयास स्वरूप इस मिल के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं गए।

**२—श्री सन्तसिंह यूसुफ तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की विक्टोरिया मिल के क्लर्कों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की नोटिस दे दी है ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं और सरकार ने उन्हें पूरा करवाने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री बनारसीदास—

जी हां ।

कानपुर की विक्टोरिया मिल के क्लर्कों की मांगें संलग्न सूची में दी हुई हैं।

श्रम विभाग के प्रयत्नों के फलस्वरूप ४ अप्रैल, १९६४ को दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया है और क्लर्क्स यूनियन ने हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया है ।

(देखिये बत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२७ पर)

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वेजबोर्ड के डेसीजन की एम्पलायर्स की अपनी ही इन्टरप्रिटेशन है । ८ में से उनको ३.४२ तो उनको मिल चुका है । और ४.६० का झगड़ा अभी पड़ा हुआ है । तो क्या माननीय श्रम मंत्री इसमें इन्टरवीन करके फैसला कराने की कृपा करेंगे और क्या वे पर्सनली त्रिदलीय सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करवाने में दिलचस्पी लेकर इसको करवायेंगे ?

श्री बनारसीदास—

त्रिदलीय सम्मेलन ने निश्चय किया है कि आपस में मिल कर बातचीत कर लें । यह सही है कि उनकी इन्टरप्रिटेशन कुछ और है । मिल मालिकों का कहना है कि जुलाई तक का एरियर्स है जब कि एम्प्लाइज का कहना है कि उनको ज्यादा मिलना चाहिए । तो इस सम्बन्ध में कोशिश है कि दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद सरकार निर्णय करेगी और जैसे ही श्रम विभाग अपनी बात करके रिपोर्ट देगा गवर्नमेंट अपना स्वयं निर्णय लेगी और एन्फोर्स करायेगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय श्रम मन्त्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वेतन मंडल की जो सिफारिशें हैं अभी तक वे लागू नहीं हुई हैं माननीय मंत्री इस बात का आश्वासन देंगे कि जल्द से जल्द वे उनको बुलावें और जो सिफारिशें हैं उनको लागू करवाने को कोशिश करें ?

श्री बनारसीदास—

श्रम विभाग और सरकार दोनों प्रयत्नशील हैं । मिल मालिकों ने हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी है और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है । इसलिए गवर्नमेंट की मजबूरी है । इस सम्बन्ध में जहां तक अल्पवेतन कर्मचारियों का सम्बन्ध है जिनका वेतन ८१ रुपये तक है उसमें तो कोई मतभेद नहीं है । ऊपर वेतन पाने वालों के सम्बन्ध में मतभेद है । हम प्रयत्न कर रहे हैं और अवश्य ही इसमें हस्तक्षेप करके शीघ्र ही कार्यान्वित करायेंगे ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इसके अतिरिक्त भी, हिन्दुस्तान टैनरी और जूट फर्म जो कि सिविल लाइन्स में है उसमें भी लोगों ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी है जिससे न केवल संकटकाल में प्रोडक्शन रुकेगा बल्कि हजारों व्यक्ति बेकार हो जायेंगे ?

श्री बनारसीदास—

यह तो जूट मिल बोर्ड से सम्बन्धित सवाल है । यह प्रश्न इससे सम्बन्ध नहीं रखता है । जो तालाबन्दी की बात बतलाई गयी है वह जरूर चिन्ता का विषय है । इस सम्बन्ध में तुरन्त विचार किया जायगा कि उन मिलों को चलवाने के लिये क्या कारगर प्रयत्न किया जा सकता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मंत्री महोदय ने कहा कि सहजनवां जूट मिल ने पूरे तौर से वेज बोर्ड के फैसले को लागू कर दिया है तो क्या सरकार को मालूम है कि जिस वेज बोर्ड के फैसले को लागू किया गया है उसके मुताबिक मजदूरोंको उससे भी कम वेतन मिल रहा है जो कि पहले वे पा रहे थे, इसके कारण उनमें बड़ा असन्तोष है ? ८ तारीख को उन्होंने हड़ताल का नोटिस भी दिया है। तो क्या माननीय मन्त्री इस बात का प्रयत्न करेंगे कि उनके वेतन में कमी न हो और इसके कारणों की जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

सहजनवां मिल को नोटिस दिया गया है इसकी सूचना सरकार को नहीं है। लेकिन जहां तक मजदूरों की शिकायत का प्रश्न है कि वेज बोर्ड की सिफारिशों के लागू होने से पहले तथा बाद में जो उनके वेतन में अन्तर हो गया है जिससे उनके वेतन में कमी हो गयी है, सरकार इस पर तैयार नहीं हो सकती कि मजदूरों के वेतन में किसी प्रकार से कमी कर दी जाय और अगर ऐसी शिकायत सहजनवां मिल के मजदूरों की तरफ से आयगी तो हम अवश्य इस बात का प्रयास करेंगे कि मजदूरों के वेतन में कोई कमी न हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

सहजनवां जूट मिल के मजदूरों का वेतन वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार लागू नहीं किया गया है बल्कि फर्जी फैसले के मुताबिक वह वेतन दिया जा रहा है जिससे वह वेतन-क्रम कम हो गया है तो क्या सरकार असली वेतन-क्रम को लागू करने के लिये तुरन्त कदम उठायेगी ?

श्री बनारसीदास—

वेज बोर्ड का मंशा है कि मजदूरों के वेतन में वृद्धि की जाय, न कि कमी की जाय। अगर इस प्रकार की शिकायतें हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे ताकि मिल के मजदूरों का वेतन कम न हो और जैसा कि त्रिदलीय सम्मेलन की रिपोर्ट है दोनों पक्षों में कोई मतभेद होगा तो उसके सम्बन्ध में सरकार निर्णय देगी जो कि दोनों के लिये मान्य होगा और उसे इन्फोर्स करने का हम लोग प्रयास करेंगे।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)—

सहजनवां और माहेश्वरी देवी जूट मिल के मजदूर यह चाहते हैं कि उनको वह वेतन मिले जो कलकत्ता में मिल रहा है तो क्या सरकार इस बात के लिये प्रयास करेगी ?

श्री बनारसीदास—

मैंने निवेदन किया कि जिस वक्त वेज बोर्ड बैठा था उसने कलकत्ता या उत्तर प्रदेश में जितनी जूट मिलें हैं उनकी वेजेज पर विचार किया और उसके बाद फैसला किया। अब सवाल इंटरप्रिटेशन का है तो यह तय हुआ था जहां इंटप्रिटेशन में मतभेद होगा वहां सरकार का फैसला मानना होगा। तो जहां मतभेद होगा वहां सरकार अपना इंटरप्रिटेशन देगी और उसको कार्यान्वित करेगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मंत्री जी की इस बात को स्वीकार करते हुए कि मेरे प्रश्न का उनके उत्तर से कोई डायरेक्ट सम्बन्ध नहीं था फिर भी यह देखते हुए कि कानपुर में इस तरह की घटना एक-आध बार पहले भी हो चुकी है जिससे वहां श्रमिकों में शान्ति भंग होने की आशंका हो जाती है, सरकार क्या तुरन्त एक आयोग की स्थापना करेगी जो इन मामलों पर गौर करे और शान्ति स्थापित करने का प्रयास करे ?

श्री बनारसीदास—

आयोग की स्थापना का प्रश्न तो इस समय उठता नहीं है क्योंकि आयोग केन्द्रीय सरकार ही स्थापित किया करती है। केन्द्रीय सरकार ही विभिन्न इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में अपना निर्णय देती है। क्योंकि इंडस्ट्रीज का केवल एक ही प्रान्त से सम्बन्ध नहीं होता है, तमाम देश से होता है, इसलिये इस प्रकार के आयोगों का केन्द्रीय सरकार द्वारा ही कायम होना मुनासिब होता है।

श्री संतसिंह यूसुफ—

क्लर्कों की दो मांगें थीं। एक तो विक्टोरिया मिल के संबंध में थी और दूसरी जो सम्पूर्णानन्द एवार्ड से पैदा होती है कि इतवार के दिन क्लर्कों को काम करना पड़ता है; लेकिन एवार्ड के मुताबिक उनको न तो पैसा मिलता है और न छुट्टी मिलती है जिसके कारण असंतोष भी है। तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि क्या वे इसको लागू करवाने की कोशिश करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

अब तो दोनों में समझौता हो गया है।

श्री संतसिंह यूसुफ—

समझौता नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो यह कहा नहीं। जवाब यह मिला कि समझौता हो गया और दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। खैर, फिर पूछ लीजियेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

आप कहते हैं कि समझौता हो गया। क्लर्कों की ६ मांगें थीं। तो उन ६ मांगों में से कौन-कौन मांगें स्वीकार हुईं और समझौते में कौन-कौन बातें तय हुईं?

श्री बनारसीदास—

एक तो जिन पांच क्लर्कों को सस्पेंड किया गया था उनका सस्पेंशन वापस ले लिया गया है। दूसरे यह कि रेशनलाइजेशन के मातहत किसी क्लर्क को रिट्रेन्च नहीं किया जायगा। तीसरी यह थी कि एम्पलायर्स अपनी रिआर्गेनाइजेशन की पूरी योजना यूनियन को दे दें और जबतक यूनियन और एम्पलायर्स के बीच में पूरी तरह से योजना के बारे में विचार-विमर्श न हो जाय आगे से उसको कार्यान्वित न किया जाय। इस प्रकार से उनकी मांगें मान ली गयी हैं और उसके मुताबिक मिल मालिकों ने यह वायदा किया है कि वे अपनी पूरी योजना दे देंगे और एक बार उन्होंने दी भी थी लेकिन उस योजना को मुकम्मिल नहीं पाया गया।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

नगरपालिका, सहारनपुर की उप-समितियों का चुनाव

*१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कानूनी तौर पर नगरपालिकाओं में बनी सब-कमेटियों का कार्य-काल ३१ जनवरी को प्रतिवर्ष समाप्त हो जाता है, तो सहारनपुर नगरपालिका की सब कमेटियां अब भी किस नियम के अधीन बदस्तूर काम कर रही हैं?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

नियमानुसार नगरपालिका सहारनपुर की सब-कमेटियों का चुनाव माह जनवरी, १९६४ में होना चाहिये था, परन्तु चूंकि सन् १९६३ में इन कमेटियों का निर्माण माह अक्तूबर में हुआ।

या अतः नगरपालिका ने इस विषय में एक स्थानीय एडवोकेट से कानूनी परामर्श प्राप्त किया जिसके अनुसार अक्तूबर, १९६३ में बनी हुई कमेटियां अक्तूबर, १९६४ तक काम कर सकती हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक एडवोकेट की राय से सारे नियमों का उल्लंघन हुआ, तो क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं, सरकार संतुष्ट नहीं हैं। यह तो उनकी राय है जो म्युनिसिपैलिटी ने किया और जिस आधार पर मैंने बताया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन एडवोकेट हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वकील का नाम जानने से कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात पूछिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले ४० साल में कभी ऐसा हुआ है कि कमेटी वक्त पर न बनी हो और इस बार न बनने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि अक्तूबर, १९६३ में कमेटियां बनीं, उस समय एडवोकेट की राय ली गई; इसके पहले या बाद में नगरपालिका ने इसको वैधानिक शक्ल देने के लिये कोई प्रस्ताव पास किया या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह जो सब-कमेटियां बनीं बोर्ड के प्रस्ताव से ही बनीं। अब जब पूछा गया तो बोर्ड ने सब-कमेटियों के लिये नामजदगी मंगा ली है और १५ अप्रैल को उनके चुनाव की बात है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इनका फरमाना यह है कि यह कमेटियां नियमानुसार नहीं बनीं हैं, जो उनको एक्सटेंशन दिया गया वह अनियमित है; तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कमेटियां जो नियमों के विपरीत काम कर रही थीं, उनके कार्य को क्या मंत्री जी अवैध घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वहां के बाईलाज में यह है कि जनवरी में कमेटियां बन जानी चाहिये, उन्होंने नहीं बनाईं, बल्कि एक सब-कमेटी बना दी मेम्बरों को चुनने के लिये। उनका कहना यह है कि सब-कमेटी ने देर कर दी। यह सब-कमेटी अक्तूबर में बनी इसलिये जनवरी तक कार्य कर सकती थी। अब तक दूसरा चुनाव न हो जाय तब तक काम करेगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, यह कमेटी ३१ जनवरी तक खत्म हो जानी चाहिये थी लेकिन यह अनियमित रूप से काम कर रही है जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया और लाखों रुपये का खर्चा यह १५ अप्रैल तक करने जा रही है, तो क्या मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुये इस खर्च को रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह कमेटियां गैर कानूनी हैं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक साल का पीरियड है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५९ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

कृषि विभाग में सर्विस मैनुअल न होना

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कोई ग्रेडेशन लिस्ट है ? यदि है, तो वह किस आधार पर बनायी गयी है ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं है ?

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

जी हां । कृषि विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट है जो कि स्थाई कर्मचारियों की उनके स्थाईकरण की तिथि एवं अस्थाई कर्मचारियों की उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर बनाई गई है । राजपत्रित अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट अभी तक नहीं बनी है । इस समय बहुत से पदों में स्थायीकरण का प्रश्न विचाराधीन है । स्थायीकरण हो जाने के पश्चात् स्थायी अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट बनाने का विचार है ।

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग का कोई सर्विस मैनुअल है जिससे कि कृषि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मालूम हो सके कि उनकी क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या काम हैं एवं उनके क्या-क्या अधिकार व हकूक हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं ।

*३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कृषि विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनको सेवा करते १५ वर्ष या ऊपर हो गये हैं लेकिन वे अभी तक स्थायी नहीं हुये हैं ? ऐसे कितने कर्मचारी हैं एवं उनके स्थायी न होने का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां । अधीनस्थ कृषि सेवा के ऐसे कर्मचारियों की संख्या १४१ है । उनके अस्थाई रहने के तीन कारण हैं । कुछ लोग लोक सेवा आयोग द्वारा अस्वीकृत हो गए हैं और कुछ का मामला लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है । शेष कर्मचारी स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण अस्थाई हैं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५ मार्च, १९६४ तक कितने उनके विभाग में ऐसे कर्मचारी थे जिनको १५ वर्ष या इससे अधिक सेवा करते हो गये थे और वह परमानेंट नहीं हुए ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ऐसे दो अधिकारी हैं जिनको १५ साल या उससे कुछ दिन अधिक हो गये हैं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

कर्मचारियों का मैं पूछ रहा हूं ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उत्तर में बता दिया है कि १४१ हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

५ मार्च तक ? मान्यवर, ५ मार्च तक की स्थिति मैंने पूछी है क्योंकि ६ मार्च से माननीय मंत्री जी ने ऐसे कर्मचारियों को बुलाया है पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने, उनको कन्फर्म किया जा रहा है, लिहाजा ५ मार्च तक कितनी संख्या थी ऐसे कर्मचारियों की जिनको १५ वर्ष या उससे अधिक हो गये थे और उनको स्थायी नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

सवालों का मंशा होता है कि अगर कहीं गलती हो गयी हो तो ठीक कर दी जाय। अब कुछ और पूछिये।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब उनका विभाग इतना महत्वपूर्ण है तो आज तक उन्होंने सर्विस मैनुअल इस विभाग के कर्मचारियों के लिये क्यों नहीं बनायी ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

सर्विस मैनुअल बनाने की कार्यवाही ७–८ साल से चल रही है। कृषि विभाग जैसे विभाग की सर्विस मैनुअल बनाना आसान नहीं है। जो एक्जिक्युटिव मुहकमें हैं, जैसे पुलिस विभाग और रेवेन्यू विभाग जो पुराने विभाग हैं और जिनका काम निश्चित है, उनकी मैनुअल पहले से मौजूद है, लेकिन कृषि विभाग जो धीरे-धीरे डेवलप कर रहा है, उसके काम फिजिकल और मेकेनिकल तरीके से ले जांय जो दस साल तक काम करना है यह मुश्किल है। इसलिये मुश्किल आयी। लेकिन उसकी कोशिश कर रहे हैं और एक चैप्टर उसका तैयार हो चुका है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब १५ वर्ष या इससे अधिक सेवा करते हुए उनके कर्मचारियों को हो गये और वह मुस्तकिल नहीं हुए, १४१ अब भी बाकी हैं जो अस्थायी ही हैं, तो क्या उनके विभाग के कर्मचारियों में बहुत बड़ी हद तक असंतोष है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह उनके दिल की बात है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सही है कि जो अस्थायी राजपत्रित कर्मचारी हैं उनमें स्वायल कंजरवेशन आफिसर्स और जिला कृषि अधिकारी, इन दोनों लिस्टों में से कुछ ऐसे लोगों को तरक्की दे दी गयी है जो आज भी कन्फर्म नहीं हैं और ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया है जो उनसे सीनियर थे ?

श्री चरणसिंह—

मालूम होता है कि माननीय मित्र के दिमाग में कोई खास व्यक्ति का प्रश्न है और मेरे दिमाग में कोई खास व्यक्ति का प्रश्न इस वक्त नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कोई जानबूझ कर अन्याय डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया गया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपमन्त्री जी ने कहा कि बहुत से लोगों को सेवा आयोग के पास नहीं भेजा गया और जिनको सेवा आयोग ने निकाल दिया उनको स्थायी नहीं किया गया। बहुत से जिला-कृषि अधिकारियों को सेवा आयोग ने सन् १९५७ में बुलाया था; मैं जानना चाहता हूं कि उनके बारे में क्या हुआ। मैं बनारस जिले के एक कृषि अधिकारी, श्री सुरेन्द्रनाथसिंह के बारे में कहता हूं कि उनका नाम लिस्ट में था फिर उनको स्थायी क्यों नहीं किया गया जबकि वह १५, १६ साल से काम कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—

पब्लिक सर्विस कमीशन से जिस आदमी का नाम एप्रूव हो गया उसी को हमने मंजूर कर लिया और अगर किसी का एप्रूवल नहीं आया तो चाहे २५ साल से काम करता हो उसको हम कन्फर्म नहीं करेंगे ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

ए० जी० ओ०, एग्रीकल्चर जो करीब १०, १५ साल से काम कर रहे हैं उनकी पोस्ट को अभी तक क्यों परमानेन्ट नहीं किया गया ?

श्री चरणसिंह—

१५ साल से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनको बमुश्किल तमाम ६, ७ साल हुये हैं ।

श्री रामायणराय—

कृषि विभाग का मैनुअल जब पिछले ७, ८ साल से बन रहा है तो अब तक कृषि विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके प्रमोशन्स और उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य किस विभाग के नियमों के अन्तर्गत होते हैं ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जो सेवा के नियम हैं वह आम नियम एप्वाइंटमेंट डिपार्टमेंट में तय किये जाते हैं । वे नियम सब डिपार्टमेंट्स के राज्य कर्मचारियों के कन्फर्मेशन, एप्वाइंटमेंट, प्रमोशन आदि के लिये लागू होते हैं और किसी डिपार्टमेंट में कोई विशेष परिस्थिति हो तो वहां एप्वाइंटमेंट डिपार्टमेंट से मशविरा करके नियम बनाये जाते हैं । मैं आपकी इजाजत से माननीय मित्रों को बतला देना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत-सी स्कीम टेम्परेरी हैं । वह आई० सी० ए० आर० द्वारा दिये गये रुपये पर चल रही हैं । जबतक आई० सी० ए० आर० की तरफ से न हो जाय कि उन स्कीमों को परमानेन्ट कर दिया जाया या वह कंसेंट न दें कि हम बराबर उनके लिये रुपया देते रहेंगे तब तक उन स्कीमों पर काम करने वाले राज्य कर्मचारियों को परमानेन्ट करने में हमारे लिये मुश्किल आती है । यह बाधा दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

कितने नान-गजटेड आफिसर्स ऐसे हैं जिनको तरक्की दी गई है और उनको पाकर वे आज ऊंची हैसियत से काम कर रहे हैं । उनको ऐसी सेवा करते हुये काफी अर्सा हो गया लेकिन उनको पहली जगह पर भी कन्फर्म नहीं किया गया है ? ऐसा क्यों है ?

श्री चरणसिंह—

बहुत अस्पष्ट है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

वाराणसी में मेहतरों की आवास व्यवस्था

*४—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार की ओर से वाराणसी में निवास की व्यवस्था कुछ मेहतरों के लिये की गयी है ? यदि हां, तो कितन निवास स्थानों की और किन-किन मुहल्लों में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं ।

(२) किन्तु नगर महापालिका, वाराणसी ने सरकार से प्राप्त ऋण व अनुदान से मेहतरों के लिये आवास गृह निर्माण किये हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है :—

मुहल्ले का नाम	आवास गृहों की संख्या
१	२
१—मलदहिया	६७
२—जलकल के पीछे (भेलूपुर)	१२
३—बाग कन्हैयालाल	५०
४—दुल्ली गढ़ी	६
५—राजघाट	१८
६—नक्खी घाट (जी० टी० रोड)	११
७—मकबूल आलम रोड	८
८—छोटी मलदहिया	१२
९—सेनपुरा	१०
योग ..	२२४

*५—श्री रघुनाथसिंह—

वाराणसी नगर महापालिका के मेहतरों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत उपरोक्त सहायता प्राप्त मकानों में रह रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस तथ्य पर प्रकाश डाल सकने की स्थिति में हैं कि मेहतरों के आवासगृहों की व्यवस्था में उत्तरी वाराणसी क्षेत्र की अपेक्षा दक्षिणी वाराणसी क्षेत्र उपेक्षित है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह आवासगृह किस स्थान पर हैं यह कहना कठिन है, लेकिन जिस स्थान पर ये मकान बने हैं वहां मेहतर ही रहते हैं और जितने मकान बनाये गये हैं वह सब मेहतरों के लिये ही रखे गये हैं ।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि यह जो ९ मुहल्लों में आवास गृह की व्यवस्था हुई है उसमें भी जल-कल की सुविधा भेलूपुरा को छोड़कर कदाचित् उत्तरी बनारस क्षेत्र में है जब कि ऋण और अनुदान नगरपालिका को दिया गया है तो नगरपालिका को हिदायत देंगे कि दक्षिणी बनारस की उपेक्षा न हो और वहां पर भी इस तरह के आवास गृह बनें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह जो अनुदान और ऋण दिया गया है इसमें कुछ तो बन गये हैं और कुछ बन रहे हैं लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि जहां जहां मजदूर रहते होंगे और जहां जमीन उनको मिलेगी वहां बनाये जायेंगे, इस तरह की हिदायत नगरपालिका को कर दी जायगी।

इलाहाबाद में खाद्यान्न की दूकानें

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में शहर तथा जिले में कितनी सरकारी गल्ले की दूकानें किन-किन स्थानों पर अब तक खुल चुकी हैं ?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

अभीष्ट सूचना एकत्र की जा रही है।

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि जो दूकानें खोली गई हैं उन दूकानों पर केवल आटा है जिसकी शिकायतें इलाहाबाद के नागरिकों ने खराब होने की की हैं और कोई गल्ला नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। शहरी क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की सभी दूकानों पर आटा, गेहूं तथा चीनी उपलब्ध है। देहाती क्षेत्र में २६८ दूकानें ऐसी हैं जो केवल आटा और चीनी का वितरण कर रही हैं।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इन दूकानों पर गल्ला कार्ड द्वारा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कुल कितने यूनिट के कार्ड बनाये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शहरी क्षेत्र में गल्ले का वितरण कार्ड द्वारा ही सीमित है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान तथा सरपंच की परचियों पर गल्ला वितरित होता है। नागरिक क्षेत्र में अब तक ५,०३,२९३ १/२ यूनिट के कार्ड बन चुके हैं।

बीज के लिये प्राप्त गल्ला

*९—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६ में प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों द्वारा बीज गोदाम से बीज के लिये लिए गये गल्ले की माफी की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उसकी वसूली अब क्यों की जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री दौलतलाल—

क्या कृषि मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ५६ में नहीं बल्कि फरवरी, १९५७ में ओला पड़ने के कारण किसानों की रबी की फसल की काफी क्षति हुई जिसके कारण माल विभाग की तरफ से १२ से १६ आने तक मालगुजारी में छूट हुई, तो इसको देखते हुए जिन किसानों ने रबी का बीज गोदामों से लिया है उनको सुविधा देने का आश्वासन दिया जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी को यह पता है कि जो माफी की गई है वसूली की, इसको वसूल करने के लिये कोई कुर्क अमीन ने जगह-जगह वसूल किया है और उसकी रसीद दी है जिसकी दरख्वास्त कलेक्टर, आजमगढ़ के यहां पड़ी है, उसमें क्या हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कलेक्टर, आजमगढ़ के यहां दरख्वास्त पड़ी है इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

जिला कारागार टिहरी की व्यवस्था

*१०—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मन्त्री को मालूम है कि जिला टेहरी-गढ़वाल की डिस्ट्रिक्ट जेल, टिहरी में लम्बी अवधि से कम्पाउन्डर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों वहां अब तक कम्पाउन्डर नहीं भेजा गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। योग्य (ट्रेन्ड) कम्पाउन्डर उपलब्ध न होने के कारण कम्पाउन्डर जिला कारागार, टिहरी को न भेजा जा सका परन्तु पार्ट टाइम कम्पाउन्डर रखने के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

*११—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मन्त्री को यह भी मालूम है कि उक्त जेल के अन्दर काफी ऐसी जमीन है जिस पर पहिले खेती होती थी और अब वह वीरान पड़ी है ? इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

टिहरी जेल में ०.६६ एकड़ भूमि है। पानी की कमी के कारण सिर्फ तिहाई भाग पर खेती हो पाती है।

*१२—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि उक्त जेल की दशा सुधारने केहेतु जेलर ने समय-समय पर कई मांगें और योजनायें शासन के समक्ष रखी हैं पर उन पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ ? वे मांगें या सुझाव क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अवीक्षक, जिला कारागार टिहरी ने उस जेल में पानी की कठिनाई के सम्बन्ध में अवगत कराया था। इस कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गाजीपुर जिले में चिकित्सालयों का निरीक्षण

*१३—श्री रघुवीर (जिला गोरखपुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर के जितने पशु अस्पताल हैं, इन अस्पतालों का आडिट १९६१-६२, १९६२-६३ व १९६३-६४ ई० में हुआ या नहीं ? अगर हुआ है, तो कितनी दवायें, सामग्रियां तथा रुपयों का गबन पाया गया है और उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और कासिमाबाद मवेशी अस्पताल से ता० ७ दिसम्बर, १९६३ ई० को ४ बोरा गल्ला डाक्टर, कम्पाउन्डर द्वारा चोरी से बिकने के लिये जा रहा था उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मई, १९६२ में विभागीय आडिटरों द्वारा जिला पशुधन कार्यालय, गाजीपुर का आडिट किया गया था जिसमें वित्त वर्ष १९६१-६२ के व्यय आंकड़ों का निरीक्षण किया गया। कार्यालय के आडिट के समय जिले के अधिकांश पशु चिकित्सालयों के स्टाक बुकों का भी निरीक्षण किया गया था। जिसमें पशुधन अधिकारी तथा सम्बन्धित पशु चिकित्सकों द्वारा क्रय किये गये सभी सामान एवं दवाइयों का विवरण उपलब्ध रहता है। आडिट में पाई गई त्रुटियों एवं अनियमितताओं का विवरण आडिट रिपोर्ट में किया गया था किन्तु कोई गबन नहीं पाया गया जिस पर सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती।

अक्तूबर, सन् १९६३ में एकाउन्टेन्ट जनरल, इलाहाबाद की आडिट पार्टी द्वारा उपर्युक्त कार्यालय का आडिट किया गया जिसमें नवम्बर, १९६१ से अक्तूबर, १९६३ तक के हिसाब की जांच की गई। उपर्युक्त आडिटरों ने पशु चिकित्सालय, गाजीपुर, मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद, दिलदारनगर, सादात एवं रेवतीपुर की दवाइयों एवं अन्य सामानों के स्टाक बुकों का निरीक्षण किया किन्तु आडिट में कोई गबन नहीं पाया गया।

जहां तक कासिमाबाद पशु चिकित्सालय से दिनांक ७ दिसम्बर, १९६३ की रात में चार बोरी गल्ले की चोरी का प्रश्न है, इसका उत्तर श्री रघुवीरराम द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ४५ के अन्तर्गत १० फरवरी, १९६४ को विधान सभा में दिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में उनके, सर्वश्री छांगुरराम, झिलमिट राम व सुरजनराम द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत उत्तर आज दिया जा रहा है।

श्री रघुवीर--

क्या कृषि मन्त्री १९६१-६२ की आडिट रिपोर्ट में जो खास-खास अनियमितायें हैं उनको सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

आडिट रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रघुवीर--

क्या कृषि मन्त्री बतलायेंगे कि पैरा ३ में जो न्यायिक जांच हुई है मवेशी डाक्टर के खिलाफ और खाने के खिलाफ तो उसमें उन दो व्यक्तियों के भी बयान लिये गये हैं कि जिन्होंने थाने के सामने गल्ला पकड़ा था?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया था आगे एक प्रश्न इस सम्बन्ध में और है १५ और १६, उसमें इसका उत्तर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

आप उसका उत्तर भी पढ़ दीजिये और फिर उसे भी साथ में ले लिया जायगा।

(तत्पश्चात् 'घ' के प्रश्न संख्या १५ और १६ का उत्तर† भी पढ़ा गया।)

श्री रघुवीर--

जिस ठेले पर चार बोरी मवेशी स्टोर का गल्ला लाद कर कासिमाबाद मन्डी में बेचने के लिये ले जाया जा रहा था उसे अस्पताल के ३-४ कर्मचारियों ने थाने के सामने पकड़ा और रिपोर्ट लिखाई, तो उन व्यक्तियों के बयान भी इस जांच में लिये गये हैं? यदि हां, तो उनके बयान क्या हैं?

---

†प्रश्न संख्या १५ और १६ का उत्तर यथा स्थान देखिए।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जब मैजिस्टीरियल इंक्वायरी वहां पहुंची तो १५-१६ व्यक्तियों के बयान हुए और उनमें वे व्यक्ति भी थे जिन्होंने गल्ला पकड़वाया था। लेकिन उन बयानों से यह कहीं साबित नहीं हुआ कि वह बोरियां गोदाम से चोरी गयी थीं और बाजार में बेचने ले जायी जा रही थीं।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बतलायेगी कि हर अस्पताल में कितना गल्ला दिया जाता है और क्या वह मवेशियों के लिये होता है?

श्री चरणसिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

वन खंड दक्षिणी खीरी में पेड़ों के काटने का मामला

*१४—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) (अनुपस्थित) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या वन मन्त्री को कोई ऐसी सूचना है कि रेहुआ वनबीट अन्देशनगर, गोला रेंज, वनखण्ड दक्षिण खीरी, जिला खीरी का बड़े पैमाने पर कटान एवं ढुलान स्थानीय रेंज अधिकारी गोला की साजिश से विगत ४-५ मास पूर्व किया गया? यदि हां, तो उससे विभाग को अनुमानतः कितनी आर्थिक क्षति हुई?

श्री चरणसिंह—

जी हां, इसकी सूचना है कि रेहुआ वन बीट अन्देशनगर, गोलारेंज, वन खण्ड दक्षिण खीरी, जिला खीरी में ७६ पेड़ों का नाजायज कटान व ढुलान ३०-९-६३ को किया गया परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कटान रेंज आफिसर की साजिश से किया गया। इन पेड़ों की शिड्यूल रेट के अनुसार कुल कीमत २,५०० रु० है।

*१५—श्री छेदालाल चौधरी (अनुपस्थित) तथा श्री बंकटासिंह (अनुपस्थित)—

क्या वन मन्त्री को कोई ऐसी भी जानकारी है कि उपरोक्त कथित वन के कटान और ढुलान का श्रीमान् एफ० एस० ओ०, लखीमपुर के न्यायालय में सम्बन्धित रेंज अधिकारी द्वारा मुकदमा भी चलाया गया जो खारिज हो गया? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह—

जी हां, इस कटान के सम्बन्ध में एफ० एस० ओ० लखीमपुर के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया जो २४-१२-६३ को रद्द कर दिया गया। अब इस मामले में विभागीय जांच जिन कारणों के आधार पर यह मामला न्यायालय द्वारा रद्द किया गया है, की जा रही है जिसके पूर्ण हो जाने पर दोषित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

फतेहपुर जिले में कुछ आजन्म कैदियों की रिहाई के लिये प्रार्थना

*१६—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या कारागार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के एस० टी० नं० ४६, सन् १९५४-५५ व इजलासी श्री ओ० बी० लाल, अतिरिक्त टेम्पोरेरी सेशन्स जज, फतेहपुर मुनफसला दिनांक ३० जून, १९५५ ई० हस्ब दफा ३०२, १४९ व १४७ व १४९ व

३२३/३२४ ता० हिन्द थाना खखरेस, जिला फतेहपुर सरकार बनाम राम गोपाल, कैलाश आदि के आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कौन-कौन कैदी किस-किस जेल में हैं और कौन कैदी किस जेल से प्रोबेशन पर कब रिहा किये जा चुके हैं, जिन कैदियों को अभी तक प्रोबेशन पर नहीं रिहा किया गया उनकी प्रोबेशन पर रिहा की दरख्वास्तें कब-कब दी गयीं और उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री दीपनारायणसिंह--

इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा स्वयं कई प्रार्थना-पत्र आपके पहले के मंत्री महोदय के पास दी गयीं थीं, क्या माननीय मंत्री जी उनका अवलोकन करेंगे और उन कैदियों को छोड़ने की कृपा करेंगे जिनके फार्म भी गायब कर दिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

इसकी जब सूचना आयेगी तो विचार किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष---

आप सूचना दे दें, कार्यवाही हो जायेगी ।

अवक्रान्त नगरपालिका, हाथरस का प्रबन्ध

*१७---श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर), श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, हाथरस, जिला अलीगढ़ को सुपरसीड करने के आदेशानुसार सरकार द्वारा २५ फरवरी, १९६४ को जारी किये गये और इसी आदेशानुसार २६ फरवरी, १९६४ की रात में हाकिम परगना आदि ने पी० ए० सी० के साथ लेकर म्युनिसिपल बोर्ड की बिल्डिंग पर पहरा बैठा दिया और सभी ताले सील कर दिये, और २७ फरवरी, १९६४ को जब कि छुट्टी थी सील तोड़कर उस अधिशासक अधिकारी का चार्ज दिया गया जो लगभग पांच महीने से बोर्ड द्वारा मुअत्तल है जिसके खिलाफ चार हजार रुपये के गबन की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है, जिस पर कई अन्य चार्जेज भी बोर्ड द्वारा लगाये गये हैं और प्रेसीडेन्ट ने जिसके विरुद्ध राज्य सरकार से बरख्वास्तगी की इजाजत मांगी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस पर तुरन्त उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

यह सही है कि २५ को आदेश हुये और २६ से सुपरसीड किया । यह कहना गलत है कि हाकिम परगना २६ फरवरी, १९६४ की रात में पहुंचे थे । उस दिन नियम के विरुद्ध बोर्ड के खजाने में १९,००० रु० की बड़ी धनराशि पाई गई जो बैंक में जमा नहीं की गयी थी । इसकी सुरक्षा के लिये पी० ए० सी० की एक गार्ड उक्त खजाने के सामने लगाई गई । ताले सील कर दिये गये थे क्योंकि आशंका थी कि बहुत सा महत्वपूर्ण रेकार्ड बोर्ड के कार्यालय में नहीं था ताकि चेक करके मालूम हो सके कि कौन-कौन सा रिकार्ड नहीं है । यह कहना गलत है कि २७ फरवरी को ताले खोले गये क्योंकि उस दिन होली का उत्सव था । यह भी कहना गलत है कि पालिका का अधिशासक अधिकारी मुअत्तल था । उक्त अधिकारी के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट जाब्ते के अनुसार पुलिस में नहीं की गई थी अतः पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । कार्यवाहक अध्यक्ष ने एक चार्जशीट अधिशासक अधिकारी के विरुद्ध २२ फरवरी, १९६४ को

जिलाधीश, अलीगढ़ के पास भेजा था जिस पर परगनाधीश द्वारा जांच की जा रही है। जिलाधीश के द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष ने कोई पत्र शासन को ऐसा नहीं भेजा जिसमें शासन से श्री रमेशकृष्ण शर्मा को सेवामुक्त करने की आज्ञा मांगी गई हो अतः सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*१८—श्री विजयपालसिंह, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, हाथरस, जिला अलीगढ़ पर क्या चार्जेज लगाकर उसे सुपरसीड किया गया है ? क्या सरकार तुरन्त ही होने वाले बोर्डों के चुनाव को ध्यान में रखते हुये अपनी इस आज्ञा को वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सुपरसेशन आर्डर की एक प्रति †संलग्न है। पालिका के सुपरसेशन के विरुद्ध दायर एक याचिका उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है अतः इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

*१९—श्री विजयपालसिंह, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि भूतपूर्व म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष, श्री रामबाबू लाल तथा रमेश कृष्ण, अधिशासक अधिकारी ने ठीक उसी तारीख ७ अक्तूबर, १९६१ को जिसमें कि अध्यक्ष महोदय ने बाद प्रस्ताव अविश्वास के चार्ज छोड़ा बोर्ड के सिवेज फार्म पर नाजायज कब्जा कर लिया जिसकी आय लगभग १ लाख रुपये है और जिसके विरुद्ध मौजूदा बोर्ड तथा प्रेसीडेन्ट बेदखली की तथा दूसरी कार्यवाही बराबर कर रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं।

श्री विजयपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि पुलिस में जो रिपोर्ट की गयी थी वह क्या थी ? और हाकिम परगना जो जांच कर रहे हैं वह कब तक करेंगे? आपने जो यह कहा कि सरकार को उसकी कोई सूचना नहीं दी गई, मेरे पास रजिस्ट्री की रसीद की कापी है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर क्यों उस एग्जीक्यूटिव आफिसर को चार्ज दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिस एग्जीक्यूटिव आफिसर को सस्पेन्ड किया गया था, उससे चार्ज लेने से पहले ही, उसने दीवानी में अपना दावा दायर किया। दीवानी अदालत ने उसको चार्ज छोड़ने से मना कर दिया। उसके बाद फिर एक दावा दायर हुआ जिसमें यह आदेश हुआ कि जो ऐक्टिंग प्रेसीडेन्ट हैं उनको सस्पेंड करने का कोई अधिकार नहीं है।

इसकी अपील कार्यवाहक अध्यक्ष ने की और वह खारिज हुई। इसलिये वह कभी सस्पेंड नहीं हुए और न चार्ज छूटा, अदालत के निर्णय के अनुसार इसलिये वह काम कर रहे हैं। गबन के मामले की जिलाधीश के जरिये सूचना जाती, ऐसा नियम है, वह नहीं भेजी और फिर कार्यवाहक अध्यक्ष ने दोबारा जिलाधीश को सूचना दी, उस पर जांच हो रही है।

श्री विजयपालसिंह—

दो महीने से एग्जीक्यूटिव आफिसर के पास कोई चार्ज नहीं है और वह बोर्ड में नहीं गये और एक्टिंग चेयरमैन बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार सस्पेंड कर सकता है, अगर यह सही है तो क्या मंत्री जी एग्जीक्यूटिव अफसर को अलग करने की कृपा करेंगे ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अदालत ने निर्णय दे दिया है कि वह सस्पेंड नहीं है, इसलिये हम उन्हें सस्पेंड नहीं मान सकते। और चार्ज होंगे तो उनकी जांच होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—

जब ४ हजार रुपये की गबन की उस अधिकारी के विरुद्ध जांच हो रही है तो उससे चार्ज लेकर परगनाधीश को या किसी दूसरे अधिकारी को देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह जिलाधीश के ऊपर है, वह उचित समझे तो चार्ज ले लें।

श्री लखपतराम शर्मा—

सरकार के दो जी० ओ० नगरपालिकाओं में जा चुके हैं कि ऐक्टिंग प्रेसीडेन्ट के वही अधिकार होंगे जो प्रेसीडेन्ट के होते हैं, तो उस जी० ओ० को निकलवा कर मंत्री जी अलीगढ़ जिले में भी लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अदालत का निर्णय हो चुका है, वह मानना होगा।

इलाहाबाद में गल्ले व चीनी की चोरबाजारी

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि इलाहाबाद में जिस समय से चीनी तथा गल्ले पर मंहगाई आयी है कितने व्यापारी गल्ले व चीनी की मुनाफाखोरी हेतु जमा करने में पकड़े गये और उनको कौनसा दंड दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कानपुर महापालिका में प्लाटों के वितरण संबंधी शिकायत

*२१—श्री संतसिंह यूसुफ—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हमीद खां, एम० एल० ए० ने सभा सचिव। श्रीमती तारा अग्रवाल को दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ को कानपुर महानगरपालिका द्वारा प्लाटों के वितरण में की जाने वाली अनियमितताओं के बारे में एक पत्र लिखा था जिसमें कुछ गंभीर आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और इस शिकायत के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार उस विवरण को देने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। श्री हमीद खां एम० एल० ए० ने कानपुर महानगर पालिका द्वारा प्लाटों के वितरण में की जाने वाली कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था। उक्त पत्र मुख्य नगर अधिकारी। कानपुर को जांच हेतु भेज दिया गया था। शिकायतें एवं उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न नोट में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२८ पर)

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्यनगराधिकारी ने इन शिकायतों के बारे में सरकार को क्या उत्तर दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कुछ शिकायतें सही पायी गयीं। जिन्हें २ प्लाट एलाट किये गये थे उनका एक रद्द कर दिया गया, जिन्होंने मियाद के अन्दर रुपया जमा नहीं किया उनका भी एलाटमेंट रद्द कर दिया गया। मैरिट के हिसाब से जो गलत एलाटमेंट थे वे रद्द कर दिये गये।

श्री संतसिंह यूसुफ—

हमीद खां, कांग्रेस एम० एल० ए०, के सीरियस चार्जेज को मुख्यनगराधिकारी ने माना है, तो मंत्री जी उसके जुडिशयल इनक्वायरी करावेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अगर जांच के बाद माननीय सदस्य बतलावेंगे कि कोई गलत एलाटमेंट हुए हैं तो उनकी जांच करा ली जायगी।

आजमगढ़ जिले में लोहा, सीमेंट, चीनी, कोयला का कोटा

*२२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत ६ महीनों में आजमगढ़ जिला को लोहा, करकट, कोयला, सीमेंट और चीनी का कितना कोटा दिया गया है ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

वांछित सूचना निम्नलिखित है:—

१—लोहा तथा करकट—

सरिया	..	कुछ नहीं
जी० सी० शीट	..	११.१४ मे० टन
जी० बी० शीट	..	११.०७ मे० टन
२—सीमेंट	..	३,५४१ मे० टन
३—कोयला—		
कोयलाचूर	..	२६८ वैगन
साफ्ट कोक	..	८३ वैगन
हार्ड व स्टीम कोल	..	७ वैगन
४—चीनी	..	२४८५ मे० टन

श्री चन्द्रजीत यादव—

आजमगढ़ को इस क्वार्टर में २६,००० बैग सीमेंट के दिये गये जिसमें से ७५ फी सदी माइनर इर्रीगेशन पर खर्च होने का नियम है। फूड ऐडवाइजरी कमेटी और अधिकारी इस विचार के थे कि यह सीमेंट २५ लाख की आबादी के लिये बहुत अपर्याप्त है, तो क्या मंत्री जी कितना कमेटा सिंचाई में गया उतना और इस क्वार्टर में एलाट करने की कृपा करेंगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

दिक्कत यह है कि हमारा सेंटर से ही बहुत कम कोटा है। हम बराबर मांग करते रहते हैं। जब तक वहां से नहीं बढ़ता है हमारे लिये देना कठिन होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---

इस बात को देखते हुये कि सेंटर के पटेल कमीशन ने कहा है कि पूर्वी जिलों की सिंचाई की ओर अधिक ध्यान दिया जाय, तो सेंटर से अधिक कोटे की मांग इस बेसिस पर करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

७५ फी सदी सिंचाई के लिये केन्द्रीय सरकार के आदेश से नहीं हुआ है। अपना है चूंकि तकावी वगैरह देते हैं और काम न हो तो वह बेकार हो जाय। और सेंटर से बढ़ा कर मिलेगा तो जरूर आपको भी बढ़ा कर देंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस ७५ फी सदी को प्लानिंग के जरिये बटवाने से हजारों की संख्या में सिंचाई के लिये कुयें बनाने के लिये दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं और उनको सीमेंट नहीं मिलता, तो कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि जिस से वे कुयें वाली दरख्वास्तें जल्दी डिसपोज आफ होकर पैदावार बढ़ सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसलिये तो यह ७५ फी सदी का प्राविधान किया गया है और वह बी० डी० ओ० के अधिकार में दिया गया है। खाद्य समिति इस बात को देखते हुये कि वह ७५ फी सदी सिंचाई के कामों के लिये ही इस्तेमाल होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी उस तालिका की ओर ध्यान देंगे जिसमें यह बताया गया कि आबादी के लिहाज से सीमेंट जिलों को दी जायगी फिर आजमगढ़ को उसकी आबादी के लिहाज से सीमेंट क्यों नहीं दी गयी है जब कि अन्य जिलों को दी गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जिलों की आवश्यकताओं तथा आबादी आदि कई चीजों को मद्देनजर रख कर कोटा मुकर्रर किया गया था। अगर हमको और सीमेंट मिला और आवश्यकता समझी गयी तो कोटा बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा।

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत अध्याप्त भूमि

*२३---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत सेक्शन ४ का नोटिस जारी कर जो भूमि हस्तगत की गयी और उसमें जिन लोगों के मकान बनाने के नक्शे पास किये गये। क्या उनमें पुनः कुछ लोगों की भूमि एक्यायर कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्यों और ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गयी जब पुनः भूमि लेने की जरूरत पड़ गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

गाजियाबाद में भूमि अध्याप्ति के लिये लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट १८९४ की धारा ४ (१) के अन्तर्गत लगभग ६,००० एकड़ भूमि के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी की गयी थी। उस भूमि की इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद को उसकी विकास योजना के लिये आवश्यकता थी। इस भूमि में से कुछ भूमि पर नियत अधिकारी (Prescribed authority) द्वारा कुछ मकान बनाने के नक्शे पास कर दिये गये थे लेकिन चूंकि इस भूमि की भी गाजियाबाद के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अपनी विकास योजनाओं के लिये आवश्यकता थी इसलिये उसे अर्जित कर लिया गया।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिये जो जमीन एक्वायर की गयी है, उस जमीन के लिये २० नवम्बर, १९६२ को ही यह लिख दिया गया था कि इसको नोटिफाई न किया जाय और वह किसानों के लिये छोड़ दी जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

असल में बात यह है कि इस जमीन के बारे में पहले प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने नक्शा नामंजूर कर दिया था। वह फिर कंट्रोलिंग अथारिटी के पास गये और उन्होंने यह आर्डर दे दिया कि इसको छोड़ दिया जाय। लेकिन जब गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेन्टेशन हुआ कि योजना के लिये उसकी आवश्यकता है तो कंट्रोलिंग अथारिटी के आर्डर को नहीं माना गया और नक्शों को नामंजूर कर दिया गया और यह भूमि फिर से अर्जित कर ली गयी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के ऐडमिनिस्ट्रेटर और मेरठ के डी० एम० ने यह लिखा था कि प्लाट नं० ७४८, ७४९, ७५० और ७५१ को छोड़ दिया जाय और कलेक्टर ने भी इसकी ताईद की थी, फिर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि नक्शे पास हो जाने के बाद भी उसको एक्वायर कर लिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐडमिनिस्ट्रेटर ने कंट्रोलिंग अथारिटी के मंजूर करने के बाद भी ऐसा लिखा होगा। पहले एडमिनिस्ट्रेटर ने स्वयं ही उन नक्शों को नामंजूर कर दिया था। जब गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेन्टेशन हुआ तो फिर उस आर्डर के अनुसार कार्यवाही हुई।

फर्रुखाबाद जिले में हरिजनों की खाद्यान्न दूकानें

*२४—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें अब तक खुल चुकी हैं और उसमें कितने हरिजनों की दूकानें तहसीलवार दी गयी हैं और हरिजन दूकानदार किन-किन राजनैतिक दल से सम्बन्धित हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

फर्रुखाबाद जिले में अब तक २३३ सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें खुल चुकी हैं, जिनमें से निम्नांकित तहसीलों के ५ हरिजनों को भी दूकानें दी गई :

फर्रुखाबाद	..	१
कन्नौज	..	१
छिबरामऊ	..	२
कायमगंज	..	१

चूंकि उक्त दूकानों का आवंटन राजनैतिक दल के आधार पर नहीं किया जाता है, अतः यह बतलाना संभव नहीं है कि उपर्युक्त हरिजन दूकानदार किन-किन राजनैतिक दलों से सम्बद्ध हैं ?

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में सस्ते गल्ले की दूकान खोलने के लिये कितने हरिजनों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सस्ते गल्ले की दूकान देने के लिये क्या परामर्श-दात्री समितियों से भी सलाह ली गयी थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केवल स्थान के लिये उनकी सलाह ली जाती है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अभी तक यह देखा जाता है कि सस्ते गल्ले की दूकानें हरिजनों को देने की जहां तक बात है, चूंकि हरिजनों के पास कोई साधन नहीं होते, कोई फंड नहीं होता, इसलिये हरिजनों के नाम पर दूसरे लोग दूकानें लेकर स्वतः चलाते हैं तथा ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, व अन्य अवैधानिक कार्य करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी हालत में यह आदेश क्यों जारी हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

यह कोई नया आदेश नहीं दिया गया है । ५–७ वर्ष पुराना यह आदेश है जिसके अनुसार कोआपरेटिव सोसाइटीज व एक्स मिलिटरी वाले हैं, तथा अब तो गोल्ड स्मिथ भी उसमें शामिल हो गये हैं, तथा हरिजन, इन सब को प्राथमिकता देने की बात है । इसमें कोई नयी बात नहीं है । कुछ संस्थायें हैं जो प्राथमिकता की लिस्ट में हैं, उन्हीं में हरिजन भी एक हैं।

[अप्रैल, १२ १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बिशुनगढ़ क्षेत्र में खाद्यान्न की दूकानें देने की शिकायत

*१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि फर्रुखाबाद जिले में बिशुनगढ़ में जिस व्यक्ति का आटा व गल्ला बेंचने के लाइसेंस का प्रार्थना-पत्र जिलाधीश ने खारिज कर दिया था उसका नाम बाहर लिस्ट में टांग दिया था कि उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गयी है । बाबू लोगों ने उससे जमानत के रुपया जमा कराये, आटा व गल्ला का लाइसेंस दिया गया, बीस रोज दफ्तर की धूल छानी, काफी रुपया खर्च किए एक बार कुछ आटा भी बेंचा, लेकिन कुछ दिन बाद उससे कह दिया गया कि गल्ती से तुम्हें लाइसेंस दिया गया अब दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है, इसका नतीजा यह हुआ कि वहां अभी तक गल्ला नहीं पहुंच पाया और दोनों दूकानदारों को धोखा दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सत्य है कि फर्रुखाबाद जिले में विशुनगढ़ क्षेत्र के दो आदमियों ने जिनके नाम श्री मेहताब सिंह पुत्र पहुंची लाल तथा श्री बालक राम पुत्र मेहताब सिंह ने आटा व गल्ला बेचने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और तहसीलदार छिबरामऊ की सिफारिश पर जिलाधीश । फर्रुखाबाद ने बालक राम पुत्र मेहताब सिंह को सस्ते गल्ले का बिक्रेता नियुक्त किया । प्रार्थी बालकराम ने अपने पिता का नाम मेहताब सिंह अपने नाम के ऊपर लिख रक्खा था अतः कार्यालय मेहताब सिंह के नाम आदेश जारी किया गया और जमानत जमा करा ली गई । मेहताब सिंह को आटा दिया गया था । गल्ती मालूम होते ही उनको गल्ला नहीं दिया गया । श्री बालक राम ने ७ मार्च को अपनी सिक्योरिटी का बांड भरा किन्तु सूचना देने पर भी अभी तक गल्ला

नोट—तारांकित प्रश्न २४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

लेने नहीं आये । जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति को उसकी बैठक दिनांक मार्च ८, १९६४ को उपरोक्त तथ्यों से अवगत करा दिया गया और समिति ने सर्व सम्मति से विशुनगढ़ क्षेत्र में अधिक आबादी होने के कारण दो दूकानें सस्ते गल्ले की खोलने की सिफारिश की तथा जिलाधीश द्वारा दोनों ही व्यक्तियों को सस्ते गल्ले का विक्रेता नियुक्त कर दिया गया । दोनों आदमियों को गल्ला उठाने के लिये बुलाया गया । श्री मेहताब सिंह को पुनः गल्ला व आटा दे दिया गया । श्री बालक राम की प्रतीक्षा की जा रही है ।

*२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

अगर यह सही है, तो क्या सप्लाई विभाग में गोल माल नहीं है ? क्या मंत्री महोदय इससे संबंध रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सप्लाई विभाग के कर्मचारियों ने दोनों ही प्रार्थना-पत्रों में मेहताब सिंह का नाम होने से जो आदेश जारी किये उसमें किसी भी भांति का गोल माल नहीं था बल्कि नाम सादृश्य होने से गल्ती हुई, जिसका निवारण जिस खाद्य परामर्शदात्री समिति ने स्वयं किया ।

स्वर्णकारों को सहायता

*३—श्री रघुनाथसिंह—

क्या खाद्य मंत्री स्वर्ण नियंत्रण कानून के फलस्वरूप दयनीय स्थिति में पड़ी स्वर्णकार जाति को दिये जाने वाले ऋण या अनुदान की शर्तों में विशेष छूट और सुविधा करने तथा अनुदान की धनराशि की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर तीन गुनी करने की कृपा करेंगे, जिससे वे अन्य नये धंधे रोजगार करने या दूकान खोलने की थोड़ी सुविधा पा सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

स्वर्णकारों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था नहीं है । उद्योग विभाग के नियमों के अन्तर्गत उन्हें कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण फिलहाल दिये जा रहे हैं ।

*४—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सरकार ने २० लाख रुपये की धनराशि दी है ? यदि हां, तो उस धनराशि का उपयोग किस-किस प्रकार हुआ और क्या उस धनराशि का कुछ अंश उपयोग में आने से अभी बचा हुआ भी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

२० लाख रुपया ऋण के रूप में देने का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार से प्राप्त हुआ था, परन्तु चूंकि उस ऋण की शर्तें राज्य सरकार को मान्य नहीं थी, उस धनराशि का उपयोग नहीं किया गया ।

खाद्य परामर्शदात्री समिति । फतेहपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में जिन व्यक्तियों को गल्ले की दूकानें जिला फतेहपुर में दी गयीं, उनमें जिलाधीश की सलाहकारिणी समिति के फैसले के विरुद्ध भी कोई दूकान दी गयी ? यदि हां, तो किस-किस को और क्यों ? यदि नहीं । तो शहर फतेहपुर व शहर बिन्दकी में जिन-जिन व्यक्तियों को सस्ते गल्ले की दूकानें दी गयी हों उनके नाम बतलाने की क्या कृपा की जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं । अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८२९–८३० पर)

*६—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को कोई शिकायती-पत्र, भूतपूर्व विधान परिषद् के सदस्य व राजनीतिक पीड़ित, श्री पन्नालाल गुप्त या प्रश्नकर्त्ता का भेजा हुआ इस संबंध में मिला है ? यदि हां, तो उन्हें उनमें क्या शिकायत की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां । श्री पन्नालाल गुप्त के उक्त पत्र में, जो प्रश्न कर्त्ता के पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति पर सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के आवंटन (Allotment) में अनियमितता करने के आरोप लगाये गये हैं ।

*७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर) तथा श्री लखपतराम शर्मा—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

जायद फसलों के लिये सुविधायें

*८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओला पीड़ित क्षेत्रों में जायद फसल को पैदा करने हेतु कौन-कौन से कदम सरकार ने उठाये ?

श्री चरणसिंह—

जायद फ़सलों के उत्पादन के लिये जिलों में जायद अभियान चलाया जा रहा है । सरकार द्वारा जायद फ़सलों के लिये निम्नलिखित विशेष सुविधायें दी जा रही हैं :

(१) सिंचाई में छूट,

(२) तकावी पर बीज वितरण,

(३) जहां पर नहरें हैं और पानी उपलब्ध है वहां अधिकाधिक मौसमी कुलाबों के लगाने का प्रबन्ध ।

*९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या कृषि मंत्री यह भी बतायेंगे कि कुल कितने एकड़ में जायद फसल की खेती की जायगी तथा कौन-कौन सी फसल पैदा करने की योजना है ?

श्री चरणसिंह—

जायद फसलों की खेती सिर्फ प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में ही विस्तार करने का लक्ष्य है । जायद अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित फसलों तथा सब्जियों को पैदा करने की योजना है:—

बोरो धान, गरमी का धान, कुवारो धान (बेहन) । मक्का, मूंग नं० १ । लोबिया, चेना, सांवा, हरी खाद की फसलें । कपास, मूंगफली, बालदार फसलें ।

भिंडी, तरोई, लौकी, कद्दू , करेला, बंडा, घुइयां, मरसा, चौराई आदि ।

सयाना क्षेत्र में गन्ने की क्षति

*१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि जो इस दफा विधान सभा क्षेत्र सयाना, जिला बुलन्दशहर के बहुत से गांवों में विशेषकर चन्दयाना, बड़कऊ, घुंघरावली, नरसेना, दौलतपुर, चखेरा आदि ग्रामों में वर्षा ऋतु के बाद बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में गन्ने के सूखने और उकठने की घटना बगैर किसी जाहिरी सबब के हुई और कहीं-कहीं गन्ने के खेत के खेत सूख गये? क्या सरकार इस घटना के संबंध में तुरन्त छानबीन करके इसके कारण मालूम करेगी और किसानों को भी उपलब्ध करेगी?

श्री चरणसिंह—

प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में अधिकांशतः को०३१२ गन्ने की किस्म बोई जाती है। यह किस्म गन्ने के रोग को शीघ्र ग्रहण करती है। गन्ने का पौधा काना एवं उकठा रोग में फफूंदी के प्रभाव से सूख जाता है। काना रोग की फफूंदी को गन्ने में फैलने के लिये नमी से सहायता मिलती है। अतः यह रोग वर्षा ऋतु के बाद पूर्णतया प्रगट हो जाता है। इस बात की सूचना गुड़ खंडसारी क्षेत्र में जिला कृषि अधिकारी एवं चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना अधिकारी को प्रसार हेतु उपलब्ध कर दी गई थी।

*११—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह घटना अनेक प्रकार के नये-नये फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से हुई?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं।

*१२--१४—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, कासिमाबाद का गल्ला पकड़ा जाना

*१५—श्री रघुवीर, (जिला आजमगढ़)। श्री छांगुर (जिला गाजीपुर)। श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—तथा श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री दिनांक १० फरवरी, १९६४, प्रश्न नम्बर ४५ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि थाना कासिमाबाद के बड़े थानेदार दूसरी जगह ट्रांसफर क्यों नहीं किये गये जब कि उनके जांच की कार्रवाई की गड़बड़ी की शिकायत पर ही न्यायिक जांच की जा रही है?

श्री चरणसिंह—

न्यायिक जांच के आदेश सरकार द्वारा जिलाधीश को दिये गये थे। बड़े थानेदार कासिमाबाद के विरुद्ध शिकायत या उनके ट्रांस्फर का प्रश्न नहीं उठता।

*१६—श्री रघुवीर, श्री छांगुर, श्री झिलमिटराम तथा श्री सुरजनराम विशारद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त जांच अब तक समाप्त हुई या नहीं?

श्री चरणसिंह—

न्यायिक जांच समाप्त हो गई है और पशु चिकित्सा। कासिमाबाद के गल्ले के स्टाक में कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी।

सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ से सामान की चोरी

*१७—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कारागार मंत्री दिनांक १० फरवरी, १९६४ के प्रश्न संख्या ५५ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कपड़े के थान आदि पुलिस द्वारा पकड़े गये थे उनके क्या विवरण केस डायरी में दर्ज किये गये थे तथा एलगिन मिल, कानपुर से जो कपड़े के थान फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार को १९६३ में सप्लाई किये गये थे उनके विवरण क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो कपड़े के थान आदि पकड़े गये थे उनके जो विवरण† पुलिस की केस डायरी में दर्ज किये गये उनकी तालिका† तथा एलगिन मिल, कानपुर से जो कपड़े के थान फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार को १९६३ में सप्लाई किये गये उनकी सूची† संलग्न है ।

*१८—श्री दयाराम शाक्य—

क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन पांच केंद्रीय कारागार के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गयी है जिनके नाम प्रश्नकर्त्ता के मंत्री महोदय को दिये गये शिकायती-पत्र में दिये गये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट जेलर, श्री मगोठिया, जेलर, श्री नागर तथा आफिस जेलर, श्री सिद्दीकी का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

गाजियाबाद में किसानों की अधिगृहीत भूमि

*१९—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद (Regulated Area) में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने ३० सितम्बर, १९६३ से २९ फरवरी, १९६४ तक कितनी जमीन का कितने किसानों से कब्जा लिया है ? उनमें से कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल भूमि-हीन हो गये हैं या जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि रह जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गाजियाबाद रेग्यूलेटेड एरिया में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद तथा यू० पी० स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड ने ३०-९-६३ से २९-२-६४ तक २२ एकड़ भूमि का कब्जा लगभग १५ व्यक्तियों से लिया है । इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भूमिहीन हो गया हो अथवा उसके पास एक एकड़ से कम भूमि रह गई हो ।

आजमगढ़ व इलाहाबाद जिलों में ईंट के भट्ठे

*२०—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ एवं इलाहाबाद जिले में चालू वर्ष में कितने-कितने अस्थायी एवं स्थायी ईंट के भट्ठे हैं और अस्थाई भट्ठों में से दोनों जिले में अलग-अलग कितने-कितने स्थायी किये जाने का विचार है ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मद्दों की संख्या निम्नलिखित है :—

				अस्थायी	स्थायी
आजमगढ़	..	..	..	१९८	६०
इलाहाबाद	..	..	..	५५	३९

उपरोक्त दोनों जिलों में फिलहाल किसी अस्थायी भट्ठे को स्थायी करने की प्रस्तावना नहीं है ।

*२१—श्री मेवालाल जायसवाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२२—श्री लखपतराम शर्मा—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गाजियाबाद, साहिबाबाद, लोनी क्षेत्रों के लिये सीमेंट

*२३—श्री तेजसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद, साहिबाबाद और लोनी के क्षेत्र में प्रेस्काइब्ड अथारिटी ने १९ फरवरी, १९६३ तक कितनी प्राइवेट कालोनीज के नक्शे मंजूर किये हैं और हर एक में डेवेलपमेंट का अब तक क्या-क्या काम हुआ है ? क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायतें पहुंची हैं कि इन कालोनीज में मकान बनाने वालों को सीमेंट लेने में खास दिक्कत हो रही है ? क्या सरकार इन क्षेत्रों के लिये सीमेंट का स्पेशल कोटा देने पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गाजियाबाद, साहिबाबाद और लोनी क्षेत्र में प्रेसक्राइब्ड अथारिटी ने १९ फरवरी, १९६३ तक ३५ कोलोनियों के नक्शे मंजूर किये थे । इन कोलोनियों में हुए विकास कार्य का ब्यौरा सदन की मेज पर प्रस्तुत है । सरकार के पास ऐसी कोई शिकायतें नहीं पहुंची कि इन कालोनीज में मकान बनाने वालों को सीमेंट लेने की खास दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रशासक, गाजियाबाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने शासन को अवगत कराया था कि गाजियाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर किये जाने वाले विकास कार्य तथा स्वीकृत प्राइवेट कालोनीज में भवन निर्माण कार्य हेतु बहुत अधिक मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता है और इसके लिये स्पेशल कोटा मंजूर कराने की सिफारिश की थी । सरकार ने इस संबंध में स्पेशल कोटे के बारे में भारत सरकार को लिखा है ।

*२४—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का आय व्यय

*२५—श्री तेजसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में कितने स्थायी तथा अस्थायी अधिकारी काम कर रहे हैं और उनके मासिक वेतन तथा अन्य मदों पर १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६४ तक कितना व्यय हुआ ? क्या सरकार ट्रस्ट की (१९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४) के आय-व्यय की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में १८ अधिकारी कार्य कर रहे हैं और उनके मासिक वेतन तथा अन्य मदों पर १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६४ तक व्यय लगभग २,४९,२८० रु० होगा । वर्ष १९६१–६२, १९६२–६३ एवं १९६३–६४ के ट्रस्ट के आय व्यय की सूची† सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

*२६—श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मिट्टी परीक्षण

*२७—श्री शिवराजसिंह तथा श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार ने दिसम्बर, १९६२ में यह निर्णय किया था कि किसानों के खेतों की मिट्टी के विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई विस्तृत योजना बनाई जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, इस संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जा चुकी है :—

(१) मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्रदेश की १८ प्रयोगशालाओं पर निःशुल्क उपलब्ध कर दी गई है ।

(२) एक विस्तृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के २३ कृषि डिग्री कालेजों में निःशुल्क मिट्टी विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध की जा रही है ।

आगरा जिले में आटे में खराबी

*२८—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले की आटा मिलों में बहुत खराब आटा पीसा जा रहा है जिसे शहर गांव के सस्ते गल्ले के (सरकारी) दुकानदारों ने मिलों से उठाने से मना कर दिया है जिसके कारण जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सही नहीं है कि आगरा की आटा मिलों में बहुत खराब आटा पीसा जा रहा है, जिसे सस्ते गल्ले के दूकानदारों ने उठाने से मना कर दिया है और जिसके कारण जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है ।

*२९—श्री बनवारीलाल विप्र—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सस्ते गल्ले के कुछ दुकानदारों ने जौंस फ्लोर मिल का पिसा हुआ खराब आटा नमूने के तौर पर डी० एस० ओ० के दफ्तर में ए० आर० ओ० श्री सी० पी० त्यागी को दिनांक १८ फरवरी, १९६४ को दिखाया था और वही आटा स्थानीय जनता को भी दिखाया गया था ? यदि हां, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए उक्त मिल मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सही है कि १८ फरवरी, १९६४ को कुछ दुकानदार जौंस फ्लोर मिल के आटे का नमूना लेकर ए० आर० ओ० श्री त्यागी के पास गये। श्री त्यागी ने उसी समय डिप्टी रीजनल मार्केटिंग आफिसर को आटे की क्वालिटी के विषय में अवगत कराया। आटा खराब नहीं था बल्कि मोटा पिसा था। फिर भी डिप्टी आर० एम० ओ० ने जौंस फ्लोर मिल को आदेश दिया कि वह आटा मिल अपने खर्चे पर वापिस करे और फिर से ठीक करके दुकानदारों को दें, परन्तु कोई आटा वापिस नहीं किया गया क्योंकि वह सब पूर्ववत बिक चुका था। चूंकि आटे में कुछ खराबी न थी, अतः मिल मालिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*३०—श्री कल्पनाथसिंह—

[९वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३१-३२—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३३—श्री रघुवीर—

[९वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

कारागार अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र

*३४—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय जेलों में बन्दियों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र वेतन वृद्धि हेतु आई० जी०, जेल तथा माननीय मंत्री जी को १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में मिली है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जही हां। अभी विचाराधीन है।

अवक्रान्त नगरपालिका, अलीगढ़ का चुनाव

*३५—श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई रिप्रेजेंटेशन जनता की तरफ से आया है या स्वायत्त शासन मंत्री को मिला है कि अलीगढ़ नगरपालिका का चुनाव आगामी आम चुनाव के साथ होना चाहिये? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निश्चय किया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। उक्त आशय का एक रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ। नगरपालिका अलीगढ़ दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ से दो वर्ष के लिए अवक्रांत की गई थी अतः आगामी आम चुनाव में इस पालिका में चुनाव कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३६—श्री भूपसिंह तथा श्री खेमचन्द—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कोई आदेश अलीगढ़ नगरपालिका के आम चुनाव के लिये बोर्ड बनाने का दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता।

*३७—श्री भूपसिंह तथा श्री खेमचन्द—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ नगरपालिका के पूर्व निर्वाचित सदस्यों ने कोई रिट इस विषय की दायर कर रखी है कि अलीगढ़ नगरपालिका सुपरसेशन पार्टीबन्दी की वजह से हुआ

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं ।

पशु चिकित्सालय, हल्दौर

*३८—श्री श्रीराम—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मवेरथी शफाखाना हल्दौर, जिला बिजनौर में आये इलाज के लिये पशुओं के शफाखाने में मर जाने पर पशुओं की खाल का १९६१ व १९६२ व १९६३ में क्या हुआ ? नीलाम करके रुपया सरकारी कोष में जमा किया गया या नहीं ? उन दोनों वर्षों में मरे पशुओं की संख्या क्या है ?

श्री चरणसिंह—

वित्तीय वर्ष १९६१–६२ व १९६२–६३ में पशु चिकित्सालय हल्दौर में किसी पशु की मृत्यु नहीं हुई । हां २४ दिसम्बर, १९६३ को श्री रूप राम का एक भैंस चिकित्सालय पर मर गई थी जिसे वह स्वयं उठा ले गये । मरे जानवरों की खालों के नीलाम की धनराशि का सरकारी खजाने में जमा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३९—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

हमीरपुर जिले के लिये नालीदार टीन

*४०—श्री मदनपालसिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर को कितना नालीदार टीन चादर का पहली अगस्त, सन् १९६३ लगायत ३१ जनवरी, सन् १९६४ तक की अवधि में कोटा दिया गया तथा किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना वितरित किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में जिला हमीरपुर में कोई नालीदार चादर प्राप्त नहीं हुई । अतः वितरण का प्रश्न नहीं उठता ।

*४१—श्री मदनपालसिंह—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

उर्वरकों का वितरण

*४२—श्री जुगलकिशोर तथा श्री शिवराजसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४ में Nitrogenous तथा Phosphatic fertilizers के वितरण करने के लक्ष्य क्या थे और १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४ में ३१ जनवरी, १९६४ तक वितरण किये गये Nitrogenous तथा Phosphatic fertilizers की मात्रा क्या है ?

श्री चरणसिंह—

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८३१ पर)

*४३—श्री जुगलकिशोर तथा श्री शिवराजसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४ में अतिरिक्त अन्न उत्पादन का कितना प्रतिशत अतिरिक्त उर्वरकों के वितरण पर निर्धारित किया गया था ?

श्री चरणसिंह—

अतिरिक्त उर्वरकों के वितरण पर निर्धारित अतिरिक्त अन्न उत्पादन का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

वर्ष	प्रतिशत
१९६१-६२	४६.४९
१९६२-६३	३२.३९
१९६३-६४	२६.८९

*४४-४५—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६—श्री रघुनाथसिंह—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

पेय जल वितरण योजना

*४७—श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री कल्पनाथसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया २० अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १७-१९ के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जल वितरण योजना में इतना कम धन के प्राविधान का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तृतीय पंच वर्षीय योजना में भारत सरकार ने मुख्यतया पिछली योजनाओं के अवशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिये ही अनुदान देने का निश्चय किया । उनके विचार से नई योजनायें लोकल डेवलपमेन्ट वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्यान्वित होनी चाहिये । इसी कारण नेशनल वाटर सप्लाई एन्ड सैनीटेशन प्रोग्राम (रूरल) के अन्तर्गत प्राविधान कम कर दिया गया ।

*४८—श्री कैलाश तथा श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार पुनः भारत सरकार से धन प्राप्त होने पर उसका पूर्ण उपयोग कैसे हो इस प्रश्न पर विचार कर तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के बारे में पेय जल वितरण योजना की सम्पूर्ण रूप-रेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और यह भी बतायेगी कि इससे कितने शहर और कितने गांव प्रभावित होंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

भारत सरकार से अधिक धन प्राप्ति होने का आश्वासन मिलने पर ही योजना बनाने तथा उसके उपयोग करने का प्रश्न उठेगा ।

फिरोजाबाद में कोयला की बिल्टियों पर तहसीलदार के हस्ताक्षर

*४९—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद के कांच व चूड़ी के उन कारखानों की कोयले की बिल्टियों पर, जिस कोयले के वह कारखाने खुद उपभोक्ता हैं, किस सरकारी आदेश के आधार पर यह जरूरी कर दिया गया है कि वह बिल्टी पर माल लेने के पूर्व तहसीलदार फीरोजाबाद के हस्ताक्षर करावें तथा इस प्रकार से हस्ताक्षर कराने के कारण कोयले की बिल्टियों पर माल के छूटने में जो देरी होती है तथा डैमरेज इत्यादि लग जाता है, क्या इस बारे में भी सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की सम्भावना पर विचार करेगी कि उपर्युक्त सरकारी आदेश विशेष में समुचित संशोधन कर के ऐसे कोयले की बिल्टियों पर से तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर कराये जाने का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया जाये जो कि केवल उसके उपभोक्ता द्वारा ही कोल फील्ड से आयात किया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आदेशानुसार कोयले की बिल्टियों पर तहसीलदार के हस्ताक्षर कराना आवश्यक है । ऐसी कोई जानकारी सरकार को नही है कि इन आदेशों के कारण कोयला उपभोक्ताओं को डैमरेज इत्यादि देना पड़ा हो ।

कारागार अधिकारियों को दुधारू पशु रखने की आज्ञा

*५०—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंहगाई बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध न होने के कारण जेल अधिकारियों को उनके बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु सिर्फ एक गाय दूध देने वाली रखने की आज्ञा प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जेल मैनुअल के पैराग्राफ १०९८ के अनुसार जेल अधिकारी कारागार महानिरीक्षण की अनुज्ञा से दूध देने वाले पशु रख सकते हैं ।

*५१—श्री मतोलासिंह—

क्या मंत्री जी यह विचार करने की कृपा करेंगे कि जेल अधिकारी अपने ही जिले में न रखे जाकर जो करीब के ही जिलों में रखे जायं तथा दूर के जिलों का तबादला न करने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

स्थानान्तरण के समय इस बात का ध्यान रक्खा जाता है परन्तु प्रशासकीय कारणों से इस नीति का पूर्णतया पालन नहीं हो सकता है ।

आगरा जिले में खाद्यान्न की दुकानों की जब्ती

*५२—श्री बनवारीलाल विप्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा जिले में देहाती क्षेत्रों के कुछ सस्ते गल्ले के दुकानदार अपने कोटे का आटा ३५ व ४० रु० प्रति बोरी के हिसाब से शहर में ही ब्लैक में बेच जाते हैं और उपभोक्ताओं के नाम गलत एन्ट्री चढ़ा देते हैं ? यदि हां, तो सरकार उन दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ? उक्त दुकानें किन-किन के नाम है और ऐसी कितनी दुकानें हैं जो गल्ला व आटा नहीं उठाती है लेकिन इनके नाम दुकान है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें यह कहा गया था कि देहाती क्षेत्रों में कुछ सस्ते गल्ले व आटे के दुकानदार अपने कोटे का माल शहर में ही बेच जाते हैं जो कि देहाती क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं होता और रजिस्ट्रों की खानापूरी गलत एन्ट्री करके पूरी कर लेते हैं। इन शिकायतों की जांच की गई और जांच के पश्चात जिन दुकानदारों के खिलाफ उपरोक्त आरोप सही पाये गये उनकी दुकानें रद्द कर दी हैं और जमानतें जब्त कर ली गई हैं। यह दुकानें निम्नलिखित हैं :—

१—अशोक एन्ड कम्पनी, खन्दौली।
२—निर्मल कुमार अलोक कुमार, एतमादपुर।
३—सुरेन्द्र कुमार अशोक कुमार, एतमादपुर।
४—सत्य नारायण, फतेहाबाद।
५—सुरेन्द्र कुमार, फतेहाबाद।

जिनको दुकानें दी गई है वह प्रायः सभी आटा व गल्ला उठाते रहे हैं।

मोठ तहसील में वन विभाग की जमीन पर खेती

*५३—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की मोठ तहसील में कितनी ऐसी भूमि है जिसको किसान २०-२० साल से जोते हुये हैं तथा भूमिधर भी है? क्या उस भूमि को वन विभाग में मिलाकर उन पर मुकदमा चलाये जा रहे हैं तो क्या सरकार उस भूमि का डिमार्केशन करा कर उस भूमि को उन किसानों को, जिनका जीवन निर्वाह उस भूमि पर है, वापस करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—

झांसी जिले की मोठ तहसील में कुल १२,९८५·३० एकड़ वन विभाग में निहित भूमि में से, १६१·६४ एकड़ भूमि में किसानों ने अपनी काश्त के दावे वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। इस भूमि को वन विभाग में मिलाकर मुकदमे नहीं चलाये जा रहे है परन्तु जो भूमि वन विभाग में निहित हुई है उसका वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा बन्दोबस्त किया जा रहा है। इन्डियन फौरेस्ट ऐक्ट की धारा ६ के अनुसार सम्बन्धित दावेदारों ने अपने मामले वन बन्दोबस्त अधिकारी की अदालत में प्रस्तुत किये हैं और वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा अब तक ३५·३७ एकड़ भूमि दावेदारों को दी गई है। ५६·५६ एकड़ भूमि में दावेदारों के हक अस्वीकृत किये गये हैं और ६९·७१ एकड़ भूमि पर मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ऐसी भूमि किसानों को न्यायालय के निर्णय पर ही दी जा सकती है।

छिमारा–जसवन्तनगर सड़क की मरम्मत न होना

*५४—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सन् १९६२–६३ में जसवन्तनगर टाउन एरिया को छिमारा–जसवन्तनगर सड़क के बनवाने के लिये कुछ अनुदान स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो कितना और उस सड़क के लधपुरा के पास जो तीन फर्लांग का कुछ भाग टूटा हुआ है वह कब से है तथा अब तक न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उक्त सड़क का कुछ भाग कुछ समय से खराब है, तथा टाउन एरिया कमेटी के पास धनाभाव के कारण अभी तक नहीं बनाया जा सका है। मई सन् १९६३ में इस सड़क तथा अन्य दो सड़कों की मरम्मत के हेतु ३४,७४५ रु० के विशेष अनुदान की मांग टाउन एरिया कमेटी जसवन्तनगर से प्राप्त हुई थी, जिस पर विचार करके मार्च १९६४ में २२,००० रुपये का विशेष अनुदान शासन ने स्वीकृत कर दिया है।

अवक्रान्त नगरपालिका, मिर्जापुर

*५५—श्री भगवानदास बरनवाल (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई १९६४ में नगर पालिकाओं के आम चुनाव के साथ मिर्जापुर नगरपालिका (जो गत १९६२ से सुपरसीडेड है।) का भी चुनाव होगा अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं क्योंकि प्रशासकीय नियन्त्रण द्वारा बोर्ड में चालू की गई विकास की योजनायें अभी पूर्ण रूप से संपादित नहीं हुई हैं।

देवरिया जिले में खाद्यान्नों की समस्या

*५६—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिला में देवरिया नगर एवं अन्य बाजारों में गेहूं, चना, मटर और अरहर की दाल महंगे दाम पर गत ४५ दिनों से अप्राप्य हो गयी है ? क्या यह भी सच है कि सस्ते गल्ले की दुकानों से सफेद गेहूं के लोप हो जाने की सूचना मिली है ? यदि हां तो कारण क्या है ? उपरोक्त गड़बड़ी को दूर करने के लिये कौन-सा कदम उठाया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देवरिया जिले में मार्च के तीसरे सप्ताह में खुले बाजार में केवल गेहूं की कमी अवश्य हो गई थी परन्तु अब स्थिति में सुधार हो गया है। गेहूं, चना, मटर तथा अरहर की दाल इस समय बाजार में काफी मात्रा में उपलब्ध है। केन्द्रीय सरकार से केवल लाल गेहूं ही प्राप्त हो रहा है जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किया जा रहा है। वितरण में किसी प्रकार गड़बड़ी का प्रश्न नहीं उठता।

आटा स्टाक की जांच

*५७—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा लखनऊ के जिलापूर्ति अधिकारी को इस आशय का यह निदेश १३ फरवरी से २५ फरवरी, १९६४ के बीच, दिया गया—"लखनऊ के थोक आटा व्यापारियों का स्टाक जब्त करके उन्हें उचित लाभ तथा यातायात व्यय का मूल्य देकर फुटकर व्यापारियों को दे दिया जाय ?" यदि हां, तो इसके अनुसार जिनका स्टाक जब्त किया गया उन्हें थोक व्यापारियों को देने के लिये तथा कम मूल्य पर बेंचने के लिये क्यों बाध्य किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। आटा के बढ़ते हुये मूल्य पर नियंत्रण लगाने के अभिप्राय से १३ फरवरी, १९६४ को एक आदेश द्वारा पूरे प्रदेश में आटा स्टाक की जांच के लिये आटा बेचने से रोक अवश्य दिया गया था। परन्तु उसी दिन उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (नियंत्रण अधिग्रहण और वितरण) आदेश, १९६३ के खन्ड १४ (ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा जिलाधीश द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य पर बेचे जाने के लिये उक्त आटा छोड़ देने के लिये आवश्यक आदेश भी जारी कर दिये गये थे।

बेचने से रोके गये आटा स्टाक का थोक व्यापारियों को देने अथवा कम मूल्य पर बेचने का प्रश्न नहीं उठता।

गुड़ एवं खांडसारी निर्यात के लिये बरेली से प्रार्थना-पत्र

*५८---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि आर० एफ० सी० लखनऊ ने ८०० टन गुड़ बाहर भेजने का परमिट बरेली के गुड़ खांडसारी एसोसियेशन को फरवरी, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में स्वीकृत किया है यदि हां, तो किन नियमों के आधार पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी नहीं, इस प्रकार का कोई परमिट नहीं दिया गया। अतः प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*५९---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को बरेली के अन्य एसोशियेशन की ओर से भी परमिट देने के प्रार्थना-पत्र मिले हैं। यदि हां, तो उन्हें परमिट न दिये जाने के कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां,उन्हें परमिट न देने का कारण यह था कि उस समय निर्यात परमिट देने सम्बन्धी नीति सरकार के विचाराधीन थी।

सहारनपुर जिले को खाद्यान्न का कोटा

*६०---श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)---

क्या खाद्य तथा पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला सहारनपुर को शुगर तथा अनाज का कोटा वहां की आवश्यकतानुसार नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कोटा निर्धारण का क्या आधार है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है आवश्यकता के अनुसार कोटा नहीं मिलता। कारण यह है कि राज्य का २०,००० मी० टन का मासिक कोटा वितरण के लिये अपर्याप्त है। जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा खपत को देखते हुए आवश्यकतानुसार गल्ला तथा आटा उपलब्ध किया जाता है।

*६१---श्री यशपालसिंह वर्मा---

क्या खाद्य तथा पूर्ति मंत्री को ज्ञात है कि जिला सहारनपुर को जो भी कोटा दिया जाता है वह भी उसको ठीक समय से नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसका सुनिश्चित प्रबन्ध करेगी कि कोटा ठीक समय पर मिल जाया करे ताकि जनता में बेचैनी न उत्पन्न होने पावे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

चीनी आदि के कोटे ठीक समय पर दे दिये जाते हैं।

बरेली में राशन-कार्ड

*६२---कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि क्या यह सत्य है कि बरेली नगर में अभी हाल में एक लाख से अधिक कृत्रिम राशन कार्ड बांटे गये हैं ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिनकी गलती से ऐसा हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह गलत है कि अभी हाल में बरेली नगर में एक लाख कृत्रिम राशन कार्ड बांटे गये हैं। अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बदायूं, अलीगढ़ मुरादाबाद, बरेली का खाद्यान्न कोटा

*६३—श्री सूरजपालसिंह यादव (जिला बदायूं) तथा श्री जुगलकिशोर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं को सीमेंट का कितना कोटा प्रति वर्ष दिया जाता है तथा अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली को कितना ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सीमेन्ट का कोटा वार्षिक नहीं वरन् त्रैमासिक दिया जाता है। इस वर्ष की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही में प्रश्नगत जिलों को निम्नलिखित कोटा दिया गया :—

जिला	मात्रा टनों में	
	प्रथम त्रैमास (जनवरी-मार्च, १९६४) मात्रा	द्वितीय त्रैमास (अप्रैल–जून १९६४) मात्रा
बदायूं	१,३९१	९८९
अलीगढ़	२,९२६	२,०७०
मुरादाबाद	२,२४३	१,५८७
बरेली	२,५०८	१,७४८

*६४—श्री सूरजपालसिंह यादव तथा श्री जुगलकिशोर—

क्या सरकार बदायूं जिले में कोटा बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बदायूं जिले में सीमेन्ट का कोटा बढ़ाना सम्भव नहीं है।

*६५—श्री सूरजपालसिंह यादव तथा श्री जुगलकिशोर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं शहर के लिये कितना कोटा दिया जाता है तथा देहात के लिये कितना ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बदायूं शहर तथा देहात के लिये अलग से कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

बदायूं जिलाधीश को सीमेंट संबंधी शिकायतें

*६६—श्री गणेशचन्द्र खाछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि बदायूं जिले के जिलाधीश के पास अभी हाल ही में बदायूं जिले की जनता ने इस प्रकार की लिखित शिकायतें की हैं कि सीमेंट के स्टाकिस्ट सप्लाई आफिसर से मिल कर सीमेंट की बोरियों में से सीमेंट निकाल लेते हैं और कम सीमेंट दे रहे हैं? यदि हां, तो उन शिकायतों के बारे में क्या हो रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलाधीश बदायूं के पास केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच से पता चला कि स्टाकिस्ट ने बोरियों से सीमेंट नहीं निकाली।

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि व विकास कार्य

*६७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्दर अब तक प्रदेशीय सरकार ने कितनी-कितनी भूमि एक्वायर की है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अनुसार बनाई गई योजनाओं के लिये प्रदेशीय सरकार ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद के लिये १७७८ एकड़ भूमि तथा यू० पी० स्टेट इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड के लिये १,६८४ एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिये लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ६ के अन्तर्गत आवश्यक विज्ञप्ति जारी कर रखी है।

*६८—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत अब तक क्या-क्या कार्य प्रदेशीय सरकार द्वारा किया गया है और अब तक किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा यू० पी० स्टेट इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है। इन दोनों संस्थाओं ने अब तक जो कार्य किये हैं और उन कार्यों पर जो व्यय हुआ है उसका विवरण† सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

गाजीपुर जिले में स्वर्णकारों को ऋण

*६९—श्री रघुवीर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के स्वर्णकारों ने लोन के लिये उद्योग अधिकारी के पास अभी हाल में प्रार्थना-पत्र दिये हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और क्या सब प्रार्थियों को लोन दे दिया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना?

---

†छापा नहीं गया।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां।

इन प्रार्थना-पत्रों पर जिला उद्योग समिति ने विचार किया। केवल १८ स्वर्णकारों को निम्न प्रकार ऋण स्वीकृत किया गया :—

१० को ५०० रुपये प्रति व्यक्ति

२ को ६०० रुपये प्रति व्यक्ति

४ को ७०० रुपये प्रति व्यक्ति

२ को १,००० रुपये प्रति व्यक्ति।

*७०—श्री तेजसिंह—

[हटा दिया गया।]

कांस उत्पाटन

*७१—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कांस उन्मूलन योजना कब लागू की गई और कब और क्यों समाप्त कर दी गई है और कितनी अवधि तक इस योजना पर कार्य हुआ उसमें कितना धन व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह—

कांस उत्पाटन का कार्य सन् १९४७–४८ में आरम्भ किया गया और सन् १९५५–५६ के उपरान्त बन्द कर दिया गया क्योंकि अधिकांश किसान निर्धारित रेट से कांस उखड़वाई देने में असमर्थ थे। जितनी अवधि तक यह कार्य चला उसमें कुल १,२८,८६,९३४ रु० व्यय हुआ।

*७२—श्री भीखालाल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अधीन कितनी भूमि पर काय हुआ व जमीन के मालिकों पर कितना खर्च आयद किया गया और उसमें से कितना धन वसूल हुआ, कितना बाकी है ?

श्री चरणसिंह—

इस योजना के अधीन कुल २,१३,००१ एकड़ पर कार्य हुआ। जमीन के मालिकों पर १,२२,७२,८६४ रु० जुताई का खर्च लगाया गया और उसमें से ३१,५१,८७९ रु० वसूल हुआ। १०,९६,८१८ रु० की छूट दी गई और ८०,२४,१६७ रु० बकाया ह।

कृषि फार्मों पर व्यय

*७३—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि निम्नलिखित श्रेणी के राजकीय कृषि फार्मों पर १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में (१) गेहूं, (२) धान, तथा (३) गन्ना प्रति मन पैदा करने पर औसत क्या लागत (व्यय) क्या लगी,

(क) राजकीय कृषि फार्म,

(ख) राजकीय यांत्रिक कृषि फार्म ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*७४—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह ब्योरा देने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक (क) राजकीय कृषि फार्म तथा (ख) राजकीय यान्त्रिक कृषि फार्म पर कितना-कितना (१) आय, (२) व्यय, (३) हानि या लाभ हुआ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*७५—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में बीज प्रचार कृषि फार्म है और पिछले पांच वर्षों में इन फार्मों पर (१) कितना आय, (२) व्यय, (३) हानि या या लाभ हुआ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*७६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ में चांदगंज स्कीम

१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में आई० टी० कालेज होस्टल के सामने अलीगंज रोड पर, जो हरिजनों का मरघट है, उसमें १८६२, १८९२ और १९२४ के बदोबस्त के अनुसार कितने एकड़ आराजी थी और क्या लखनऊ महापालिका (विकास) की चांदगंज स्कीम (निरालानगर) की इजाजत देते समय न्याय विभाग के जी० ओ० सं० २२७३ XII –४१ डब्ल्यू–१५८, दिनांक ३१ जुलाई, १९६१ पर ध्यान दिया गया था? क्या सरकार इस जी० ओ० की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

लखनऊ शहर में आई ० टी० कालेज होस्टल के सामने अलीगंज रोड पर १८६२ के बन्दोबस्त में कोई भी आराजी हरिजनों के मरघट के नाम से अंकित नहीं है। १८९२ तथा १९२४ में इस स्थान का कोई भी बन्दोबस्त नहीं हुआ था। चांदगंज स्कीम की स्वीकृति सन् १९५८ ई० में दी गई थी। उस समय यह राजाज्ञा नहीं थी। अतः इस पर ध्यान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। राजाज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३२ पर)

२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त स्कीम में जो मरघट का हिस्सा बाकी रह गया है वह कितने बीघा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जैसा कि प्रश्न १ के उत्तर में कहा गया है उपर्युक्त स्कीम में कोई बन्दोबस्त मरघट नहीं है। केवल एक स्थान पर कुछ कब्रें हैं जिन्हें तार द्वारा घिरवा दिया गया है। घिरवाये गये स्थान का क्षेत्र फल केवल ३ बीघा १० बिस्वा ८ बिस्वांसी है।

३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार उन अफसरान के खिलाफ जिन्होंने मरघट को खत्म कराने की सिफारिश को और स्कीम की इजाजत दी, कड़ी कार्यवाही करने जा रही है? यदि हां, तो कब?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उपरोक्त स्कीम में किसी भी मरघट को अर्जित नहीं किया गया और न किसी अफसर ने सिफारिश ही की। अतः इस सम्बन्ध में किसी अफसर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रायबरेली जेल में पानी की टंकी की सफाई

४—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल, रायबरेली की पानी की टंकी साफ कराने के लिये सन् १९६३ से सन् १९६४ तक कितना रुपया खर्च किया गया है? क्या यह सही है कि टंकी न साफ कराने की वजह से पानी में कीड़े पड़ गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

पानी की टंकी की सफाई पर खर्चे का ब्योरा उपलब्ध नहीं है। टंकी की सफाई बन्दियों द्वारा कराई जाती है तथा वह चूने से पोती जाती है जिसका अलग से कोई हिसाब नहीं रक्खा जाता। टंकी साफ न होने के कारण पानी में कीड़े पड़ गए हैं सही नहीं है।

५—श्री कल्पनाथसिंह—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

बिसवां तथा रेउसा क्षेत्र में सीमेंट वितरण

६—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिसवां तथा रेउसा ब्लाक, जिला सीतापुर में ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट वितरण की क्या व्यवस्था है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बिसवां तथा रेउसा ब्लाक में सीमेंट वितरण व्यवस्था निम्नलिखित है :—

जिले में जितनी सीमेंट प्राप्त होती है उसका ७५ प्रतिशत जिला नियोजन अधिकारी को दे दिया जाता है। वही प्रत्येक ब्लाक को उचित मात्रा में वितरित करते हैं।

कुवाना वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिये प्रार्थना

७—श्री नवरंग सिंह (जिला गोंडा)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साउथ गोंडा फारेस्ट डिवीजन के वनाधीश ने कुवाना रेन्ज के नाजायज कटाव को रोकने के लिये सरकार से पुलिस गार्ड मांगी है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री चरणसिंह—

साउथ गोंडा फारेस्ट डिवीजन के मौजूदा वनाधीश ने कुवाना रेंज के नाजायज कटाव को रोकने के लिये अरण्यपाल, पूर्वी वृत्त से पुलिस गार्ड दिये जाने की प्रार्थना की है और इस विषय पर उप-अरण्यपाल, साउथ गोंडा व अरण्यपाल, पूर्वीय वृत्त में पत्र-व्यवहार हो रहा है।

८—श्री नवरंगसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साउथ गोंडा फारेस्ट डिवीजन के अन्तर्गत जनवरी, १९६३ से ३ फरवरी, सन् १९६४ तक कितनी लिखित शिकायतें नाजायज कटाव के सम्बन्ध में कन्जरवेटर या सरकार को प्राप्त हुई और उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

जनवरी, १९६३ से ३ फरवरी, १९६४ तक साउथ गोंडा डिवीजन में नाजायज कटान के सम्बन्ध में तीस लिखित शिकायतें कन्जरवेटर व सरकार को प्राप्त हुई। इनमें से २० शिकायतें प्रमाणहीन पायी गयीं। ४ शिकायती पत्रों में वर्णित शिकायतों के चालान काटे जा चुके हैं और वे मामले न्यायालय में चले गये हैं। एक मामले में कसूरवार को सजा भी हो गई है, ५ शिकायती पत्रों पर जांच हो रही है।

बांदा जेल

९—श्री मतोलासिंह—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल बांदा में १ जनवरी, सन् १९६४ ई० से १२ फरवरी, सन् १९६४ ई० तक कितने कैदी तथा कितने हवालाती हैं तथा उन हवालातियों व कैदियों में कितने-कितने कत्ल, डकैती, चोरी तथा फौजदारी के हैं ?

श्री चर्तुभुज शर्मा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८३३ पर)

१०—श्री मतोलासिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सन् १९६३ में दरी व कालीन कितने तादाद में व कितने मुरब्बे गज बिने गये और उनमें क्या खर्च पड़ा और बिक्री से क्या आय हुई यदि बढ़ईगीरी आदि का भी कार्य होता है तो उससे सन् १९६३ में क्या आय हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला कारागार, बांदा में वर्ष १९६३ में केवल १ दरी ७ फीट × ४ फीट की बनाई गई जिस पर १२ रुपये लागत लगी और वह १९ रु० ५० न० पै० में बिकी। वर्ष १९६३ में कोई कालीन नहीं बुनी गई और न बढ़ईगिरी का काम हुआ

११—श्री मतोलासिंह—

क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जेल अन्तर्गत खेती व सब्जी योग्य कितनी भूमि है और कितने मूल्य का अन्न तथा सब्जी १९६३ में पैदा हुई और कितनी अन्न व कितने दाम की सब्जी खरीदी गई ? यदि सब्जी न होने का कारण पानी की कमी है तब कुओं में बोरिंग कराके पंपिंग सेट द्वारा इस कमी को दूर कराने का सरकार द्वारा कोई विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कुल १२.५ एकड़ भूमि कृषि योग्य है जिसमें से ५.५ एकड़ में सब्जी बोई जाती है और शेष सात एकड़ में अन्य फसलें बोई जाती हैं। वर्ष १९६३ में ८,४५० रु० मूल्य की सब्जी और १४२ मन हरी चरी पैदा की गई थी। वर्ष १९६३ में ४०,७६४ रु० का अन्न तथा ४८० रु० की सब्जी बाजार से खरीदी गई थी। पानी की कमी को दूर करने के लिए एक नया कुंआ बनवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत निर्दिष्ट विषय के संबंध में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा आपसे एक निवेदन है, २८ तारीख से अब तक जो कुछ आपने किया है, जो केशव सिंह का वारंट विदड्रा कर लिया है और इस बीच में आप दिल्ली भी गये थे, तो इस संबंध में वकीलों की क्या राय है। उस संबंध में आप असेम्बली को पूरा विवरण प्रस्तुत करें तथा इस संबंध में हम लोगों की राय भी सुन लें। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि चीफ जस्टिस ने, जो सुप्रीम कोर्ट को प्रिसाइड करेंगे, हमारे विवाद में बम्बई में अपने भाषण में कहा है कि जो लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट के बीच में जो विवाद चल पड़ा है....

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, एजेंडा के नं० १० पर नियम ३१९ के खण्ड (१६ व १७) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की बात है, तो उस समय यह बात हो जायगी, उस वक्त आप पूछ लीजिएगा।

महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली में प्रख्यापित शुद्धि-पत्र

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा ऐसे अधिवेशनों में संपादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली में, नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५-म (शु० प०-१)/११-ग-१९-कार्प-५९, दिनांक ३ फरवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित शुद्धि-पत्र को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८३४ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र १९६४-६५ *

विद्युत उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र, १९६४-६५ को, एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २८ मार्च, १९६४ की बैठक में पारित

---

* छापा नहीं गया।

किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ३० मार्च, १९६४ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ मार्च, १९६४ को प्राप्त हो गई और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का ९ वां अधिनियम बन गया ।

राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये भूमि तथा भवन-कर के संबंध में याचिका

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री केदार नाथ गुप्त, श्री महेन्द्र प्रसाद, सदस्य नगरपालिका, श्री चन्दिका सिंह, श्री महावीर प्रसाद व श्रीमती गुलाइची देवी द्वारा दी गयी याचिका सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश, विधान सभा,

लखनऊ ।

मान्यवर,

हम हस्ताक्षरकर्ता नगरपालिका, गौरा बरहज, जिला देवरिया के रहने वाले हैं । यह नगर घाघरा के तट पर स्थिति बाढ़ कटाव पीड़ित नगर है और जल्द ही घाघरा में विलीन होने वाला है । पालिका के चुंगी के कारण यहां का व्यापार नष्ट हो रहा है । देश के बटवारे के कारण यहां का प्रमुख सौरा चीटे का व्यापार नष्ट हो गया है । पालिका के तहबाजारी नियम के अंदर कांग्रेसी नगरपालिका के राज में बाजारू दुकानों, तख्ता पटरा तथा मकानों पर बहुत अधिक कर है । इस बीच तथा कथित संकटकालीन स्थिति के नाम पर राज्य सरकार ने भूमि भवन-कर कानून लागू कर दिया है । जिस की वजह से नगरपालिका पर यह एक अतिरिक्त कर लग गया है जिसे देने में यहां की जनता पूर्णतया अक्षम्य है ।

यों तों पूर्वी जनपद भुखमरी का यों ही शिकार बना हुआ है उस पर ऐसे कर जले पर नमक का कार्य कर रहे हैं ।

अतः आप से निवेदन है कि आप भूमि भवन-कर कानून इस नगरपालिका से समाप्त करने की कृपा करें । इस हेतु सेवा में यह याचिका प्रस्तुत है । प्रार्थी हैं---केदारनाथ गुप्त, महेन्द्र प्रसाद, सदस्य नगरपालिका, चन्द्रिका सिंह, महावीर प्रसाद, गुलाइची देवी ।

श्री अध्यक्ष---

इसको मैं याचिका समिति के सुपुर्द करता हूं ।

विधायकों के वेतन और भत्ते की वृद्धि के विरोध में श्री राजनारायण द्वारा अनशन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास ३ कार्यस्थगन प्रस्ताव आये हैं, यह माननीय उग्रसेन, राधेश्याम, चन्द्रबलीसिंह, काशीनाथ मिश्र, गयाप्रसाद तथा शिवनाथसिंह जी का है और एक माननीय काशीनाथ मिश्र का अलग से है । विषय इन का एक ही है । मैं इनको पढ़कर सुनाये देता हूं लेकिन मैंने इनको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, जब आपने इनको स्वीकार ही नहीं किया हैं तो इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, वह तो केवल पब्लिक प्रोपेगेंडा के लिये हैं और पोलिटिकल लीडरशिप के लिये है।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि "सामान्य जनता का जीवनस्तर नहीं उठाया गया, छोटे-छोटे कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा, इसके अतिरिक्त लगातार बढ़ती हुई महंगाई और अकाल की स्थिति में राज्य सरकार ने जिस ढंग पर विधायकों के वेतन और भत्ते की वृद्धि का विधेयक पास कराया उसके संबंध में भारतीय संविधान के अन्दर निर्मित प्रथम विधानसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता और सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री को दो पत्र लिखा। मुख्य मंत्री ने आज तक एक भी पत्र का उत्तर नहीं दिया। फलस्वरूप श्री राजनारायण जी ने गत ३१ मार्च, सन् ६४, प्रातः ६ बजे से अनशन आरम्भ कर दिया है। आदि..... यह उनका.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं एक निवेदन आपसे कर लूं कि उस समय माननीय राजनारायण जी स्वयं माननीय मुख्य मंत्री से मिले लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो विधेयक पास हो चुका है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि वह चल रहा है, पत्र भी उन्होंने लिखे लेकिन कुछ उत्तर नहीं दिया गया। अब उनका २९–३० पौंड वजन भी घट चुका है, इसलिये इस गंभीर परिस्थिति में इस पर विवाद होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, मैं उसे अस्वीकार कर रहा हूं अब सदन का जो एक विनिश्चय हो चुका है उसके विरुद्ध कोई कार्यस्थगन प्रस्ताव आ नहीं सकता। यह बिलकुल अनियमित है। जो कुछ बातें कही जा सकती थीं वह सब कही जा चुकी हैं और सदन ने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ विचार कर के अपना निर्णय दिया है और अब उस पर पुनर्विचार नहीं होगा।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, एक मिनट के लिये मेरी बात सुन ली जाय। वह यह है कि जिस समय माननीय संसदीय मंत्री ने इस कानून को पेश किया था तो उन्होंने यह आश्वासन सदन में दिया था कि जो व्यक्ति या दल इससे लाभ नहीं उठाना चाहते उन पर इस विषय में कोई पाबन्दी नहीं है, अगर कोई चाहें तो यह बढ़ा हुआ भत्ता और वेतन न लें। इस पर उस समय सोशलिस्ट पार्टी ने सदन से वाक आउट किया था तो क्या उन्होंने यह लिख कर दिया था कि हम इस विधेयक से लाभ नहीं उठायेंगे। इस प्वाइंट पर क्लेरिफिकेशन मैं चाहता हूं आप उन से दिला दें।

एक सदस्य—

जो टैक्स लगाये गये हैं वह भी हमसे न लिये जायं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, अभी पायनियर में कार्टून निकला है जिसमें दिखाया गया है कि फर्स्ट क्लास के जो जिनुइन पैसेंजर वहां बैठे हैं उनको मिश्रा जी ऐसे लोग वहां से धकिया रहे हैं और वह कह रहे हैं कि अभी तो वह पहली तारीख से लागू होगा। हम सोशलिस्ट दल के लोग एक भला काम करना चाहते हैं। माननीय राजनारायण जी अनशन कर रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। हम सोशलिस्ट दल के सदस्य इस के विरोध में दस मिनट के लिये सदन से वहिर्गमन करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मिश्रा जी ने सिर्फ यह कहा है कि आप (सोशलिस्ट) सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं या घोषणा भी कि हम इससे लाभ उठाना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री जे० पी० मिश्र--

श्रीमन्, यह सिर्फ प्रोपेगेंडा की बात है और कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष--

प्रोपेगेंडा की बात छोड़ दीजिए। आपने जो चुनौती दी है अगर...

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)--

मैं स्वयं निवेदन करता हूं कि मैं बढ़े हुए भत्ते और वेतन को नहीं लूंगा।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत अनेक सूचनाएं आई हैं। मैंने श्री नरसिंहनारायण जी की कार्य-स्थगन की सूचना केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की है। यह खाद्य मंत्री से संबंधित है। इसमें केवल यह ही दिया हुआ है कि किसी भी दुकान पर चावल नहीं मिलता है। माननीय खाद्य मंत्री, इस संबंध में आप कब वक्तव्य देंगे ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

मिलता है, लेते नहीं। परसों दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप परसों अपना वक्तव्य दे दीजिएगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय टम्बेश्वरप्रसाद और हरिनाथ तिवारी की मैंने स्वीकार की है। सूचना, सचिव, विधान सभा पढ़ दें।

माननीय नेकराम जी की सूचना है कि अलीगढ़ में वकील लोग अनशन कर रहे हैं, वह मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेज दी है।

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, सरकार द्वारा खाद्यान्न लाइसेंस आदेश, १९६४ की घोषणा से प्रदेश में खाद्यान्न व्यापार के लिये एक भीषण संकट की स्थिति पैदा हो गयी है। सरकार द्वारा थोक व्यापारियों से १ हजार तथा फुटकर व्यापारियों से २५० रुपयें जमानत के लिये जायेंगे। यह भी बन्धन लगाया गया है कि थोक व्यापारी अपना माल थोक व्यापारी को नहीं बेच सकेगा। इसका परिणाम यह हुआ है कि मेरठ आदि अतिरिक्त उत्पादन क्षेत्र का गल्ला पूर्वी जिले के अभाव ग्रस्त क्षत्रों में इसलिये नहीं जा सकेगा क्योंकि फुटकर व्यापारी के पास इतनी रकम नहीं है कि गाजीपुर का फुटकर व्यापारी मेरठ से सीधे गल्ला खरीद सके। इससे खाद्यान्न व्यापार में बड़ा गतिरोध पैदा हो जायगा। फुटकर व्यापारी के पास इतनी पूंजी नहीं है कि २५० रुपये जमा कर सके।

[सचिव, विधान सभा]

कानून के बन्धनों से व्यापारी इतना अधिक जकड़ गया है कि स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। इससे प्रदेश के लगभग ४० हजार गल्ला व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। उक्त आदेश से व्यापारी तथा उपभोक्ता सभी में सरकार के प्रति घोर असंतोष, उत्तेजना तथा रोष की भावना व्याप्त हो रही है। उत्तेजना इतनी बढ़ गयी है कि उक्त आदेश के विरोध स्वरूप ९ अप्रैल, ६४ को संपूर्ण व्यापारियों ने पूरे प्रदेश में हड़ताल रक्खी।

अस्तु, लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

इसी संबध में एक माननीय रामकिशोर त्रिपाठी जी की सूचना है।

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में माननीय मंत्री जी, आप कब वक्तव्य देंगे ?

श्री जगगोहनसिंह नेगी--

१६ को रख दीजिए।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, मैंने भी एक दफा ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी रेल दुर्घटना के बारे में जिसमें कहा था कि प्रदेश में फिफ्थ कालयुमिनस्ट होने के कारण अभी हाल में देहरादून से आती हुई "दून एक्सप्रेस" की दुर्घटना हुई है। उसमें आपने क्या किया है ? वह एक महत्वपूर्ण समस्या है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोगों ने नियम ५२ के अन्तर्गत महत्वपूर्ण ही समझकर सूचनाएं दी हैं। लेकिन जो मेरी समझ में आयी, उनको मैंने स्वीकार कर लिया है। अगर आप समझते हैं कि वह महत्वपूर्ण है तो आप मुझ से आकर बातचीत कर सकते हैं, उस पर बातचीत हो जायगी।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

एक मेरा नियम ५२ में था मालगुजारी के संबध में, जो फसल खराब हुई है ओले से...

श्री अध्यक्ष--

आप एक दल के नेता हैं, आपसे क्या कहूं ? आप आकर मिल लीजिए। बारिश, सूखा तथा ओला, इस पर काफी बहस हो चुकी है। अगर विशेष बात होगी तो हम देख लेंगे।

श्री नत्याराम रावत (जिला बाराबंकी)--

नियम ५२ में मेरा भी प्रश्न था। वह बहुत महत्वपूर्ण था।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के बारे में अब बातचीत नहीं होगी। आप मेरे कमरे में आकर बातचीत कर लीजिए।

राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत निर्दिष्ट विषय के सम्बन्ध में जानकारी—(क्रमागत)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

प्रेसीडेंट ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दिया है। मेरा निवेदन यह है कि यह बिलकुल न्यायसंगत नहीं है कि जब जुडीशियरी से लेजिस्लेचर का विरोध हो तो वह मामला प्रेसीडेंट जुडीशियरी के समक्ष प्रस्तुत कर दें। संबंधित १४३ में कोई भी मामला प्रेसीडेंट सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं अगर जुडीशियरी से उसका कांफ्लिक्ट न हो, लेकिन यहां तो जुडीशियरी से सीधा कांफ्लिक्ट लेजिस्लेचर का है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन के सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दें और कोई समय रात में अथवा सेशन एक दिन बढ़ा कर निश्चित करें। माननीय नेताओं से आपने बातचीत की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बंबई में अपने एक वक्तव्य में स्पष्ट कहा है, मैं पढ़े देता हूं "But unfortunately some legislatures had developed a feeling that they were sovereign." कुछ लेजिस्लेचर्स ने यह समझ लिया है कि वे सावरेन हैं जब कि वे सावरेन नहीं हैं। जब चीफ जस्टिस के विचाराधीन यह मामला हो और इस तरह के विचार वह व्यक्त करें तो मेरा निवेदन है कि आप प्रेसीडेंट को सदन की तरफ से लिखें कि इस मामले में चीफ जस्टिस को प्रेसाइड नहीं करने देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मेरा निवेदन पहले आप सुन लें। मैंने पहले विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित किया, तदुपरान्त विभिन्न दलों के नेताओं तथा जिन्होंने इस विषय में अपनी अभिरुचि दिखाई थी, उनको आमंत्रित किया और उनसे बातचीत की। इस सदन में बैठकर बहस मुबाहिसा नहीं होना चाहिये और जो भी आपको दिक्कत हो, आप मुझसे मिल लें और हम १०, ५ आदमी बैठकर बातचीत कर लें और अगर फिर भी आपको संतोष न हो और यह परमावश्यक हुआ कि सदन में विचार किया जाय, तो हम उस पर भी गौर कर लेंगे। लेकिन मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि जिस गौरव से हमें बैठना चाहिये उसी गौरव से बैठें, जिस गंभीरता से बातचीत करना चाहिये उसी गंभीरता से बातचीत करें और मैं यह स्पष्ट कह रहा हूं, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं कि अगर कोई मतभेद लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच पैदा हो जाय तो हम न लेचिस्लेचर को बुरा कहें और न जुडिशियरी को बुरा कहें, दोनों का आदर समाज में रहना चाहिये, यह मेरी प्रार्थना है। तो हम लोग बैठ कर इसके ऊपर अलग विचार कर लें, यहां कोई प्रश्न न पूछा जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

यह स्वीकार है लेकिन...

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं कोई वैसी बात नहीं कहूंगा। एक बात मैं कह रहा हूं कि अभी शर्माजी के मुंह से यह बात निकली कि झगड़ा खड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको इस दृष्टि से विचार करें कि हम सब इसी देश के..

श्री अध्यक्ष—

फिर वही भाषण होने लगा। मैं तो खुद कह रहा हूं कि कोई विवाद नहीं है....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूं। यह एक विचार जब उत्पन्न होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के एक अंग से ही झगड़ा हो....

श्री अध्यक्ष—

फिर बहस शुरू हो जायगी। आप मुझसे मिल लें। अब मैं इस संबंध में सारे प्रश्न रूल आउट करता हूं। मुझसे मिलने पर अगर आपको संतोष न हो तो यहां बहस कर लीजिएगा। आप जो कहेंगे, मैं वही करूंगा कृपा करके आप मेरी बात मानिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

एक मिनट का सिर्फ निवेदन है कि अभी अखबारों में आया है कि आपने कुछ लंदन के वकीलों को....

श्री अध्यक्ष—

फिर वही बात आपने शुरू कर दी। लंदन वगैरह की कोई बात नहीं है। हमारे देश में अच्छे वकील हैं। अगर नहीं होंगे तो देखा जायगा। अब इस संबंध में सारी बातें रूल आउट। (श्री दीपनारायणसिंह के खड़े होकर कुछ बोलने पर) श्री दीपनारायणसिंह जी, आप कृपा कर के बैठ जाइये।

शारदा कैनाल के लखनऊ व बाराबंकी डिवीजनों में पानी के अभाव के संबंध में वक्तव्य

*विद्युत उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

यह सत्य है कि शारदा नहर के लखनऊ और बाराबंकी डिवीजनों में पानी का अभाव रहा है जिसका मुख्य कारण शारदा नदी में, जिससे शारदा नहर निकलती है, पानी की कमी है।

जौनपुर शाखा द्वारा प्रतापगढ़ तथा हैदरगढ़ शाखा से लखनऊ डिवीजनों में सिंचाई की जाती है। इन दोनों शाखाओं का कार्यक्षेत्र पृथक-पृथक डिवीजनों में है। उपलब्ध जलराशि का वितरण दोनों डिवीजनों की आवश्यकतानुसार होता है। जौनपुर और हैदरगढ़ शाखाओं में प्रति दिन औसत बहाव संबंधी उपलब्ध आंकड़ों को देखने से ज्ञात हुआ है कि जुलाई, सितम्बर तथा अक्तूबर, १९६३ में हैदरगढ़ शाखा को जौनपुर शाखा की अपेक्षा अधिक पानी दिया गया था जबकि इस शाखा की क्षमता केवल ४५५ क्युसेक्स है तथा जौनपुर शाखा की क्षमता ६३० क्युसेक्स है। हैदरगढ़ शाखा में अप्रैल, मई, जून, १९६३ तथा जनवरी व फरवरी, १९६४ में पानी इसलिये कम छोड़ा गया कि जौनपुर की शाखा पर गन्ने का क्षेत्र उपरोक्त शाखा से अपेक्षाकृत अधिक है और उस क्षेत्र की सिंचाई करना इन महीनों में अत्यावश्यक था। जौनपुर शाखा पर ६,००० एकड़ गन्ने की सिंचाई हुई जब कि हैदरगढ़ शाखा पर केवल १,७५१ एकड़ गन्ने की फसल को पानी दिया गया। इस आधार पर जौनपुर शाखा को हैदरगढ़ शाखा से कहीं अधिक पानी दिया जाना चाहिये था जो वास्तव में उपलब्ध जल की मात्रा में कमी के कारण नहीं दिया गया। अतः यह धारणा सही नहीं है कि प्रत्येक शाखा पर निर्धारित जलराशि के अनुसार पानी का वितरण किया जाता है।

बाराबंकी शाखा को ५१ दिन तक पूर्ण क्षमता तथा ४० दिन अपूर्ण क्षमता से नदी में पानी की उपलब्धता के अनुसार चलाया गया। इसी प्रकार नवाबगंज रजबहे को भी ४९ दिन पूर्ण क्षमता तथा ३६ दिन अपूर्ण क्षमता से चलाया गया। बाराबंकी डिवीजन की अन्य शाखाओं को भी जहां तक सम्भव था, पूर्ण क्षमता से चलाय गया। नहरों की सफाई का समुचित प्रबन्ध किया गया तथा सन् १९६२-६३ व १९६३-६४ में क्रमशः १०,५२० तथा १,०५,१७५ रुपया व्यय हुआ। जहां तक नवाबगंज रजबहे के टेल तक पानी पहुंचने का प्रश्न है, टेल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक पानी पहुंचने में कुछ कठिनाई अवश्य हुई और उसकी विशेष सफाई के लिये आदेश दिये जा चुके हैं। अन्य सब नहरों के टेल तक यथासम्भव पानी पहुंचा कर सिंचाई की गई।

पानी की कमी के कारण विशेष रूप से हुई क्षति की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। शीत लहरों तथा पाले के कारण गेहूं तथा जौ की फसल को क्षति अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी पहुंची है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं एलाऊ तो किये देता हूं, लेकिन यह कोई प्रिसीडेंस नहीं होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, जौनपुर शाखा का जिक्र किया गया है। मैं सूचना देना चाहता हूं कि जौनपुर क्षेत्र में नहरों से जायद फसल अभियान के संबंध में पानी देने के लिये कहा गया था। लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण हजारों एकड़ की फसल कोदो, सावां वगैरा सूख रही है और मूंग की बुवाई भी समय से नहीं हो पा रही है। इसलिये क्या वे मेहरबानी करके जौनपुर शाखा को आदेश देंगे तथा जायद फसल की सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध करायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

इसका ध्यान रखें, जवाब देने की जरूरत नहीं है।

कृषि उत्पादन मंडी विधेयक पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति का कार्यकाल, जो १६ अप्रैल, १९६४ को समाप्त हो रहा है, दिनांक १५ जुलाई, १९६४ तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, कारण तो बता दें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, जितना कार्य समिति को करना था वह काफी बैठने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिये अधिक समय की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति का कार्यकाल, जो १६ अप्रैल, १९६४ को समाप्त हो रहा है, दिनांक १५ जुलाई, १९६४ तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि–विकास बैंक विधेयक, १९६४†

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)––

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्,.....

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)––

श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि इसके उद्देश्य और कारणों में दिया है कि "भारतीय खेतिहर बहुत समय से इस बात की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं कि किसानों को विशेषत: भूमि का स्थायी रूप से सुधार करने और खेती के अपेक्षाकृत अच्छे तरीके प्रचलित करने के निमित्त दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था की जाय । इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये सहकारी भूमि विकास बैंक सर्वोत्तम अभिकरण हैं । ऐसे सहकारी भूमि-विकास बैंक, कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन सहकारी समितियों के रूप में निबद्ध किये जा सकते हैं । किन्तु ऐसे बैंकों की स्थापना तथा कार्य संचालन को सुकर बनाने के लिये कुछ अन्य उपबन्ध भी जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट में नहीं हैं, आवश्यक हैं । कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट जो इनफोर्स्ड है उसमें अमेंडमेंट किये बगैर इस विधेयक का एनफार्समेंट नहीं किया जा सकता । जब तक उस विधेयक को अमेंड न किया जाय तब तक ऐसा विधेयक नहीं लाया जा सकता जो कि उस विधेयक के कंट्रेडिक्टरी हो । और कोई बिल नहीं प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट को अमेंड किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष––

"किन्तु ऐसे बैंकों की स्थापना तथा कार्य-संचालन को सुकर बनाने के लिये कुछ अन्य उपबन्ध भी जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट में नहीं है, आवश्यक हैं । इसलिये इन बैंकों के कार्य-संचालन को सुकर बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है"..... इसका अर्थ यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट में इसका प्राविजन नहीं है जिसके कारण ऐसे बैंकों को सुचारु रूप में चलाने में अड़चन पड़ सकती है इस वजह से बना रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव––

इसमें एक बात यह है कि एक इक्जिस्टिंग ला है, अगर उस कानून में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना है तो उसमें अमेंडमेंट करना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष––

आप का आइडिया जो है वह मौलिक है । उसमें संशोधन होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन उनको इसी में सुविधा है । तो उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव––

"सब्जेक्ट टु दि प्राविजन्स टु दि कंट्रेरी", जब तक न हो तब तक नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष––

अगर कहीं कानफ्लिक्ट होगा क्लाज में, तो देख लेंगे ।

श्री बनारसीदास––

माननीय कमलासिंह जी ने इस विधेयक के संबंध में जो आपत्ति की, १९६० में कोआपरेटिव विधेयक पर इस सदन में विचार किया गया और सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया । सेलेक्ट कमेटी ने जहां तक लैंड डेवलपमेंट बैंक की धाराओं का प्रश्न है उन पर सेलेक्ट कमेटी ने

---

†३० मार्च, १९६४ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई आपत्ति नहीं की। क्योंकि १९६० के बाद असेम्बली का काल खत्म हो गया, इसलिये यह विधेयक सामने नहीं लाया जा सका। अब चूंकि लैंड मार्टगेज बैंक का पारित होना आवश्यक है, कोआपरेटिव बैंक को पूर्ण रूप से पारित करने में काफी समय लगेगा, इसलिये विकास की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए इस विधेयक को सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

सन् १९५७ में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ला कमीशन मुकर्रर किया था और उसकी सिफारिश के मुताबिक इस तरह से लैंड डेवलपमेंट बैंकों की स्थापना तमाम हिन्दुस्थान में हुई। माननीय कमलासिंह जी की आपत्ति इसलिये उचित नहीं है क्योंकि यह इसी प्रदेश तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब, आदि अन्य सूबों के अन्दर इस तरह के लैंड डेवलपमेंट बैंक्स कायम किये जा चुके है। ये माडल बैंक की रूप रेखा के अनुसार ही बनाये गये हैं। इस विधेयक के उद्देश्यों के अन्दर साफ कहा है कि जो कोआपरेटिव ऐक्ट इस वक्त है वह इसका अनुपूरक होगा क्योंकि इस प्रकार के खासतौर से अधिकार कोआपरेटिव ऐक्ट के अन्दर नहीं थे इसलिये इसको पृथक से लाने की आवश्यकता महसूस की गयी सार्वजनक हित में। तो कानूनी दृष्टि से इसको स्टैट्यूट बुक पर लाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो नहीं सकती।

अब मैं इस विधेयक की कुछ विशेषताओं के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। जैसा मैंने अर्ज किया कि सन् १९६० में सदन में इस पर विचार हुआ। सेलेक्ट कमेटी ने भी इस बिल की धाराओं के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की। लैंड डेवलपमेंट बैंक कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के मातहत रजिस्टर किया जा चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन १२-३-५९ को हुआ। इसका कार्य संचालन जुलाई, १९६० से शुरू हुआ और उसी साल २ हजार रुपये का लोन वितरित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लांग टर्म लोन १० करोड़ रुपये देने की व्यवस्था है। अब तक १,७८,३१,७५२ रुपये का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। १,१०,९६,१५८ रुपया काश्तकारों में बांटा भी जा चुका है। योजना के अनुसार ६३-६४ में हमारा लक्ष्य यह था कि साढ़े ३ करोड़ रुपये किसानों को भूमि सुधार के लिये और दूसरे उपकरणों के खरीदने के लिये तथा उन्नति खेती के तरीके का अख्तियार करने के लि दिये जा सके लेकिन इस धनराशि में से १,१०,९६,१५८ रुपये की धनराशि ही वितरित की जा सकी है। मौजूदा वर्ष अर्थात् ६४-६५ में हम चाहते हैं कि ढाई करोड़ रुपये का लोन किसानों को लम्बी मुद्दत के लिये दिया जा सके और पिछला लोन भी जो दिया जा सके, दिया जाय। इसी तरह से ६५-६६ में हम चाहते हैं कि ४ करोड़ रुपये का ऋण दे सकें। इस तरह से कुल मिलाकर १० करोड़ रुपये का ऋण दिया जा सकता है। तो लैंड मार्गेज बैंक काश्तकारों को इस प्रकार से ऋण देने के लिये डिबेंचर्स फ्लोट करती है। हमरे लैंड मार्गेज बैंक ने २ मर्तबे डिबेंचर्स फ्लोट किये हैं। एक मर्तबे ३५ लाख रुपये का और दूसरी मर्तबे ४५ लाख रु० के। वे पूरी तौर से सब्सक्राइब हुए। इससे मालूम होता है कि कितना बड़ा फाल्फीडेंस इस बैंक पर जनता का इस प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के अन्दर है। लैंड मार्गेज बैंक ने किसानों को लम्बी मुद्दत के लिये कर्ज देने के लिये जो डिबेंचर्स फ्लोट किये उनको अदायगी के लिये गवर्नमेंट यू० पी० ने गारन्टी दी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य भूमि विकास और उत्पादन वृद्धि के अन्दर है क्योंकि मई में काश्तकारों को विशेष तौर से कर्ज की आवश्यकता होती है तो उसके लिये कोआपरेटिव बिल के अन्दर संशोधन लाने की प्रतीक्षा किये यह विधेयक हम पारित करें ताकि काश्तकारों को मई के महीने में लम्बी मुद्दत के लिये कर्ज देने में आसानी हो। इसलिये यह विधेयक सदन के विचारार्थ, प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे कि किसानों को शीघ्र से शीघ्र लम्बी अवधि के लिये कर्जा लेने में आसानी हो खासतौर से मई के महीने में।

(इस समय १२ बजकर ४० मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

[श्री बनारसीदास]

रजिस्ट्रेशन में जो कठिनाइयां होती है, इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद वह नहीं रहेंगी। जहां तक स्टाम्प ड्यूटी का सवाल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको प्रोत्साहन देने के लिये ५ हजार रुपये तक के कर्जों को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त कर दिया है और ५ हजार से ज्यादा की धनराशि पर स्टाम्प ड्यूटी आधी कर दी है जिससे किसानों को ऋण लेने में आसानी हो और जमीन के सुधार के लिये बिना ब्याज के वह कर्जा अदा कर सके और ट्रैक्टर तथा माइनर इर्रीगेशन या अन्य साधनों को भूमि सुधार के लिये जुटा सकें। यह ऐसा विधेयक है जिससे किसानों को अपनी जमीन का सुधार करने में आसानी होगी। आजकल कोआपरेटिव बैंक से शार्ट टर्म लोन जो किसान लेते हैं उससे एक प्रकार से इस ध्येय की पूर्ति नहीं होती है लेकिन यह कर्जा ऐसा है कि इससे उनकी जरूरत पूरी हो सकेगी और किसानों को उत्पादन करने के अन्दर यह मदद देगा। इससे किसान ४, ५ साल के लिये अपनी योजना बना सकेगा और उसके लिये कर्जा प्राप्त कर सकेगा। कुएं बनाना, ट्रेक्टर लेना, भूमि का सुधार करना और दूसरे कार्यों के अन्दर वह मदद कर सकेगा। ऐसे कर्जे की सुविधा से वह प्राप्त कर सकेगा जिसका अभी तक अभाव था। इसी प्रकार से जिले जिले के अन्दर लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जा चुकी है और वह इस समय कार्य कर रहा है। वह लोन भी वितरित करता है। अब भी वह इस कार्य को कर सकता था लेकिन जितनी तेजी से हम काम करना चाहते थे उतनी तेजी से लोन वितरित नहीं कर पाते थे उसका कारण यह था कि हमारे सामने कुछ अड़चनें थीं जिसकी वजह से तेजी से हम नहीं चल पाते थे। इसलिये यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है और मुझे आशा है इस विधेयक की आवश्यकता को देखते हुए कि मई, जून में उनको रुपया उपलब्ध हो सके, यह सदन इस पर विचार करेगा और इसको पारित करेगा।

* श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिससे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन ३ मास में प्रस्तुत करें।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है लेकिन अब हम यह देखें कि सहकारिता विभाग ने जो कार्य अभी तक किया देहात या शहरों में तो उसको देखकर हमें निराशा होती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां तक इसके ध्येय का संबंध है माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कृषि विकास के लिये और किसानों के विकास के लिये यह विधेयक लाया गया है लेकिन अगर हम कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट, १९१२ को देखें तो इसमें यह लिखा है कि:

"With the expansion of co-operation in various fields of economic activity as also the resolution that has taken place in the agricultural economy as a result of the abolition of Zamindari system necessity for amendment in the co-operative societies Act, 1912, has become imminent."

इस तरीके पर जमींदारी अबालिशन के बाद यह समस्या आई कि अमेंडमेंट किया गया। उसके जरिये यह देखा गया कि जहां तक भूमि विकास का संबंध था सीरदार के काश्तकार को कोई हक नहीं था कि वह जमीन को कहीं पर रख सके या उस पर कर्जा ले सके। इस वजह से वह संशोधन लाया गया लेकिन उसकी आड़ में अब यह दूसरा शिकार किया जा रहा है। असल ध्येय जो कोआपरेशन का है वह यह है कि प्रोडयूसर और कन्जूमर के बीच, परचेजर और सप्लायर के बीच जो दिक्कत सामने आई है, जो कानपिलकिटंग कठिनाई सामने आई हैं उनसे बचने के लिये कोआपरेशन की स्थापना की गई। यह श्रीमन्, मानी हुई बात है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोग्रापरेशन के जरिये हम किसी तरह का भी आन्दोलन कर सकते हैं और लोगों का उत्थान भी कर सकते हैं और सरकार उसमें बाधक नहीं होती। अगर हम किसी प्रकार का एक्स-प्लायटेशन दूर करना चाहते हैं तो वह इसके द्वारा संभव है।

इस तरह से कोग्रापरेशन हमारे लिये एक बढ़िया चीज है। इससे देश की गरीबी दूर की जा सकती है और आर्थिक स्तर उठाया जा सकता है। लेकिन हम जब उसका प्रेक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं तो हमारे सामने कई कठिनाइयां आती हैं। गांवों में जो सोसाइटियों की स्थापना हुई है उनके द्वारा हम किसानों को रुपया देते हैं उनको अपने साधन बढ़ाने के लिये, लेकिन जब वह रुपया किसान ले जाता है तो वह उससे अपने साधन नहीं खरीदता वरन उसे अपने दूसरे कामों में लाता है और नतीजा यह होता है कि उस पर कर्ज लदता चला जाता है। मंत्री जी कह सकते हैं कि हमने सोसाइटियों के जरिये किसानों को धन दिया है और इस प्रकार उनकी रक्षा की है, लेकिन उन सोसाइटियों को देखने से मालूम होगा कि वहां केवल कर्ज का रिन्यूअल ही होता है। किसान की ताकत वह कर्ज अदा करने की रहती नहीं। वहां केवल पेपर ट्रांजेक्शन ही हुआ करता है। जो रुपया वे अदा करते हैं वही दो दिन बाद उनको दे दिया जाता है। वे उस पैसे से न बैल खरीदते हैं, न बीज और न कोई और अन्य सामान। तो अगर आप किसानों की वास्तव में उन्नति करना चाहते हैं तो वह रुपया उनको साधन खरीदने के काम में ही आपको लगवाना चाहिये। मैंने एक प्रश्न यहां खाद के बारे में पूछा था। मैंने देखा कि है कि उसमें २३ परसेंट और मिक्सचर में तो २०१ परसेंट तक मुनाफा कोग्रापरेटिव विभाग ने लिया है। अगर कोग्रापरेशन को रोजगार का साधन बना लिया जाय तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा।

"Co-operation is a moral movement and is based on character. It does not seize the property of others. It touches no man's property."

कोग्रापरेटिव के जरिये हम किसी पर अनधिकार चेष्टा नहीं करते।

इस विधेयक में एक बहुत ही अच्छी चीज रखी गयी है कि किसान को हम कर्जा दें और वह भी लांग टर्म के लिये दें। वह उस कर्जे को लेकर जो कुछ कृषि के लिये जरूरी चीजें हैं उनको खरीदकर उनका उपयोग करेगा। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इसकी बहुत सी धारायें कंट्राडिक्टरी हैं और उससे किसानों का बड़ा अनर्थ हो सकता है। इस विधेयक के अनुसार अगर कोई किसान कर्जा लेगा तो फिर वह दूसरी जगह से कर्जा नहीं ले सकता। फिर उसमें समय की भी कोई लिमीटेशन नहीं है। नतीजा यह होगा कि किसानों की थोड़ी थोड़ी करके जमीन खरीद ली जायेगी और वह किसानों को मुहइया नहीं हो पायेगी।

श्री अधिष्ठाता—

सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

सीलिंग ऐक्ट को इसलिये एवायड किया गया है कि कोग्रापरेशन के जरिये हम ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद सकें। इस तरह से एक दिन वह आयेगा उत्तर प्रदेश की सारी जमीन कोग्रापरेटिव बैंक खरीद लेगा और किसान उससे महरूम रह जायेंगे। अंग्रेजों के जमाने में यह कहा जाता था कि किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में ही मर जाता है। जिसने सोसाइटी से कर्जा एक बार ले लिया वह चुकता नहीं हो पाता। इसलिये इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है। कोग्रापरेटिव बैंक अगर जमीन ले तो उसके लिये समय की एक सीमा

[श्री कमलासिंह यादव]

होना चाहिये, कोई लिमिटेशन होना चाहिये। सीलिंग से अगर बरी करें तो यह जरूरी है कि हम इसके लिये कोई प्राविजन लगा दें। जिसके अनुसार एक समय के अन्दर एक चीज को दूसरे काश्तकार को बेंच सकता है।

मंत्री जी ने बताया कि वे मई के महीने में कर्जा देना चाहते हैं लेकिन किसानों से मालगुजारी मार्च के महीने में ही वसूल की जाती है, जब कि उसकी फसल खेतों में ही खड़ी होती है। इसलिये सरकार को यह सहूलियत जरूर देनी चाहिये कि वह अपनी जमीन को मारगेज करके मालगुजारी का रुपया या अपना कर्जा अदा कर सके। इसके अलावा बैंक को इस विधेयक के जरिये यह अधिकार दिया गया है कि वह मारगेज को रिफाल कर सकता है लेकिन डिबेंचर होल्डर को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं कि वह अपनी लैंड को, रुपया अदा करके छुटा सके। इसके द्वारा तो हम किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वह १० साल तक छुटा ही नहीं सकता। यह किसानों के लिये बहुत ही ज्यादा बाधक चीज होगी। इस विधेयक के अन्दर और भी बहुत सी खामियां हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी यह बतादें कि वे इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं या नहीं। अगर भेजना चाहते हों तो थोड़ा बहुत कह कर सब लोग समाप्त कर देंगे और सदन का अधिक समय न लगेगा।

श्री बनारसीदास---

यह ऐसा विधेयक है जिस पर पहले भी विचार हो चुका है इसलिये अब फिर सेलेक्ट कमेटी में इसके भेजे जाने का मतलब होगा कि हम जो चीज इसके द्वारा चाहते हैं वह हो ही न पाये। इसलिये इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कठिनाई है।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, यह प्रदेश खेतिहर प्रदेश है और भारत की आय का भी आधा हिस्सा खेती से ही आता है। लेकिन अगर पैसे के इन्वेस्टमेंट को देखा जाय तो यह स्वयं सिद्ध है कि खेती में वही पैसा लगाया जाता है जिसके लगाने की कहीं और गुंजायश नहीं होती। पैसा लगाने की दो बड़ी ऐजेंसीज हैं। एक शेड्यूल्ड बैंक से है। उसके सन् ५४ और ६३ के आंकड़े मेरे पास हैं। सन् ५४ में शेड्यूल्ड बैंक ने १९० करोड़ रुपया इंडस्ट्री में लगाया, २७० करोड़ कामर्स में लगाया और सिर्फ साढ़े चार करोड़ खेती में लगाया। सन् ६३ में इन्डस्ट्रीज में १९० करोड़ के बजाय ९२१ करोड़ यानी चौगुना हो गया और कामर्स में २७० करोड़ के बजाय ४४४ करोड़ हो गया और खेती का साढे ४ करोड़ से घटकर ४.१ करोड़ हो गया।

दूसरी एजेंसी सरकार की है। किसानों के ऊपर जो कर्जा है उसके संबंध मे सन् ५१-५२ में रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट जो निकली है उसके आंकड़ों से सिद्ध है कि ३.११ प्रतिशत रुपया सहकारी समितियों का लगा है और ७०-७५ प्रतिशत तक साहूकारों का रुपया लगा है। अब १० साल के बाद रूरल डेट ऐंड एनवेस्टमेंट रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है जिसमें यह बतलाया गया है कि सहकारी समितियों का जो रुपया है वह १५ प्रतिशत हो गया है। लेकिन साहूकारों का अभी भी ६५ प्रतिशत है। इससे दो बातें स्पष्ट है। बावजूद इस बात के कि किसानों को मदद करना इस देश का सबसे बड़ा काम है और बावजूद इसके कि हर प्रदेश की सरकारें इस तरह की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस कमेटी ने यह रिपोर्ट की कि इन सब बातों के बावजूद न तो किसान साहूकारों के चंगुल से छूटा है और न सूद की दर में कोई फर्क पड़ा। वह बात जो अभी माननीय कमलासिंह जी ने कही, उसकी मैं चर्चा नहीं करता, वह तो इसके अलावा है।

सेकेंड फाइव ईयर प्लान में कर्जे को तीन हिस्सों में बांटा गया एक शार्ट टर्म लोन, दूसरा मिडियम टर्म लोन और तीसरा लांग टर्म लोन। १५० करोड़ रुपया जो शार्ट टर्म लोन के लिये था वह पूरा रुपया खर्च हो गया, उसके बाद भी उससे कुछ ज्यादा खर्च हो गया।

५० करोड़ रुपया जो मिडियम टर्म लोन के लिये था उसमें से कुल भारतवर्ष में केवल १५ करोड़ रुपया ही बंटा, बाकी रुपया नहीं बंट सका। इन १५ करोड़ की भी तीन श्रेणियां हैं एक श्रेणी में वे प्रांत हैं जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया जैसे मद्रास, मैसूर, राजस्थान, पंजाब आदि। दूसरी श्रेणी में वे प्रांत हैं जिन्होंने ज्यादा अच्छा काम तो नहीं किया लेकिन कुछ अच्छा काम किया, उनमें आंध्र, मध्य प्रदेश और गुजरात आते हैं। और एक श्रेणी उनकी है जिन्होंने कुछ काम नहीं किया या बहुत खराब काम किया, उन्हीं में हमारा यह भाग्यवान प्रदेश है।

लांग टर्म लोन के लिये कुल २५ करोड़ रुपया था और यह २५ करोड़ रुपया प्लान की सीमा के पहले ही ४ साल में बंट गया और ४ साल के अन्त तक २८ करोड़ से ज्यादा रुपया लांग टर्म लोन में बंट गया। लेकिन खेद की बात है कि उस वक्त हमारे प्रदेश में भारगेज बैंक नहीं थे। वह रुपया ५ सूबों में ज्यादातर बंटा--मद्रास, मैसूर, आंध्र, गुजरात और महाराष्ट्र में। ६०-६१ में भी कुल ११ करोड़ के करीब रुपया लांग टर्म लोन में बंटा। उस ११ करोड़ में से भी ९१ प्रतिशत रुपया इन्हीं ५ सूबों में चला गया। इससे तो दो बातें सिद्ध हैं कि किसानों को पैसे की बहुत आवश्यकता है। इस समय मैं शार्ट टर्म लोन व मिडियम टर्म लोन की चर्चा नहीं करता क्योंकि लांग टर्म लोन से ही इस विधेयक का संबंध है। तो मेरा कहना है कि लांग टर्म लोन का जितना रुपया बंटा है उसमें से हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत कम हिस्सा मिला। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लांग टर्म लोन के लिये १५० करोड़ का टारगेट रखा गया था। खेद की बात है कि इसमें भी उन प्रदेश का टार्गेट केवल १० करोड़ है जो बहुत ही कम है। मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये उनसे मालूम होता है कि आजतक की हमारी प्रगति कोई अच्छी नहीं रही है। बहरहाल यह स्थिति है और ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है। इस बात की आवश्यकता है कि हर वह कदम उठाया जाय जिस से किसान की हालत सुधरे और वह साहूकार के चंगुल से निकले और उसको सूद की दर में रियायत मिले।

यह खेद की बात है कि जो संस्था किसान के सूद की कम करने की जिम्मेदार है उसी संस्था की खुद अपनी सूद की दर सारी अन्य संस्थाओं और स्थानों से ज्यादा है। शार्ट टर्म लोन में यू० पी० सारे सूबों से आगे बढ़ा हुआ है सूद की दर में। हमारे बीज गोदाम जहां से बीज सवाई पर दिया जाता है जिसके माने हैं कि वहां ३७-३८ प्रतिशत की सूद की दर आती है, यह उनका रिकार्ड है। जो प्लानिंग कमीशन की वर्किंग ग्रुप बनी थी उनका कहना था कि लांग टर्म लोन का सूद ४ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये। वह यह बात जानते थे कि इतना कम सूद अगर कोई बैंक लेगा तो वह तभी ले सकता है जब कि उसके पास काफी पैसा बिना सूद का हो और जब बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सहायता गवर्नमेंट से भी मिले और जो बैंक का रुपया मारा जाता है उस नुकसान को पूरा करने के लिये भी कुछ सहायता बैंक को मिले। इसलिये उन्होंने सिफारिश की थी कि सरकारों को इन बैंकों में रुपया रखना चाहिये बिना सूद के और बैंक के खर्च में एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार का भाग होना चाहिये और जो रुपया वसूल न हो उसका भी कुछ भाग सरकार को देना चाहिये। जो माडल कोआपरेटिव मिल बना था जिस के आधार पर यह विधेयक बनाया गया है उसमें भी इस बात की चर्चा है। आगे मैं उस की भी चर्चा करूंगा।

अब हम जो कर्जा किसानों को देते हैं वह लैंड डेवलपमेंट के लिये देते हैं, जमीन के सुधार के लिये। जिस जमीन का सुधार वह किसान करना चाहता है जोकि उसके पास है वह यकीनन ऐसी जमीन है जिसका सुधार नहीं हुआ है और उस जमीन की कीमत भी कम है। तो कम कीमत वाली जमीन पर कर्जा भी कम मिलेगा। इसलिये दिक्कत यह है कि जिसको कर्जे की जरूरत है उसके पास कर्जे की जमानत काफी नहीं है जिसको कहा गया है कि क्रेडिट-वर्दीनेस उसमें नहीं है। अब यह शब्द ऐसे मुल्क और ऐसी संस्था के लिये लागू नहीं होता जहां कि फौज की फौज अनक्रेडिटवर्दी लोगों की हो और जहां गरीब लोग हों, बगैर सरमाये के लोग हों और ऐसे लोगों की सहायता करें और उनकी क्रेडिटवर्दीनेस देखें तो रुपया उनको

[श्री फूलसिंह]
ओर फ्लो ही नहीं होगा। इसीलिये उस बिल में सिफारिश की गई है कि आंकने की बुनियाद यह रखी जाय कि जब जमीन डेवलप हो जायगी उस वक्त उस की कीमत क्या होगी और उसी कीमत की बिना पर कर्ज दिया जाय। इसमें थोड़ा खतरा तो है क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं कि जो इस बहाने से रुपया लेकर उसको किसी और काम में लगा लेंगे और शायद उनसे रुपया भी वसूल न हो सके। इसलिये उन्होंने कहा कि कुछ सीमायें सरकार मुकर्रर कर दे जिन के अन्दर एक विशेष अवधि तक सरकार उस घाटे की जिम्मेदार हो। घाटा डेवलपमेंट बैंक को हो। इस बिना पर कि उसने कर्जा दिया किसी किसान को जिसकी जमीन बिना तरक्की शुदा थी उसकी कीमत ज्यादा लगाई जाय तभी यह दिक्कत रफा हो सकती है।

इस बिल के देखने से ऐसा लगता है कि सरकार ने इसकी बुनियाद डिबैन्चर्स पर रखी है कि यह डिबैन्चर्स पर चलेगा। अभी तक ३८ करोड़ रुपये मिले सारे बैंकों में भारत के, पर यू० पी० के डवैन्चर्स की लाखों में ही चर्चा हुई है, इस लाखों की चर्चा से किसानों की तरक्की होना बहुत मुश्किल है। एक फारसी की शेर है जिसका अर्थ है कि जब तक जड़ी-बूटी लायेंगे तब तक सांप का काटा मर जायगा। तो इसलिये इस बात की जरूरत है कि बैंकों की पूंजी को बढ़ाया जाय। जो इन्श्योरेंस कम्पनीज थीं, यह एक बहुत बड़ा जरिया था डिवैन्चर्स खरीदनें का और सबसे बड़े खरीदार ये थे। जब तक इन्श्योरेंस कम्पनीज का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। नेशनाइजेशन होने पर वह स्थिति बन्द हो गई है लेकिन अब फिर इन्श्योरेंस कम्पनीज ने ६ करोड़ रुपया या ३० फीसदी की सीमा तक खरीदने का वायदा किया है। रिजर्व बैंक दूसरा जरिया हैं। वह अब भी है उसकी सीमा २० प्रतिशत है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जितने डिबेंचर्स हैं वे सब बिक गये। अच्छा है बिक जायें। मैंने आंकड़े जो और सूबे के देखें तो पता चला कि वे बिके बिकाये नहीं। यह दूसरी कठिनाई आपकी सरकार की है।

तीसरा जरिया स्टेट गवर्नमेंट का था जिसकी मैंने अभी चर्चा की। इसको एसिस्ट करती है सैन्ट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी डिबैन्चर्स खरीदती है। सेकिंड फाइव ईयर प्लान में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ खींच लिया तो वह रास्ता बन्द हो गया। कितने कानून और कोआपरेटिव ऐक्ट बने, उनसे किसानों का पेट नहीं भरता है कितना रुपया उन्हें मिलता है केवल यह बात मुकद्दम है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इन बैंकों को सहायता देनी चाहिये। जितने कोआपरेटिव पर डिस्कशन्स हुए ५–७ सालों में उतनी तो शायद भगवान की भी चर्चा नहीं हुई है। जितने वर्किंग ग्रुप, नौन वर्किंग ग्रुप और इतनी सब-कमेटीज बनी है कि उनके नाम लेना तक भी मुश्किल है। सब डिसकशन्स का सार यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोआपरेटिव इन्स्टीट्युशन्स को एसिस्ट करना चाहिये। वह बात अगर नहीं करेंगे तो रुपया काफी नहीं आयेगा।

एक और दूसरा साधन है जिस की तरफ हम सब को ध्यान देना चाहिये और वह यह है कि जितने भी हमारे बैंक वर्क कर रहे हैं वे सब के सब शहरों में ही हैं। देहातों में अगर किसी के पास रुपया है उसको यह आता ही नहीं है कि वह रुपया बैंक में जमा करे। पिछले सालों से यह नेशनल सेविंग्स स्कीम चालू है उसमें कुछ रुपया जमा हुआ है दक्षिण में २–३ प्रांतों के रूरल डिवेन्चर्स पलोट किये थे लेकिन दिक्कत यह है कि रूरल डिबेन्चर्स पर जो सूद मिलता है वह बहुत थोड़ा है और नेशनल सेविंग्स से में सूद बहुत ज्यादा मिलता है। तो नेशनल सेविंग्स से रूरल डिबेन्चर्स कम्पीट नहीं कर सकते। इसलिये वह स्कीम पैदा होते ही मर गयी। अब नया मोड़ उस स्कीम ने लिया है। ७ साला डिबेन्चर्स किसानों को दिये जायं और १५ साला डिबेन्चर्स रिजर्व बैंक ले। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रांत को इनिशियेटिव लेना चाहिये इन सब बातों में ताकि यह स्कीम कामयाब हो और ज्यादा रुपया रूरल डिबेन्चर्स के जरिये देहातों से आ सके और उस रुपये का भी उपयोग हो सके।

लोगों की रिपोर्ट यह है कि लोगों को रुपया देने में बैंकों की कठिनाई होती है क्योंकि उनके पास रुपया नहीं है। माननीय मंत्री जी तथा इस विभाग के कर्मचारियों ने पण्डित

जवाहरलाल नेहरू के वे शब्द देख लिये होंगे कि कोआपरेटिव के काम में कम से कम अफसरों का दखल हो। इसमें रजिस्ट्रार सोल ट्रस्टी बनाया गया है। यह कोआपरेटिव तो क्या डेमोक्रेटिक बिल भी नहीं है। एक आदमी को इतने अधिकार हैं कि उसके आगे इलाज भी न हो यह उचित नहीं मालूम होता। इस बिल में कोआपरेटिव ट्रिबुनल की गुंजायश भी होनी चाहिये ताकि अपील, आर्डर तथा डिक्रीज की दाद फरियाद हो सके। मुझे आशा है कि सरकार मेरे इन सुझावों पर विचार करेगी और इस बिल में उनको रख कर इस बिल की शक्ल बदलेगी। कोआपरेटिव में वे सब खराबियां होते हुये भी जिनकी चर्चा कमलासिंह जी ने की है देश के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बावजूद इसके कि खामियां हैं, गलती पर गलती करते हैं हमें चलना इसी रास्ते पर पड़ेगा। अलबत्ता इस रास्ते में सुधार करना चाहिये। वह सुधार किया जाय।

मैं मंत्री जी से इस बात से सहमत हूं कि जल्दी से जल्दी कानून बन जाय लेकिन कानून बनना जरूरी है अथवा अच्छा कानून बनना जरूरी है। इससे आप इत्तफाक करेंगे कि जल्दी में खराब कानून बनने से तो बेहतर होगा कि थोड़ा और इन्तजार कर लें, छानबीन कर लें और अच्छा कानून बनायें ताकि लोगों की दिक्कतें रफा हो सकें।

लैंड मारगेज में कई कठिनाइयां हैं। एक तो यह कठिनाई है कि हम जो कर्जा लेते हैं बैंक से वह फर्स्ट मारगेज होता है इसलिये इस बात की जरूरत पड़ती है कि कागजात को देख लिया जाय पटवारी के यहां और रजिस्ट्री में कि कोई और रहननामा या बैनामा तो नहीं है। इसमें बड़ी देर लगती है। तो कर्जा किसान को लेने में जो कठिनाइयां हैं उनमें से एक कठिनाई यह है कि बहुत देर लगती है। ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिससे देर कम से कम लगे। रजिस्ट्रेशन से बचने के लिये जो आपने रास्ता निकाला है वह कोई बेजा नहीं लगता मुझे। आप ही रजिस्ट्री वाले हैं, आपका ही कोआपरेटिव है। तो रजिस्ट्रेशन की फीस न लें तो कोई हर्ज नहीं मालूम होता है। लेकिन इस बिल को पढ़ने से मेरे दिमाग में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि किस तारीख से वह रहननामा आपरेट करेगा। बिल में लिखा है कि तीन महीने में कागज रजिस्ट्रार के पास भेज दें और तीन महीने में मारगेजर ने तीन, चार और रहननामे कर दिये। तो अगर आप रहननाने की तारीख से आपरेट करने वाले हैं तो धोखा हो जायगा और अगर आप आपरेट करने वाले नहीं हैं तो बैंक घाटे में रह जायेंगे। इसलिये यह स्पष्ट होना चाहिये कि किस का हक बाद में पैदा होता है। यकीनन कोई हक रजिस्ट्रेशन की तिथि से पहले पैदा करना मुनासिब नहीं होगा। किसी को क्या मालूम कि किसने अपनी जमीन बैंक में मारगेज कर दी है। बैंक में भी मारगेज कर दे और किसी और से भी कर्जा ले ले। इसलिये यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसे लोग जो चालाक हैं वे इस बिल का बेजा फायदा न उठा सकें।

किसानों को तीन, चार दिक्कतें होती हैं। देर में रुपया मिलना, रुपया मिलने में बहुत तवालत होना, सूद की दर ज्यादा होना और कम रुपया मिलना। मैंने इन बातों की थोड़ी-थोड़ी चर्चा कर दी है। बहरहाल, मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को पेश करने से पहले इन तीन, चार बातों को देखना चाहिये। बैंक में काफी पूंजी होगी जिससे किसानों की मांग पूरी हो सके, किसानों को रुपया मिलने में दिक्कत नहीं होगी, किसानों से सूद की दर कुछ ज्यादा भी नहीं होगी। अगर इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल में यह बिल अच्छी शक्ल अख्तियार कर लेगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी और जो हेर-फेर करना होगा वह करेगी।

*श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय मैं माननीय कमलासिंह जी के प्रस्ताव, कि यह प्रवर समिति को भेजा जाय, के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। अभी माननीय फूलसिंह जी ने बताया कि इस बिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

में बहुत-सी खामियां हैं और जब तक वे दूर न हों तब तक यह बिल किसी तरह से किसानों के हित में नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि यदि जल्दी में इसे पास नहीं कर सके तो बहुत हानि होगी लेकिन यह नहीं बताते कि कौन-सी हानि होगी। आपके पास काश्तकारों को रुपया देने के बहुत से साधन हैं। आप लोन्स फ्लोट करते है। लेकिन इसके अतिरिक्त सहकारिता द्वारा जो पैसा किसानों को दिया जाता है उसमें सहकारिता विभाग के कर्मचारी जिस रूप में किसानों को परेशान करते हैं क्या वही परेशानियां इस संबंध में नहीं होने जा रही हैं। और भी जो उसमें भ्रष्टाचर होता है उसका आपको भली-भांति पता है और अब आप एक दूसरा बिल लाने जा रहे हैं। यह भी उन्हीं कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वित किया जायगा। इसमें बैंक पैसा देगा और जब देगा तब उनसे सिक्योरिटी मांगेगा। कभी कहेगा कि सिक्योरिटी कम है, कभी कहेगा कि अब सिक्योरिटी की वैल्यू खत्म हो गयी, इसको फिर से रिकूप करो और जब बेचने के लिये समय आयेगा तब यह होगा कि वह किस मूल्य पर भूमिधरी जमा करके बेचेगा और कितना रुपया लेगा। इसका कोई नियंत्रण इस बिल में नहीं है। यह भी कुछ इसमें नहीं है कि कितनी जमीन बैंक खरीदेगा और कितनी जमीन तक काश्तकारों की मार्गेज में ली जा सकती है। इस प्रकार का न तो इसमें कोई नियम है और न कोई नियंत्रण है।

अगर काश्तकार सब जमीन दे देगा तो बिचारा खायगा क्या या उससे कह देते हैं कि पट्टा देने का अधिकार नहीं है या सिक्योरिटी कम हो गई तो उसकी सारी जायदाद कर्क कर लेते हैं। इसलिये जैसा कि माननीय कमलासिंह जी ने कहा है कि इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है और माननीय मंत्री जी ने भी कोई कारण नहीं बताये हैं जिनसे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। उनके पास और भी साधन हैं जिनसे वे काश्तकार को रुपया दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मार्गेज के लिये थोड़ी सुविधा दे रखी है कि उनको रजिस्ट्री की फीस कम देनी पड़ेगी। लेकिन इससे काश्तकार को कोई विशेष सुविधा प्राप्त नहीं होती है। जब उसको जमीन रखनी होगी तो जो कर्मचारी हैं वे दबाव डालकर उसकी जमीन ले लेंगे। जमींदारी विनाश करके जो उद्देश्य प्राप्त हुआ है वह भी समाप्त हो जायगा और आपका यह बैंक एक बहुत बड़े जमींदार के रूप में खड़ा हो जायगा और जो हानि काश्तकारों की की जा रही है उसकी पूर्ति नहीं हो पायगी। इन शब्दों के साथ मैं कमलासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी इस बिल को प्रवर समिति में भेज दें ताकि इसकी खामियां पूरी हो जायं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो विधेयक उपस्थित किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अभी जो आलोचना की गई है कि इससे किसानों को फायदा नहीं होगा, यह सत्य से परे है। किसान महाजन के चंगुल में फंस जाता है उससे उसको राहत मिल रही है और मिलेगी। पहले इसका नाम लैंड मार्गेज बैंक था। ५१ जिलों में इसकी शाखायें खुल चुकी हैं और १ करोड़ १० लाख रुपया वितरित किया जा चुका है। अभी पहले वक्ता कह रहे थे कि इसमें भ्रष्टाचार होगा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अब तक भले ही कोआपरेटिव विभाग में भ्रष्टाचार की बातें कही जाती रही हैं लेकिन इस विभाग ने जो कार्य इस ओर किया है उसमें कोई नहीं कह सकता है कि भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज की गई है। १ करोड़ ७८ लाख रुपया स्वीकार किया गया लेकिन कुल १ करोड़ १० लाख रुपया ही बांटा जा सका। उसका कारण यह है कि कुछ दिक्कतें पड़ रही हैं जिनकी वजह से किसानों को रुपया नहीं दिया जा सका। इसलिये बिल लाया गया है। इससे ये कठिनाइयां दूर हो जायंगी।

श्री कमलासिंह यादव --

श्रीमान् आप कठिनाइयां बतायें जिनके कारण ७८ लाख रुपया डिसपोज आफ नहीं हो रहा है।

श्री माता प्रसाद—

यह कहा गया कि भूमि की वैल्यूयेशन में गड़बड़ी करते हैं तो विभाग ने २५ प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। सोरदार को भी ऋण देने की व्यवस्था है। सब से बड़ी दिक्कत यह है कि लेखपाल से इंतखाब लेना पड़ता है काश्तकार को उसमें एक दिक्कत यह होती है कि किसान को इंतखाब नहीं मिलता है उसको काफी रुपया देना पड़ता है और काफी दिनों तक लेखपालों के पास दौड़ना पड़ता है तब इंतखाब मिलता है। अगर माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था कर दें सब-रजिस्ट्रार तहसीलदार से सीधे इंतखाब मांग लें। दूसरी दिक्कत किसानों की यह होती है कि जब काश्तकार को ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है तो भार मुक्ति सर्टिफिकेट लेने के लिये तहसील में किसान को वकील करना पड़ता है। वह सभी कागजात को देखता है। एक तो किसान ने लेखपाल को रुपया दिया दूसरे वकील को चार छः रुपये देने ही पड़ते हैं। सरकार को किसान की इस दिक्कत को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे उसको तहसील के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।

सरकार से पांच हजार रुपये तक जो ऋण दिया जाता है उस पट्टा स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी है। उसके लिये मैं उसको बधाई देता हूं उसके ऊपर ११ रुपये हजार की स्टाम्प ड्यूटी पड़ती है। लेकिन मान लो किसान छः हजार रुपया ऋण लेता है तो किसान को पूरे छः हजार पर ११ रु० हजार के हिसाब से ड्यूटी देनी पड़ती है। मेरा निवेदन है कि जब सरकार ने पांच हजार तक माफ कर दिया है तो छः हजार में केवल एक हजार पर उससे ड्यूटी लेनी चाहिये। अच्छा तो यह हो कि दस हजार तक ड्यूटी माफ कर दी जाय क्योंकि बहुत से किसान ट्रैक्टर लेना चाहते हैं और ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं लेकिन अगर ऐसा न कर सके तो पांच हजार छोड़कर उसके ऊपर स्टाम्पड्यूटी लें। इससे उनको राहत मिल सकेगी। अगर इंतखाब की दिक्कत दूर कर दें भार मुक्ति सर्टिफिकेट की अड़चन दूर कर दें और स्टाम्प ड्यूटी जो देनी पड़ती है यह दिक्कत दूर कर दें जिसके कारण समय पर काश्तकार को जब जरूरत होती है पैसा नहीं मिल पाता यह दूर कर दिया जाता तो काश्तकार को बहुत बड़ी सुविधा होगी।

दो बातों की ओर मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी पटेल कमीशन ने सिफारिश की है कि जहां चकबन्दी हो गयी है वहां केवल भूमि विकास बैंक द्वारा ही ऋण दिया जाय। कई एजेंसियों से किसान को बड़ी दिक्कत होती है। एक बात और है जो किसान कृषि की उन्नति के लिये लैंड मार्टगेज बैंक से ऋण लेते हैं जैसे कुंआ बनवाना है या अन्य विकास कार्य करना है तो आज कल ऐसा नियम हो गया है कि ब्लाकों के अन्दर उनको सामान या लोहा दिया जाता है, जो ब्लाक से ही ऋण लेते हैं उनको तो सीमेन्ट दे दिया जाता है लेकिन जो लोग लैंड मार्गेज बैंक से लोन लेते हैं उनको सीमेंट, लोहे या दूसरी सुविधायें नहीं दी जाती जिससे उनको बड़ी दिक्कत होती है। होना यह चाहिये था कि जो कार्य कृषि की उन्नति के लिये हो रहे हैं या अधिक अन्न उत्पादन के लिये हो रहे हैं जिस तरह से भी किसान उस कार्य को करते हैं उनके लिये उसमें उनको सहूलियतें दी जातीं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे ब्लाकों को आदेश दें कि जो लैंड मारगेज द्वारा कर्ज लेते हों उनको भी यह सहूलियतें दी जायं।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं कमलासिंह जी के इस प्रस्ताव का कि इसको एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी स्वयं इस बात पर दोबारा गौर करेंगे। आज सहकारिता एक आशा है ग्रामीण जनता के लिये, गरीब किसान और मजदूर के लिये तो इस राह पर जो भी कदम उठाये जाते हैं उनका स्वागत करना ही पड़ता है। मैं इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

विधेयक का स्वागत करने में कई आपत्ति अनुभव नहीं करता मैं यह जरूर समझता हूं कि इस पर थोड़ा सा गौर अवश्य कर दिया जाय। इस पर अगर एक नजर डाली जाय तो कुछ ऐसी बातें महसूस होती हैं जो चुभती हैं। मान्यवर उस वक्त तक कृषि में उत्पादन नहीं बढ़ सकता जबतक किसान अपनी जमीन का विकास न कर सके, उसमें रुपया न लगा सके, बैल न खरीद सके खाद न खरीद सके और जब तक कि वह अपना पीछा उन कर्जदारों से जो रात, दिन उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं न छुटा सके। अगर इस मकसद से जैसा मैं समझता हूं यह विधेयक पेश किया है लाया गया है तो यह जरूर काबिले तारीफ है। लेकिन क्या इस विधेयक के पास होने के बाद और इसके ऐक्ट बन जाने के लिये किसानों को वह सुविधायें मिल सकेंगी जिससे उसको वक्त पर रुपया मिल सके।

आजतक देखा गया है कि छोटे किसानों को नजरंदाज किया जाता है और वह मजबूर होता है बाहर से कर्जा लेने के लिये और उसकी शरह इतनी बड़ी होती है जिसका ठिकाना नहीं। वह किसी व्यापारी या मनीलेंडर से कर्ज लेते हैं जो हमेशा के लिये उसको जकड़ लेते हैं और उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। आज जितने छोटे-छोटे काश्तकार हैं वह सब कर्ज के बंधन में बुरी तरह से जकड़े हुये हैं और अगर यही दशा रही तो वे अपने कर्ज को अदा नहीं कर सकेंगे। जो बड़े बड़े किसान हैं वे तो आसानी से कर्ज ले लेते हैं लेकिन छोटे किसान वह नहीं कर सकते। लोन अगर उनको मिलता भी है सरविस कोआपरेटिव्ज से तो ज्यादा से ज्यादा सौ रुपये मिल गया उनसे उनका कोई काम नहीं चल सकता। इधर मिला और उधर उनसे मतालबा शुरू हो गया कि लाओ वापस करो। मैं तो शार्ट टर्म लोन का सख्त मुखालिफ हूं। उससे कोई किसान उन्नति नहीं कर सकता सिवाय उसको ले कर अपनी छोटी-मोटी जरूरियात को रफा कर ले लेकिन फौरन उसको अदायगी का मतालबा आ जाता है। साल ६ महीने बाद वह फिर किसी मनीलेंडर के पास जाता है और उससे दरख्वास्त करता है उससे रुपये लेता है और फिर उसे वही लम्बी चौड़ी सूद की शरह देनी पड़ती है। यह शरह ३० से लेकर ३७,४० और यहां तक कि ५० फीसदी सालाना तक होती है। यह इतना बड़ा जुल्म किसानों के साथ है जिसकी इन्तहा नहीं है। तो शार्ट टर्म लोन से कोई फायदा नहीं है मीडियम लेपस को भी हम बुरा नहीं कह सकते। लांग टर्म लोन उसके लिये बहुत बड़ी सहायता है कृषि उत्पादन में। तो जितना भी ज्यादा से ज्यादा लांग टर्म लोन किसानों में बांटा जा सके उतना ही अच्छा है।

आज उसको मुक्त कर दिया जाय उस मनीलैन्डर से जो हर वक्त उसके ऊपर ललचाई नजर से देखता है और जो किसान पैदा करता है उसको वह अपने घर ले जाता है और वह खाली गड्ढे में चूहे की तरह से रह जाता है। जैसा कि इस भूमि बैंक की स्थापना हुये कई साल हो गये हैं अब उसको दूसरे नाम से किया जा रहा है लेकिन आप किसी भी गांव में जाइये तो आप देखेंगे कि छोटे काश्तकारों को मुश्किल से रुपया मिलेगा। लिहाजा उनको आसानी और सहूलियत पैदा होनी चाहिये जिससे बहुत छोटे काश्तकार को आसानी से लम्बा कर्जा मिल सके। जो आज कर्जे से बन्धे हुये है वह मैं नहीं समझता कि किस तरीके कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अगर उनको लम्बे वक्त का कर्जा दिया जाव तो मैं समझता हूं कि आपका यह बैंक उनके लिये बहुत मदद का साबित हो सकता है।

इसके अलावा एक बात और है। वह यह है कि रजिस्ट्रार को ट्रस्टी बनाया गया है। मैं नहीं समझता कि रजिट्रार को इतने बड़े अधिकार क्यों दिये गये हैं। उसको बोर्ड का बास बना दिया गया है। आखिर इतने अधिक अधिकार उसको क्यों दिये गये हैं यह समझ में नहीं आता। क्या जनता के प्रतिनिधि जो बैंक के डाइरेक्टर के रूप में बोर्ड में जायेंगे उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ट्रस्टी को इतने अधिकार देने का मतलब यह है कि शायद डाइरेक्टर्स के ऊपर विश्वास नहीं है और अपने आदमियों पर आपका ज्यादा विश्वास है। जिस तरह से सरकार सहकारिता के अन्दर इन्टरफियरेन्स करेगी उस तरह से सहकारिता आगे कम

बढेगी। लिहाजा मैं समझता हूं कि रजिस्ट्रार को किसी तरह से ट्रस्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। बोर्ड अपने आप ट्रस्टी होता और बोर्ड खुद अपने हकूक की और दूसरे के हकूक की देख रेख कर सकता था और उसको सही तरीके से समझ सकता। इस बिल से यह महसूस होता है कि इसमें कुछ गलती रह गई है। मिसाल के तौर पर अगर कोई किस्त किसी काश्तकार पर वाजिब हुई और उसको १ महीना हो गया पेमेन्ट किये तो बैंक से यह आदेश हो सकता है कि उस किसान की फसल को कुर्क कर लिया जाय और बेच दिया जाय। इस किस्म की बातें इस विधेयक में हैं। मान लीजिये कि इस साल पाले से फसल बरबाद हुई और किसानों को बहुत बड़ी हानि पहुंची या किसी तरीके से उसको हानि पहुंचती है और कुदरती तौर पर कोई बला आ जाय और वह मजबूर हो जाय कि अपनी किस्त अदा न कर सके तो यह उसके लिये ज्यादती होगी कि उसकी खड़ी फसल को फरोख्त कर दिया जाय। अगर फसल का बीमा होता जैसा कि पंजाब में है तब तो बात दूसरी थी। अगर एक महीना गुजर गया और वह अदा नहीं करता है तो यह मदद करने के अलावा उसके साथ ज्यादती होगी और वह लोग उसके लिये मुसीबते जान बन सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन्सानियत की नजर से यह गलत बात है और इस पर जरूर गौर करने की जरूरत है।

एक बात और है और वह यह है कि ट्रस्टी के क्या अधिकार होंगे उनको वाजे नहीं किया गया है। इस विधेयक के अन्दर रजिस्ट्रार के अधिकार लम्बे-चौडे दिये गये हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको यहां वाजेह क्यों नहीं किया गया है। वह बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो शरह सूद है वह भी बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री को बहुत थोड़े ब्याज पर रुपया दिया जाता है लेकिन कृषि के लिये सूद की शरह बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इसे कम करने के लिये प्रयास करना चाहिये ताकि किसान आसानी से अपने कर्ज का भुगतान कर सकें। जो सर्विस कोआपरेटिव का सूद है वही काफी है, लेकिन भूमि विकास बैंक का सूद भी ज्यादा है। इसे इंडस्ट्रियल लोन के सूद के बराबर ही होना चाहिये। किसान लाचार है, गरीब है और इसलिये उससे ज्यादा सूद लेना उचित नहीं है।

इसके अलावा किसान को कर्ज देते समय उसकी जमीन की जो कीमत लगायी जाती है उसके नियम बहुत गलत हैं। आज किसान की जमीन की कीमत बहुत बढ़ गयी है, लेकिन कर्ज देते समय उसकी कीमत बहुत कम आंकी जाती है और उस हिसाब से जितना रुपया उसे दिया जाता है उससे वह भूमि का सुधार और उसकी उन्नति नहीं कर सकता, लिहाजा जमीन की कीमत मार्केट रेट के हिसाब से लगायी जानी चाहिये। आप के रेट्स में और मार्केट रेट्स में बहुत अंतर है और यह अनुचित है। जमीन खुद अपनी जगह पर एक बैंक की तरह से है। उसमें जितना रुपया लगाया जाता है उतना ही उसमें उत्पादन बढ़ता है और फसल बेहतर होती है। अगर अपने खेत के विकास के लिये उसके पास पैसा नहीं होता तो पैदावार कम ही रहेगी। आज पैदावार बढ़ाने के लिये उसके पास साधन होना आवश्यक है और इसलिये कर्ज देते समय उसकी जमीन को कीमत उचित ढंग से लगायी जानी चाहिये। भूमिधारी और सीरदारी खातों की कीमत में भी बहुत बड़ा अंतर है। यह मैं मानता हूं कि भूमिधरों का लगान आधा हो गया है और इस वजह से उनकी कीमत कुछ ज्यादा हो गयी है, लेकिन उसकी वजह से इतना अन्तर होना चाहिये कि अगर भूमिधर को १०० रु० दिया जाय तो सीरदार को ५० रु० दिया जाय। कम से कम इतना तो होना ही चाहिये, लेकिन अन्तर बहुत ज्यादा है और इसे कम करना आवश्यक है। इसके साथ-साथ अगर कोई किसान कर्जदार है और उसके कर्ज का आप भुगतान करते हैं तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी देहात की जिन्दगी से वाकिफ हैं।

उनको यह मालूम होगा कि गांवों में मनीलेन्डर किस तरह से रुपया देते हैं। तो जो प्राविजन आप इस विधेयक में करने जा रहे हैं वह किसानों के हित में नहीं होगा। इससे किसानों को यह सुविधा नहीं होगी कि वे अपना कर्जा अदा कर सकें। आज जो मनीलेन्डर्स हैं वे जोंक की

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

तरह से किसानों का खून चूस रहे हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये।

एक चीज इस विधेयक में और खटकने वाली है। वह है सेक्शन १९। उसमें यह है कि अगर कोई प्रापर्टी गलत तरीके से बिक जाय तो जो परचेजर होगा उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकेगा। अगर गलत तरीके से कोई जायदाद को बेच डालता है तो उसको परचेज से छुडाने वाली कोई चीज नहीं है। परचेजर के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। यह गलत चीज होगी। इस पर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। यह बड़ी अजीब और गलत बात है। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जायेगा तो वहां इन सब बातों पर विचार हो सकता है। यूं तो मैं इस बिल का तहेदिल से स्वागत करता हूं लेकिन अगर यह बिल और अच्छा हो जाय तो इसमें क्या कठिनाई है यह मेरी समझ में नहीं आती। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कमलासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, संक्षेप में मुझे २–४ प्वाइन्ट्स पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। अभी माननीय फूलसिंह जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। उन्होंने प्लानिंग सर्वे रिपोर्ट और लांग टर्म लोन पर कम इन्टरेस्ट होने की चर्चा की। एक और बात भी कही कि सरकार को बैंक्स को असिस्ट करना चाहिये। मैं समझता हूं कि बैंक्स को असिस्ट करने की बात काफी डिग्री तक इस बिल में है। इस बिल में यह है कि सरकार काफी अंश तक बैंक्स को असिस्ट कर रही है। इसमें यह भी है कि सरकार एक ऐसे फंड की रचना करेगी जिसमें कुछ अंश तो सरकार स्वयं देगी और कुछ बैंकों को देने के लिये कुछ डिबेन्चर्स ईशू होंगे जिन पर सरकार सीक्योरिटी देगी।

ऋण-पत्रों पर सीक्योरिटी देना बहुत बड़ी बात है। तो बैन्क को एसिस्टेंस देने वाली बात की सरकार काफी हद तक पूर्ति कर रही है।

उन्होंने कहा कि लांग टर्म लोन में इंटरेस्ट कम लेना चाहिये। जैसी मेरी जानकारी है ७॥ परसेन्ट इंटरेस्ट लिया जाता है और उसमें भी १/२ परसेंन्ट छूट निकल कर ७ ही रह जाता है केवल १ या २ ही स्टेट ऐसी हैं जहां इंटरेस्ट इससे कम है। बाकी कहीं ८ और कहीं ९ परसेंन्ट तक है। इससे यह प्रकट है कि हमारा इंटरेस्ट कोई ज्यादा नहीं है।

मुमताज मुहम्मद खां साहेब ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार को ट्रस्टी की पावर क्यों दे दी गई है। खन्ड ४ का मूल मन्तव्य ही यह है कि:—

"The Registrar shall be the trustee for the purpose of securing the fulfilment of the obligations of the State Land Development Bank to the holders of the debentures issued by the Board."

रजिस्ट्रार उन जिम्मेदारियों को पूरा कराने के लिये है जो बैंक के ऊपर हैं। जनता के प्रतिनिधि बदल भी सकते हैं। यह कोई पर्सनल पद नहीं है। वह प्रतीक रूप है जो सक्सेसिव भी होता रहेगा। सरकार ऐसे मजबूत अधिकारी को रखती है जो इन जिम्मेदारियों को पूरा करावें। यह बहुत ही उचित है।

दूसरी बात मुमताज मुहम्मद खां साहेब ने यह कही कि अगर किसी खरीदने वाले ने गलत ले लिया तो उसका राइट क्वेश्चन होना चाहिये। हमारे यहां ट्रस्ट कानून में है कि अगर ट्रस्टी किसी को ट्रस्ट की प्रापर्टी बेच देता है तो परचेजर का राइट चैलेंज नहीं किया जा सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। उसने तो रुपया दिया कंसीडरेशन दिया उसका क्या कसूर है ? अगर बैंक कोई प्रापर्टी बेचता है और परचेजर का राइट क्वैश्चन किया जाय तो कौन खरीदने के लिये आवेगा। इसलिये इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है।

एक बात माननीय फूलसिंहजी ने कही जिसका उत्तर खण्ड १२ में दिया है। शायद उन्होंने उसे पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अपनी जमीन बंधक रखने के २ महीने बाद किसी और को चार्जेज कर दिया तो उसका क्या होगा। ऐसा केवल धूर्त लोग ही कर सकते हैं। एक जिले के लेविल पर डेवलपमेन्ट बैंक होगा और दूसरा राज्य के लेविल पर होगा यहां भेजने में देर होती है तो यह माना जायगा कि जिस दिन आपने डेवलपमेन्ट बैंक को एप्लीकेशन किया वही डेट राज्य के लेविल पर बैंक को मानी जायगी। इस तरह से वह बात भी खत्म हो जाती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाती है।

यह विधेयक उन बहुत-सी बातों को पूरा करता है जो काश्तकार के भूमि-सुधार के लिये और कृषि की उन्नति के लिये बहुत आवश्यक हैं।

(इस समय २ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बड़े महत्व का है। इसका उद्देश्य सचमुच बहुत अच्छा है परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इसको ड्राफ्टिंग में विवेक से काम नहीं लिया गया। चूंकि इसके प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव है मैं आपके सम्मुख केवल मोटी-मोटी बातें रखूंगा।

वही पुरानी दिक्कत इस बिल में भी है कि अगर एक ज्वाइन्ट खाते में ४ आदमी हैं तो जब तक चारों के हस्ताक्षर नहीं होंगे किसी को भी कर्जा नहीं मिल सकता।

श्री कमलसिंह यादव—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

ज्वाइन्ट खाते वाले एक आदमी को कितनी भी रुपये की आवश्यकता क्यों न हो वह कर्जा नहीं पा सकता है जब तक चारों के या उन सभी के जिनके साथ उसका खाता है, दस्तखत न हो जावें।

दूसरी बात जो सब से आवश्यक है और जिसे माननीय फूलसिंह जी ने भी कहा, वह यह है कि किसान ऐसा वर्ग है जिसे जितना सम्भव हो सके उतने कम ब्याज पर रुपया मिलना चाहिये। इसका इस विधेयक में कोई संकेत नहीं है। कोआपरेटिव में जो बीज, बीज भंडारों से दिया जाता है, उस पर २½ प्रतिशत सूद लिया जाता है, दूसरी जगहों पर ७ और साढ़े सात प्रतिशत सूद लिया जाता है जब कि खेती इस देश की सबसे महान और आवश्यक इंडस्ट्री है। दूसरी इंडस्ट्री को ३ प्रतिशत पर कर्ज दिया जाता है। ऐक्ट में यह बात कहीं नहीं की हुई है कि उनके इंटरेस्ट को कम किया जायगा इसके अलावा इंडस्ट्री के लिये जब लोन दिये जाते हैं तो २ साल तक कोई सूद नहीं लिया जाता है। वैसा खेती के कर्ज के बारे में नहीं किया गया है।

दूसरी बात यह है जब किसान किस्त देने में फेल होंगे तो लिखा गया है कि १ महीने के बाद रुपया वसूली की कार्यवाही की जायगी लेकिन हमें यहां यह नहीं बतलाया गया कि किस्तें कितनी लम्बी होंगी, किस्तें हारवेस्टिंग सीजन के पहले वसूल की जायंगी या बाद में। इसके अलावा अगर किसी इंडस्ट्री को घाटा हो जाता है तो उसको छूट दे दी जाती है लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

खेतिहरों पर अगर कोई विपत्ति आ जाय तो उनको छूट दी जायगी अथवा नहीं यह नहीं बतलाया गया। ऐग्रीकल्चरल कलेमिटीज आये दिन आती रहती है, कभी सूखा और कभी दाहा। अभी ओला ही पड़ा तो भी आपने क्या छूट दी ? मैंने देखा एक खेत जिस में ३२ सेर प्रति बीघा उपज हुई है आपके यहां चार आने का नुकसान दिखाया गया है। अभी जेल में मैं देख कर आया हूं एक असामी वहां ऐसा है जो ओला पीड़ित क्षेत्र का है लेकिन उसको वसूली में जेल भेज दिया गया है। तहसीलदार को मैंने उसको नोट करा दिया। तो ऐग्रीकल्चर कैलेमिटीज के बारे में भी कोई खयाल नहीं किया गया है।

सेक्शन ११ में दिया हुआ है कि जमीन सरकार खुद खरीद लेगी और अगर सीरदार की जमीन खरीदेगी तो भूमिधरी का रुपया जमा करके उसको बेच लेगा। सीरदारी की जमीन तो अन्डर ला प्राहिबिटेड है ही, भूमिधरी की जमीन भी ट्रान्सफर नहीं हो सकती है। लेकिन सरकार उसको खरीदेगा। आप जरा देखें, जो कर्जा किसानों पर लदा हुआ है क्या उनमें से एक भी कर्जा किसान अदा कर पाया है ? इसमें भी उसका आपने कोई उपाय नहीं किया है। नतीजा यह होगा कि सारा जमीन को आप खरीद लेंगे। सबसे बड़ी विपत्ति की बात यह है कि आप खरीदेंगे कम कीमत पर और बेचेंगे ज्यादा कीमत पर। मैं पूछना चाहता हूं कि सेक्शन ११ किसानों के हित के लिये रखा गया है या कि गवर्नमेंट के हित के लिये। मान लीजिये किसान कर्जा नहीं दे पाया और २०० बीघा जमीन उसकी बिक गयी। आप उसका इन्तजाम किस प्रकार से करेंगे ? आप एक रिसीवर मुकर्रिर कर देंगे। आपके पास अब क्या चेक है कि वह उसको न खा जायगा ?

ऐसा लगता है कि इस विधेयक को जल्दी में बनाया गया और जैसा कि एक्स मंत्री महोदय ने व अन्य माननीय सदस्यों ने कहा—क्षण भर भी उन्होंने इस पहलू पर विचार नहीं किया। जिस वक्त एक ऐक्ट को एक्चुअल वर्किंग आपके सामने आयेगी उस वक्त आप स्वयं पश्चाताप करेंगे। अगर वास्तव में आपके मन में किसानों के लिये हमदर्दी है तो आवश्यक है कि आप पुनः इस पर विचार करें वरना सेक्शन ११ बहुत ही घातक होगा। इसके अन्तर्गत कम्पेनसेशन का नाम ले कर कम्पलसरी एक्वीजीशन की बात है और इस तरह से आप सैकड़ों बीघे जमीन के जमींदार हो जायेंगे। इसके लीगल कम्पलीकेशंस क्या होंगे, क्या इस पर भी कभी आपने विचार किया है ? इस पर आपको सोचना चाहिये कि वास्तव में यह कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये खेती होगी या क्या स्थिति होगी। अब तक सरकारी खेती की जो स्थिति रही है वह आपके सामने है, इसलिये आप इस पर विचार करें। आपको यह नहीं करना चाहिये कि चूंकि विरोधी दल की ओर से यह बात कही जा रही है इसलिये इस पर विचार नहीं करेंगे। कानूनी पहलू के बारे में अपने विशेषज्ञों से आप पूछें कि इससे आगे क्या स्थिति होने वाली है।

सेक्शन १५ का जहां तक सम्बन्ध है उसमें कीमत लगाने की बात है लेकिन इसका कहीं प्राविजन नहीं है कि यदि आपने मारगेज के जरिये किसान की जमीन ले ली और भूमिधरी जमा करने के बाद उसे आप अधिक दाम पर बेच दें तो अपना रुपया काटने के बाद बाकी रुपया उसे आप दे देंगे। इसका प्राविजन इसमें होना चाहिये कि मार्केट का जो हायर प्राइस हो वह उसे मिले। जैसे आपका रुपया ४०० है और आपने भूमिधरी का दसगुना जमा करके उसे २,००० रुपये में बेच दिया तो इसका कोई प्राविजन नहीं है कि १,६०० जो शेष है वह कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के पाकिट में जायगा, या जो विभागीय आफिसर्स हैं उनकी पाकेट में जायेगा या क्या होगा समझ में नहीं आता कि आपका मोटिव इस सम्बन्ध में क्या है। किसानों को कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के चंगुल से बचाने की भी कोई बात नहीं दिखती। अगर आप कम्पलसरी एक्वीजीशन नहीं करने जा रहे हैं तो स्पष्ट रूप से यह बात सदन के सामने आनी चाहिये थी कि इसके लीगल कम्पलीकेशंस क्या हैं। जहां तक सेक्शन १५ की बात कही जाती है, देहातों में भी आज यह है कि साधारण महाजन के कर्जे में किसान के एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स का नीलाम नहीं

हो सकता है और जो उसकी फसल खड़ी होगी उसकी वो तिहाई फसल कुर्क नहीं हो सकती। सेक्शन १५ में पढ़ देता हूं—

"If any instalment payable under a mortagage executed in favour of land development bank or any part of such instalment remains unpaid for more than one month from the date on which it falls due, the managing committee may, in addition to any other remedy available to the said bank apply to the Registrar for the recovery of such instalment or part thereof by distraint and sale of the produce of the mortgaged land including the standing crops thereon."

इसमें कहीं कोई प्रोविजन नहीं है कि कर्ज की वसूली एक तिहाई फसल से होगी और वो तिहाई छोड़ दी जायगी। हमारे सरहद के जिलों में यह कहा जाता है कि लट्ठा कर दिया यानी ऐसा हिकमत कर दी जिस से आदमी गांव छोड़ कर दूसरे गांव में चला जाय। उसी तरह से आपका यह एक हिकमत है। क्या आप इसको नहीं जानते कि एग्रीकल्चरल कैलामिटीज की स्थिति में किसान कर्जा कहां से दे सकता है? क्या आपने उसके सामर्थ्य को भी देखने की कोशिश की है? आपने उसके प्रापर एप्लीकेशन को नहीं देखा। वह कर्जा वापस नहीं हो सकता, नियत चाहे उसकी ठीक ही क्यों न हो लेकिन वह आज मजबूर है, वह कर्जा ले कर बेटी की शादी करता है और फिर उसको अदा नहीं कर पाता। आप आज के कर्ज के सर्राफों के यहां के आंकड़े जा कर देखें तो जिनके यहां ४,००० का काम था आज वहां ४ लाख का है, इन १५ सालों में प्लानिंग के उनके यहां बहुत काम बढ़ा है। आज कर्ज कोई क्या बचाकर देगा, खाने के ही लाले पड़े हैं, जिस भाव घी मिलता था उस भाव आज दाल मिल रही है। आज किसान की पैदावार की कीमत बढ़ी है तो उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन भी आप देखें, कितनी उसकी लागत आज आ रही है इन सारी परिस्थितियों को आप देखें तो उसकी पेइंग कैपेसिटी बराबर नीचे जा रही है। आप उसको कर्ज देने का प्रयास कर रहे हैं यह अच्छा है लेकिन जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से तो आप भविष्य में किसान को उनकी जमीनों का मालिक भी नहीं रहने देंगे।

श्री बनारसी दास—

आपका सुझाव क्या है? क्या कर्जा देने के बाद हम कोई वसूलयाबी न करें?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने कहा कि कर्ज की वसूलयाबी हो लेकिन आप ही के जो, अन्य दो कानून मौजूद हैं जिनके मातहत जैसे इंडस्ट्रीज में २ साल तक कोई वसूली नहीं की जाती और छूट दी जाती है उसी तरह से या उस से भी अधिक सहूलियत आप वसूली के सिलसिले में किसान को देते, हमारा कानून आज है कि किसान की दो तिहाई से अधिक फसल ही नीलाम होगी और एक तिहाई नहीं होगी। लेकिन यहां आप उसका सब कुछ ले लेना चाहते हैं। होगा क्या कि कुछ जमीन, कुछ सिपाही और कुछ बाबू लोग उस से खा डालेंगे और जो कुछ चौथाई बाकी बचेगा वह आप कुर्क करा लेंगे। हम चाहते हैं कि आप ऐसा कानून बनायें कि जिस से एक तिहाई ही उसका लिया जा सके और उसके लिये भी कुछ छूट जाय। इस नुक्तेनजर से आप इस बिल को फिर से परिमार्जित करायें और इस पर आप विचार करें, यही मेरी मंशा है। यह इस समय बिलकुल अपूर्ण, इनकम्पलीट और पाटलेस है। आप ही वैल्यूएशन लगायेंगे, आप ही बिना किसी अदालत में जाये नीलाम करा लेंगे, सब काम आप ही कर लेंगे तो आप में और महाजन में फर्क ही क्या है। आपका सारा एटीट्यूड ही कामर्शियल है। सूद भी आपका सबसे अधिक, वसूली का तरीका भी बहुत ही सख्त। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिन पर विचार नहीं किया गया है। मैंने जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा था कि जो इसकी मंशा बताई गई है यह कानून उस मंशा को ही पूरा नहीं करता। इसका परिणाम जो मौजूदा हालत में होगा वह यह कि सारी जमीनें आपके हाथ में आ जायेंगी। पता नहीं कि आप के मन में क्या बात है कोर्ट को आपने अलग रखा है। यहां तक तो बात

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

समझ में आ सकती है कि आपने रेमेडी अपने हाथ में रखी क्योंकि कोर्ट में ३-३ और ४-४ साल लग जाते हैं लेकिन आपने जो बाकी हर चीज को आफिशियलाइज कर दिया है और अगर इस विधेयक को जरा सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो हम इस नतीजे पर आते हैं कि यह बड़ा अपूर्ण है और इसमें हमारे किसानों को विकास के लिये सहूलियत से कर्जा मिल जाय इसका कोई उचित प्राविजन नहीं है बल्कि इसके द्वारा सारी जमीन ही किसानों के हाथ से निकल सकती हैं ।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि रिसीवर का एप्वाइंटमेंट इन्होंने किया । रिसीवर पर जो कानून लागू होते हैं सी०पी० सी० में वह इस पर होंगे । आपने कितने अधिकार रिसीवर को दिये हैं ? जितने कमिश्नर एप्वाइंट किये हैं ? आपने इसके हाथ से इसको आफिशियेलाइज कर दिया है । मैंने इस विधेयक को शुरू से आखिर तक पढ़ा है और मैं यह समझता हूं कि हम विरोधी दल के और अपने पक्ष के सभी सदस्य जैसे माननीय ठाकुर फूलसिंह जी इस विचार के हैं कि इस बिधेयक पर जल्दी न करें । जब कि एन्डाउमेंट्स प्रापर्टीज ऐक्ट के सम्बन्ध में ५० सौ हजार रुपये फंस गये, जायदाद बरबाद हो गयी, उसमें जल्दी नहीं की गयी, लाखों की सम्पत्ति मंदिरों में बरबाद हो गई, तो इसमें क्यों जल्दी हो रही है । क्या इसलिये इस में जल्दी हो रही है कि यह किसानों के लिये बड़ा हमदर्द है ? अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक पर पुनः विचार करें और इसे जैसा माननीय कमलासिंह जी ने सुझाव दिया है, प्रवर समिति में भेजें इन शब्दों के साथ मैं माननीय कमलासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन में उपस्थित है उसके सम्बन्ध में मैं माननीय कमला सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मैंने भी इस विधेयक को बड़े गौर से देखने का प्रयास किया और इसको देखने के पश्चात् जो मेरी समझ में आया अगर उसको संक्षेप में कहा जाय तो यह कहना उचित होगा कि इसका उद्देश्य अपने उत्तर प्रदेश में एक ऐसे महाजन का खड़ा करना है जिसको बहुत सारे अधिकार दे दिये । चाहे जिसकी सम्पत्ति ले ले और उसके ऊपर कोई कानून लागू न हो । इसमें उद्देश्य तो बहुत अच्छे हैं कि किसानों को अपने विकास के लिये ऋण मिल सकेगा लेकिन श्रीमन्, वह सोचें कि कितना होगा, किस आधार पर मिलेगा और कम से कम कितना रुपया होगा, उसका उल्लेख इस बिल में नहीं है । सरकार ने यह भी छिपा रखा है कि कौन-सा लैंड होगा और कैसे इवैल्युएशन होगी । इसकी व्यवस्था इसमें कहीं नहीं दी है । किसान अपनी भूमि के विकास के लिये रुपया लेगा लेकिन सारे का सारा अधिकार जो बैंक को दिया है तो किसान अपने को कर्जे में बांध कर कैसे निकल सकेगा ।

श्रीमन्, इस विधेयक के बारे में जैसा बताया गया है सब के सब अधिकार एक सरकारी कर्मचारी को दे दिये गये हैं । और भगवान के ऐसे अधिकार दिये जाने की बात कही गयी है । इतना ही नहीं इवैल्युएशन के सम्बन्ध में, कार्यवाही के सम्बन्ध में, फैसले के सम्बन्ध में सब बातें ट्रस्टी के अधिकार में छोड़ देना और ट्रस्टी भी जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, को सब अधिकार दे देना विरोध करने का विषय है । इसका मतलब यह भी है कि ट्रान्सफर में लैंड में लागू कोई भी कानून लागू होने वाला नहीं है । रजिस्ट्रेशन इत्यादि के सम्बन्ध में हमारे कर्मचारी को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है । रजिस्ट्रेशन कराने वालों की सारी जिम्मेदारी होगी । सब कानूनों को भंग करके बैंक विशेष को अधिकार दे दिये गये हैं और रजिस्ट्रार को सोल ट्रस्टी बना दिया गया है, यह कहां तक उचित है ? बेचने का अधिकार उन्हीं को होगा, खरीदने का अधिकार उन्हीं को होगा, अदालत का काम और मालिक बन जाने का सारा काम उन्हीं का होगा । सारे अधिकार बोर्ड के होंगे । सारी की सारी प्रापर्टी जिस ढंग से चाहें वह ले सकते हैं । चुकी करने जा रहे हैं प्रापर्टी अटेच करने जा रहे हैं । लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी । इस तरह से सारे अधिकार बैंक को और उसके बोर्ड को हो जाते हैं । इस तरह से लालच दे कर प्रदेश के

किसानों की जमीन को हड़पने का यह एक षड़यंत्र मात्र है और जो एक दफा फंस गया वह फिर निकल नहीं सकेगा। प्रापर्टी अटेच हो गयी तो फिर रिसीवर नियुक्त होगा, कैसे उसकी व्यवस्था होगी कोई जिक्र इस बिल में नहीं है। तो इन सब बातों पर विचार करना आवश्यक है। काश्तकार को यह भी पता नहीं है कि कितनी प्रापर्टी देने पर लैंड के विकास के लिये कितना फंड उसे मिल सकेगा? तो कमलासिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसे प्रवर समिति को भेजा जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं और वहां विभिन्न दल के विधायक उस पर विचार करेंगे तब इसका सुन्दर रूप बन सकेगा।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस बिल की बुनियादी बातों से मैं और मेरी पार्टी तथा जितनी पार्टीज अपने को प्रोग्रेसिव कहती हैं इत्तिफाक करते हैं। लेकिन जमीन की अंतरशिप का जो रिफरेंस इसमें है, कोआपरेटिव के जरिये से रुपये का बटवारा तथा उसकी वसूलयाबी का जो जिक्र इसमें है उस पर विचार करने के लिये इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में भेजा जाय और वहां सब लोग बैठ कर उस पर ठंडे दिल से विचार कर लें तो ज्यादा मुनासिब होगा।

मंत्री जी खुद एक कार्यकर्त्ता हैं और देहातों में कोआपरेटिव के जरिये जो रुपया बंटता है और उसकी जो वसूलयाबी होती है वह उनसे छिपी नहीं है। किसान के द्वारा रुपया लेने के बाद कोआपरेटिव का जितना भी अमला है वह इस बात को प्रोत्साहित करता है कि पूरा रुपया मय सूद के देने के बजाय ट्रांसफर इन्ट्री की शक्ल में वह रुपया जमा हो जाय, ९ रुपये सूद का सीधा-सीधा हिसाब ५ रुपये ऊपर बंटवारे में हो जाते हैं। और वह ट्रांसफर ऐन्ट्री क्या है? कुछ लोग उस बैंक के अन्दर ऐसे होते हैं जो अपना रुपया फ्लोट करते हैं। एक दिन के लिये उन्होंने अपने पास से रुपया जमा कर दिया और दूसरे दिन वह रुपया निकल आया और ५ रुपये का बंटवारा ऊपर हो गया। तो जब किसान की जमीन की बिक्री की नौबत आयेगी तो वह रुपया लेगा और मेचुरल कैलामिटी और इसी तरह से दूसरे वजूहात से जब वह पूरा रुपया दाखिल करने की सूरत में नहीं होगा तो जब उसकी जमीन खरीदी जायगी तो मुझे कुछ ऐसा मालूम होता है कि अगर हमने जल्द से जल्द इस बिल को पास कर दिया और ठंडे दिल से कुछ ऐसी चीजें न सोचीं कि मेचुरल कैलेमिटी वगैरह में हम उनको क्या छूट देने जा रहे हैं जो अभी इस बिल में नहीं हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा।

अब तक जो कोआपरेटिव स्कीम की हालत है, वक्त कम होने की वजह से मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना बतला देता कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये जो रुपया दिया जाता है उसकी क्या हालत है और किसान को जो रुपया दिया जाता है वह किस तरह से मिसयूज होता है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि किसान को जो रुपया दिया जाय वह इस भावना से दिया जाय कि हमें किसान की मदद करनी है, इस जज्बे से न दिया जाय कि अपने रुपये को दे कर उस से आमदनी करना है। मेरी समझ में नहीं आता कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये तो ३ परसेन्ट पर दिया जा सकता है, सारे अखराजात ३ परसेंट में निकल सकते हैं लेकिन जो कोआपरेटिव के द्वारा किसान को रुपया दिया जाता है उसका सूद ३ परसेन्ट के बजाय ९ परसेन्ट होता है और उसका रुपया जमा करने के बाद दोबारा फिर मिलता है तो उसे रुपये की शक्ल में पूरा नहीं मिलता बल्कि उस से कहा जाता है कि २५ परसेन्ट खाद ले लो ....

श्री बनारसीदास—

इस से इसका कुछ वास्ता नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

वास्ता यह है कि जिस हद तक कोआपरेटिव के रुपये से किसान को परेशानी हुई है उसे अगर सामने रख कर हम इस बिल पर गौर करेंगे तो कहीं बेहतर होगा। इस लिये उस को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

इससे जोड़ रहा हूं। मैं कोआपरेटिव स्कीम के फेवर में हूं लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इस रुपये को ले कर किसान और बरबाद हो जाय। पहले ऐसा होता था कि हर गांव में महाजन रुपया देता था और हर गांव में दो, तीन परसेन्ट किसान ऐसे निकलते थे जो बैल खरीदने के लिये, शादी ब्याह वगैरह में महाजन से रुपया लेते थे और महाजन लोग आखिर में उन्हें बरबाद कर देते थे। आज कोपरेटिव स्कीम के जरिये से जो किसान को रुपया मिलता है वह उसे ले लेता है, चाहे सौ रुपये की जगह पचास ही मिले नतीजा यह होता है कि जब रुपया जमा करने की बात होती है तो कभी नैचुरलकैलामिटीज हो जाती है कभी कोई बात होती है और फिर आप के कर्मचारियों की तरफ से यह प्रोत्साहन होता है कि ट्रांसफर एन्ट्री कर लो। मेरे गांव के पास बिदनापुर का गांव है। पांच सौ की उसकी आबादी है। अगर आप उसके कोआपरेटिव क्रेडिट का हिसाब देखें तो वहां साढे दस हजार रुपया कोआपरेटिव का कर्ज है। १२४ बोरे बीज का कर्ज है और इस साल जब कैलामिटी हो गयी, उसमें वहां ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ लेकिन उस रुपये की अदायगी नहीं होगी। जो रुपया जितनी आसानी से मिलता है वह उतनी ही आसानी से खर्च भी हो जाता है। किसान डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। मैं चाहता हूं कि किसानों को रुपया यह सोच समझ कर दें कि वह जरूरतमन्द है और सही काम में ही खर्च करेगा। यह तो किसान की बेहतरी के लिये होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि रुपया का फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो जाय इसलिये कि आपको इनकम हो जाय। किसानों को हेल्प करने की बात आप हटा देते हैं और आप बिजनेस की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। आप किसानों को रुपया देना चाहते हैं हम भी चाहते हैं कि जरूरतमन्द किसानों को रुपया दिया जाय और सभी लोग इस बात को चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों को सामने रखकर आप एक कमेटी बनायें और चाहे उसको थोड़ा सा ही यानी एक ही हफ्ते का वक्त दें लेकिन वह कमेटी ठंडे दिल से सोच समझ कर सब बातें तय करें। कहीं ऐसा न हो कि जैसे कि आजकल रुपया लेता है उसी तरह से लेकर उसका जमीन से पत्ता न कट जाय। इसलिये मैं गुजारिश करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय जहां ठंडे दिल से इस पर विचार हो सके।

(श्री लखीसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब वाद-विवाद इस पर समाप्त हो।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज ही मुझे उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ मिला है। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या बीमारी है? माननीय कमलासिंह जी ने जो इसे प्रवर समिति में भेजने का सुझाव दिया है वह ठीक ही दिया है। वहां इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार हो सकेगा। अभी यहां पर जल्दबाजी में कलाबाजी हो गई है। वही बात इसमें भी हो जायगी। जल्दबाजी में ऐसे वकील जिनको कचेहरी में कोई नहीं पूछता है, उस समय मैंने काफी कहा था कि सोच-समझ कर काम करो, जजों के साथ ऐसा न करो। इसमें हमारी तौहीन होगी। हम यह देख रहे हैं .....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसी विधेयक पर ही बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री सज्जीसिंह—

वहीं आ रहा हूं, श्रीमन् । मेरी प्रार्थना यह है कि माननीय कमलासिंह जी के प्रस्ताव को मान कर इसे प्रवर समिति भेज देना चाहिये। सरकार किसानों की आड़ में, किसानों के बहाने से, किसानों की भलाई की बात कहकर उनको दबाना चाहती है। यह सरकार किसानों का क्या भला करेगी जिसकी नीति ही बिलकुल खराब है, जिसकी नीति ही १६ आने गलत है। यह सरकार किसानों का भला नहीं कर सकती है। इसके उद्देश्य में लिख दिया है कि "भारतीय खेतिहर बहुत समय से इस बात की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं कि किसानों को विशेषतः भूमि का स्थायी रूप से सुधार करने और खेती के अपेक्षाकृत अच्छे तरीके से प्रचलित करने के निमित्त दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था की जाय"।

मैंने पूछा दीर्घकालीन ऋण की बाबत बी० डी० ओ० से, डी० पी० ओ० से, तहसीलदार से, कोआपरेटिव बैंक से—हमारे जिले में बैंक के मैनेजर सात हाथ लम्बे हैं, और इतना भ्रष्टाचार है, वह सच बात बताते ही नहीं। मैंने पूछा कि दीर्घकालीन ऋण से किसानों का क्या फायदा होगा, किन किसानों को मिलेगा, कैसे मिलेगा तो मुझे बताया गया कि जो असली किसान है उसको ऋण मिलेगा ही नहीं। ऋण उसी को मिलेगा जो कांग्रेस के वोटों का प्रचार करेगा, जो कांग्रेसी एम० एल० ए० को चुनाव में जिताते हैं। जो अवसरवादी कांग्रेसी हैं वह रुपया लेकर कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार करते हैं और जो अब कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं उनमें वह काम कर रहे हैं। यही नहीं जो लोकल बाडीज द्वारा एम०एल० सी० का चुनाव हो रहा है उसमें वह मशीन स्टार्ट हो रही है। किसानों को बहकाया जा रहा है। इसलिये मैं निहायत नम्रता-पूर्वक यह अर्ज करूंगा कि एक मन्त्री हैं जो इधर के सुझाव को मानते हैं, वह हैं चौधरी चरणसिंह। उन्होंने दो बार प्रवर समिति को भेजा है। लेकिन माननीय श्री बनारसीदास जी महोदय पश्चिमी जिले के हैं, उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे और इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय और विचार करें बैठ कर विद्वान और जब किसान का फायदा हो, कृषि का फायदा हो, तो हम स्वागत करें। लेकिन अगर टाटा, बिड़ला, सिंहानिया, रामरतन का विकास हो तो हम अब ऊब चुके हैं। बापू जी की तस्वीर मौजूद है कहीं ऐसा मत कर जाना कि किसान के विकास के साथ-साथ किसान का नाश हो जाय। अभी मैं दस दिन अपने क्षेत्र में घूम कर आया हूं। जितनी नहरें हैं, जितने रजबहे हैं, सब तातील कर रखे हैं। इंजीनियर ऐसे बद-दिमाग बना रखे हैं जिनके बाप दादों ने कभी खेती करी नहीं है। रजबहों की सफाई अक्तूबर, नवम्बर में होनी चाहिये और अब की जा रही है। एक डेढ़ महीने से नहर का पानी बन्द है। तो यह खेती का विकास कैसे होगा? तो मैं आप से तीन बार, त्रिवाचा की तरह, प्रार्थना करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दीजिये।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं तो सिर्फ एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करूंगा:—

"इधर पैदाइशे गल्ला बहुत सुस्त, उधर तबलीदे इन्सानी बहुत तेज।
हमारे मुल्क के बहुत अहम मसले, जमीन बांझ और विधेयक ज़नखेज़।।"

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जिस उद्देश्य स लाया गया है वह स्वागत के योग्य है। इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही न पड़ती अगर सहकारिता मन्त्री जी जिस चीज की आवश्यकता इस प्रदेश को बहुत दिनों से महसूस हो रही है उसको पूरा करते। हमारे प्रदेश में सहकारिता के आन्दोलन को हमारी योजनाओं का मुख्य अंग बनाया गया है लेकिन हमारे प्रदेश में जो सहकारिता का कानून है वह बहुत पुराना है और वह आजकल की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखालाल]

अगर वह पूरा ऐक्ट रिवाइज हो गया होता तो आज जो इस बिल में प्राविधान किये गये हैं उनका उसमें समावेश किया जा सकता था और इसको अलग से लाने की जरूरत न महसूस होती। आये दिन सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में काम में दिक्कतें महसूस होती हैं क्योंकि कानून साफ नहीं है। तो इस तरह से पीसमील कानून लाना ठीक नहीं है।

सहकारिता का नया बिल बहुत जल्द आना चाहिये। मैंने सुना था कि शायद सहकारिता मन्त्री इस सत्र में लायें, लेकिन जो कार्यक्रम हमें मिला है उससे मालूम होता है कि अब भी वह नहीं आने वाला है। यह ठीक है कि जिस तरह से आज देहातों में महाजन किसानों को रुपया देकर उनका शोषण करते हैं उनको किसी भी ऐसी एजेन्सी से रिप्लेस करना, उनको सहूलियत पहुंचाना होगा। जो कोआपरेटिव के माने हैं उस उद्देश्य से विकास बैंक की स्थापना बहुत मुनासिब है और वक्त की जरूरत के मुताबिक है लेकिन मेरा माननीय सहकारिता मन्त्री जी से निवेदन है कि अगर इसके कायदे-कानून को इतना सख्त बना दिया गया कि किसानों को उससे कोई सुविधा न मिले, समय पर ऋण न मिल सके तो उससे किसान को कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। यह जरूर है कि सरकार को बैंक का जो ऋण मिले उसकी गारन्टी लेनी चाहिये और जो ऋण दिये जायं उनकी वसूलयाबी के तरीके भी निर्धारित होने चाहिये, उससे जो प्रोनोट और रुक्का लिखाने की जरूरत हो वह भी लिखाने चाहिये; लेकिन अगर महाजन के तरीके को अपनाया जाता है तो फिर सरकार और महाजन में अन्तर ही क्या रहा ? हमने इसमें एक प्राविधान किया है कि जिसने ऋण लिया है और बैंक को तारीख वजूद से एक महीने के अन्दर रुपया नहीं देगा तो बैंक को अधिकार होगा कि वह उसकी जमीन और खड़ी फसल को नीलाम कर सके। मैं समझता हूं कि यह बहुत सख्त कायदा है। महाजन भी इतनी सख्ती नहीं करता। वह एक फसल को छोड़ कर दूसरी फसल का इन्तजार करता है और जमीन नहीं उसकी फसल को नीलाम करता है मगर यहां बैंक फसल और जमीन दोनों को नीलाम कर देगा। यह एक सख्त कायदा है। इससे किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि वह बैंक से कर्ज लें।

दूसरी चीज इसमें यह है कि बैंक को नीलाम करते समय कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उस जमीन को कोई खरीदे मैं समझता हूं कोई कानून ऐसा नहीं बनना चाहिये जो हमारे प्रदेश के दूसरे प्रगतिशील कानूनों के लिये किसी तरह से बाधक सिद्ध हो। मैं यह समझता हूं कि जमीन अगर फिर से सेल होती है और कोई भी उसको अगर खरीद ले तो इससे हमारे लैंड रिफार्म को धक्का पहुंचता है। अगर किसी गरीब काश्तकार की जमीन किसी किश्त के अदा न करने पर नीलाम हुई तो उस जमीन को कौन खरीदेगा। उस जमीन को वह गांव का महाजन ही खरीदेगा जिससे सरकार काश्तकार की जमीन को बचाना चाहती है। तो सहकारिता मन्त्री जी इसको गौर से सोचें कि कितना सख्त कदम उठाने की आप सोच रहे हैं। अगर महीने भर में उसने अदा नहीं किया तो उसकी जमीन नीलाम हो जायगी। नीलाम में कोई बन्धन नहीं है कि फलां आदमी नहीं खरीद सकता है। तो वहां पर वही गांव का महाजन उसी को खरीदेगा जिससे आप उसकी जमीन को बचाना चाहते हैं। जिस सेन्ट्रलाइजेशन को आप बचाना चाहते हैं कि वहां पर न हो उसी तरफ आप मदद करना चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि बैंक भी किसानों से जमीन खरीद सकता है और अगर किसी काश्तकार को जमीन की जरूरत होगी तो वह बैंक से खरीद सकता है। महाजन के अलावा बैंक भी खरीद सकता है। शायद उसको बैंक से मुनासिब पैसा मिल जाय, लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि अगर बैंक खरीदता है तो उस जमीन पर कौन सा कानून लागू होगा। आया उस पर हमारा लैंड रिफार्म का कानून लागू होगा या नहीं ? और उसके अनुसार उसका अमेंडमेंट होगा या नहीं। मैं समझता हूं ये बातें इस विधेयक में नहीं हैं कि उसकी छूट है। लैंड रिफार्म कानून में यह है कि १२॥ एकड़ से ज्यादा जमीन वह नहीं खरीद सकता है। अगर उसके पास इतनी है तो इससे ज्यादा वह नहीं खरीद सकता है। अगर ऐसे आदमियों के ऊपर यह लागू नहीं होता तो फिर

कौन खरीदेगा ? बैंक खरीदेगा तो उसके पास जमीन इकट्ठा होगी और फिर वह क्या करेगा ? वह फिर उसको रिसेल करेगा और तब उससे वही महाजन खरीदेगा। उसको काश्तकार नहीं खरीदेगा। इस वजह से इस पर सोच-विचार करने की जरूरत है। इसमें इस वजह से ऐसी धारा नहीं रखनी चाहिये जिससे किसानों को प्रोत्साहन न मिले।

एक मौलिक चीज है जिसको मैं सहकारिता मन्त्री जी को हिन्ट करना चाहता हूं। दूसरे मुल्कों में सहकारिता आन्दोलन तेजी से चल रहे हैं। जो कैपिटलिस्ट देश हैं वहां पर भी सहकारिता चल रही है, लेकिन हमने अपने यहां समाजवादी लक्ष्य की घोषणा की है फिर भी सहकारिता आन्दोलन हमारे यहां बहुत कोशिश के बावजूद भी कामयाब नहीं है। आप भले ही सन्तोष कर लें लेकिन संतोषप्रद स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है वह इस वजह से कि दूसरे मुल्क में जहां तक सहकारिता आन्दोलन चला वह एक मूवमेंट की शक्ल में चला, लेकिन हमारे देश में वह एक पालिसी की शक्ल में चला है। जब मूवमेंट की शक्ल में चलता है तो वह जनता की मदद से चलता है और जनता उसको चलाती है, लेकिन पालिसी की शक्ल में सरकार चलाती है और वह सरकार की पालिसी होती है। अब सरकार ने पालिसी के तौर पर सहकारिता आन्दोलन को चलाया है। तो किस तरह से यह मूवमेंट की शक्ल ले इसके लिये प्रयास करना होगा और इसके लिये कानून में कुछ प्रोत्साहन देना होगा जो किसानों में उत्साह पैदा कर सके। अगर इस कानून को सख्त बनाया जाता है और किसानों को कोई प्रेरणा नहीं मिली तो भूमि बन्धक बैंक से कोई मकसद हल होने वाला नहीं है और यह सहकारिता आन्दोलन पालिसी की शक्ल में रह जायगा। मूवमेंट की शक्ल पैदा नहीं करेगा। इस वजह से इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। इसमें २, ४ महीने का समय लेकर इस पर विचार किया जाय तो इसको ठीक प्रकार से बना सकते हैं और इसमें जरूरी परिवर्तन कर सकते हैं। इस वजह से जरूरी नहीं है कि इसको आप आज ही पास कर दें। यह अर्जेन्सी अगर पहले नहीं थी तो आज भी नहीं है। इसलिये आप मेहरबानी कर के इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजें ताकि उन दिक्कतों पर ठंडे दिल से विचार किया जा सके जो किसान पर इसके जरिये आने वाली हैं और उनको माडीफाई और सिम्पिल किया जा सके। इन शब्दों के साथ में कमला सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने इस विवाद में भाग लिया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं; लेकिन मुझे अफसोस है कि बनारसीदास जी ओपेन माइन्ड से इसे देख नहीं सके। मैं उम्मीद करता था कि वे इस बिल को प्रवर समिति में भेज कर लाभान्वित होंगे। उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं वे बहुत खतरनाक हैं और मैं साफ लफ्जों में बतलाना चाहता हूं कि जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है वह एक काला कानून है और यह बात कहने में मुझे हिचक नहीं है। मन्त्री जी ने इसे एक रोजगार समझा है। जैसे इंडस्ट्री में रुपया लगा कर वसूला जाता है वैसे ही वह इसे बनाना चाहते हैं। वही उनकी भावना है।

श्री बनारसीदास—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय कमलासिंह जी को विवाद में आयी बातों का उत्तर देना चाहिये, दूसरी स्पीच नहीं। वे नया भाषण दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री कमलासिंह यादव से) जो डिबेट हुई है उसी का आप जवाब दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं यही कह रहा हूं। उन्होंने सुना नहीं। हर कानून में विपत्ति के बाद रिलीफ दी जाती है और उसके लिये ही एक रिलीफ का कानून सदन ने पास किया है, लेकिन इस काले कानून में कोआपरेशन की भावना बिलकुल नहीं है। इसके जरिये विपत्ति दी जा रही है। धारा १७ इस प्रकार है :—

"17. Where any property mortagaged to a land development bank is wholly or partially destroyed or the security is rendered insufficient and the mortgagor, having been given a reasonable opportunity by the managing committee of the land development bank of providing further security so as to render the security sufficient or of repaying such portion of the loan as may be determined by the committee, has failed to provide such loan shall be deemed to fall dues at once and the committee shall be entitled to take action against the mortgagor under this Act or any other law for the time being in force for the recovery thereof."

श्रीमन्, कैलेमिटी के बाद आदमी को राहत दी जाती है, लेकिन यहां अगर किसी तरह से जमीन को नुकसान होता है तो फौरन सारे लोन ड्यू हो जाते हैं और रियलाइजेशन चालू हो जायगा। इससे बढ़ कर निकम्मी चीज दूसरी हो नहीं सकती। ऐसे प्राविजन रहने पर तो इसका नाम विकास के स्थान पर विनाश होना चाहिये। अगर कैलेमिटी में नुकसान हो जाता है किसान का, तो पेमेंट के लिये उसे फोर्स करना बहुत बुरा है। आपको तो विकास के लिये उनको प्रेरणा देनी चाहिये। आज हो क्या रहा है? विकास की जगह विनाश हो रहा है। हर कानून में किसानों के लिये राहत दी गयी है, मगर इस कानून में आप उनकी फसल, उनका खेत तक नीलाम करा सकते हैं।

माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि मई में इसलिये उनको पैसा देने की जरूरत है कि मई में वह अपनी फसल आदि बोता है। मार्च में जब कि उनकी फसल खड़ी होती है तब तो आप वसूलयाबी करते हैं। मैं कहता हूं कि मई में अगर आप देंगे तो आप उनके खेत आदि सब चीजें नीलाम करा लेंगे। आप इसकी आड़ में किसानों का शिकार कर रहे हैं। आपका यह कानून संविधान की धाराओं के खिलाफ होगा। जो रुपया आप उद्योगों में लगाते हैं उस पर सूद दूसरा है, जो कृषि में लगाते हैं उस पर दूसरा है। उद्योगों के मिल मालिकों को और भी कई तरह की सहूलियतें आप देते हैं, इनको वह भी आप नहीं देते। उद्योगों के लिये आप ३—४ परसेंट पर कर्ज देते हैं, किसानों से ९ परसेंट लेते हैं। इन्डस्ट्रीज में किसी कलैमिटी आदि के कारण नुकसान हो जाता है तो आप उनको कुछ छूट भी देते हैं, मगर किसानों को कुछ नहीं है। मिल मालिकों के ऊपर आप करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन किसानों की कोई मदद नहीं करते। तो यह भेद-भाव की नीति आपकी है।

श्रीमन्, इस विधेयक में दिया हुआ है कि समस्त उत्तर प्रदेश के लिये एक से अधिक राज्य भूमि विकास बैंक नहीं होंगे और उतने भूमि विकास बैंक हो सकते हैं जितने निबन्धक द्वारा आवश्यक समझें जायं।

(व्यवधान)

बिजनेस मेन्स कमीशन के पृष्ठ २० पर लिखा हुआ है कि—

"Agriculture is not merely a way of making money by raising crops; it is not merely an industry or a business; it is essentially a public function or service performed by private individuals for the care and use of the land in national interest, and farmers in the course of their pursuit of a living and a private profit are the custodians of the basis of the national life. Agriculture is therefore affected with a clear and unquestionable public interest, and its status is a matter of national concern calling for deliberate and far-

sighted national policies, not only to conserve the natural and human resources involved in it but to provide for the national security, promote a well-rounded prosperity, and secure social and political ability."

मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान रात-दिन मेहनत करता है, खून का पसीना बनाता है, उसका कमाया हुआ हम खाते हैं लेकिन जहां उसकी मदद का सवाल आता है तो हम उसके साथ डिसक्रिमिनेशन बरतते हैं।

माननीय बेचन राम जी ने कहा कि अगर कोई चीज नीलाम कर दी जाय तो उस नीलाम के बारे में कोई सवाल उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिये । यह चीज बिलकुल गलत होगी । अगर कोई आदमी ४ हजार की प्रापर्टी को १०० रुपया में ले लेता है तो ऐसे केसेज में किसान को राहत अवश्य मिलनी चाहिये कि वह उसके खिलाफ किसी कोर्ट में जा सके।

माननीय त्रिपाठी जी ने बहुत सी बातें कहीं, मैं उनकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। जो गांवों में कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया था कि उनमें पेपर ट्रान्जेक्शन होता है । यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है और इस विभाग के द्वारा उसको चेक करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है । कोई देखने वाला नहीं है कि वह रुपया कमा कर अदा करता है या नहीं । नतीजा यह होता है कि ज्यादा इन्टरेस्ट देकर वह रुपया ले रहा है । आजकल महाजन नहीं तो आपका सुपरवाइजर महाजन हो रहा है । वह हजारों रुपये की आमदनी करता है और रुपया लेकर पेपर ट्रान्जेक्शन करता है । मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी किसी प्राइवेट सोर्स से पता लगवा कर इस रोजगार को बन्द कराने का प्रयत्न करें नहीं तो यह एक विप्लव का रूप धारण कर सकता है ।

जब कभी ऐसे विधेयक आते हैं किसानों के फायदे के लिये उसमें सब किया जाता है । अतः हमें यह देखना होगा कि यह बैंक किसानों के विकास के लिये बना है या नहीं । जिन जिन चीजों की विकास के लिये उसको आवश्यकता होती है उन-उन चीजों को हमें मुहैय्या करके देना चाहिये ताकि वह अच्छी से अच्छी फसल पैदा करके दे सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ भी कमा सके । स्विटजरलैंड आदि देशों में ऐसा देखा गया है और उस प्रणाली को मद्रास में अपनाया गया है । किसानों के पास जितना गल्ला होता है उसको मार्केटिंग के द्वारा अपने गोदामों में रख लिया जाता है और उसके बाद धीरे-धीरे वहां के आफिसर लोग उस गल्ले को रिलीज करते हैं ताकि उसकी बेस्ट प्राइस किसानों को मिल सके । अगर माननीय मन्त्री जी यहां पर उस कोआपरेशन की भावना को लाना चाहते हैं तो इसकी कोशिश करें ताकि किसान अच्छी फसल पैदा कर सके और उसकी बेस्ट प्राइस उसे साल के अन्दर प्राप्त हो सके और उससे वह लाभ उठावे । अधिक न कह कर मैं माननीय मन्त्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जो रोजगार वाली नीति है उसको बदलने की कोशिश करें । यह देखने में आया है कि जब स्टारवेशन होता है, जैसे बंगाल में स्टारवेशन हुआ था तो उस वक्त रोजगारियों ने यह नहीं देखा कि खरीदने वाले की कैपेसिटी नाज खरीदने की नहीं है, बल्कि उन्होंने तो नाज को ज्यादा से ज्यादा दाम पर बेचा । उन्होंने यह नहीं देखा कि हमारा पड़ोसी भूखों मर रहा है और उसकी कैपेसिटी नाज खरीदने की नहीं है इसलिये उसकी कुछ मदद कर दो । ऐसे मौके पर हर आदमी जिसके पास गल्ला होता है यही सोचता है कि उसे उसके लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया मिले । अगर उसने बड़ी मेहरबानी की तो एक सेर या दो सेर ऐसे ही दे दिया । तो मैं माननीय बनारसी दास जी से प्रार्थना करता हूं कि वे थोड़ा सा अपना रवैया बदलें । वे कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के इन्चार्ज हैं इसलिये वे किसानों की तकलीफों की तरफ ध्यान दें ।

शुरू में मैंने इस कानून को काला कानून नहीं कहा, लेकिन जब वे इस बात पर दृढ़ हो गये कि वे इसे प्रवर समिति में नहीं भेजेंगे और उसी रूप में वे पास कराना चाहते हैं, तब मेरी ऐसी धारणा हुई कि वाकई यह काला कानून है और इसलिये मैंने इसे काला कानून कहा है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम वे अपनी नीति जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि हम इसको पालिसी के रूप में न रख कर जो सही नीति है उस पर चलने की

[श्री कमलासिंह यादव]

कोशिश करें ताकि किसानों व दूसरे आदमियों का उधर ऐट्रेक्शन हो जाय और इससे वे लाभान्वित हो सकें।

*श्री बमारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और मैं उस भावना का भी आदर करता हूं जो इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में इसलिये व्यक्त की गयी कि इस कानून के अन्दर जो कमियां हैं वे दूर की जा सकें और इस कानून को किसानों के लिये ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके। परन्तु जिस भावना को माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं उनका आदर करते हुए भी किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इस विधेयक को जितना शीघ्र पारित किया जा सके, पारित किया जाय।

एक प्रश्न यह पैदा होता है कि यह भूमि विकास बैंक जब कि हमारे प्रदेश में कई साल से काम कर रहा है, तो अगर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और ४–६ महीने के बाद यह विधेयक अधिनियम बने तो क्या हानि होगी। अभी माननीय फूल सिंह जी ने इस बात की शिकायत की कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में काफी मुद्दत के लिये कर्जे का कोई लाभ हम नहीं उठा सके जब कि दूसरे प्रदेश को कई प्रगतिशील सरकारों ने इसका लाभ उठाया उन्होंने यह भी शिकायत की कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि लम्बी मुद्दत के लिये कर्जा किसानों को देने के लिये रखी गयी थी १० करोड़ रुपये की, वह भी हमारे प्रदेश की आबादी के अनुपात की दृष्टि से बहुत कम है और साथ ही अब तक एक करोड़ दस लाख कर्जा जो दिया गया है उसका आपरेशन भी बहुत ही असन्तोषजनक है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस विधेयक के अभाव में अब तक जो लैंड डेवलपमेंट बैंक कर्जा दे रहा है उसके पीछे कोई कानून नहीं है, कोई सेंक्शन नहीं है। जिस तरह से साधारण व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराने जाना पड़ता है उसी तरह से जमीन का बंधक रखने के लिये उनको भी सब रजिस्ट्रार आफिस में जाना पड़ता है लिहाजा साधारणतया तीन चार महीने की देरी रजिस्ट्रेशन के अन्दर लग जाती है। इसलिये इस कानून का पास होना बहुत जरूरी है।

माननीय कल्पनाथ सिंह और माननीय माधो प्रसाद त्रिपाठी जी ने खासतौर से खंड ११, १५, १६ व १७ पर आपत्ति की है और एक आपत्ति यह भी की गई कि यहां रजिस्ट्रार को एक ट्रस्टी बनाया जा रहा है और कहा गया कि धारा ४ के माहतहत किसी नान-आफिशियल को ट्रस्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अगर इस पर हम गौर से विचार करें तो जब इस लैंड डेवलपमेंट बैंक को डिबेन्चर्स को फ्लोट करने का अधिकार होगा और स्टेट को गारन्टी देना होगी तो उसके लिये ही यह जरूरी समझा गया कि इसके लिये धारा ४ में रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाय। बैंकों का नियम यह है कि डिबेन्चर्स के लिये पूरी गारन्टी होना चाहिये कि उन का रुपया सुरक्षित है। इसलिये इस में रजिस्ट्रार का प्राविधान किया गया है और इस से कोई हानि नहीं है। जहां तक त्रुटियों का और जल्दबाजी का सवाल है, यह विधेयक जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के कमीशन का जो एक माडल बिल था उसी के ऊपर आधारित है और सन् ३४ का एक मद्रास का विधेयक है, एक सन् ५७ का एक पंजाब का कानून है और महाराष्ट्र का एक कानून है, यह सारे कानून इन राज्यों में सन् ३४ से और सन् ५७ से काम कर रहे हैं और उन के अनुभवों के आधार पर हम ने इस कानून को सदन के सामने रखा है।

इसके अलावा जैसा कि हम ने प्रारम्भ में निवेदन किया कि इसी सदन में सन् ६० में कोआपरेटिव का एक पूरा बिल आया था, जिसपर सदन ने विचार किया था और सेलेक्ट कमेटी को भी सुपुर्द किया था और वहां भी जहां तक लैंड डेपलपमेंट बिल की धाराओं का सवाल है उसपर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी प्रकार का विरोध या आपत्ति नहीं थी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह बराबर और यह मसविदा कानून सदन के सामने सन् ६० से विचाराधीन है। अगर ४ साल से उस पर विचार नहीं कर सके और दूसरे राज्यों के अनुभव के आधार पर चलकर भी हमें अगर आगे उसमें कुछ त्रुटियां दिखाई दें तो उन को फिर संशोधन बिल के द्वारा दुरुस्त करने के लिये यह सदन सक्षम है और कुछ समय के बाद आप एक संशोधन विधेयक ला सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमें इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि अगर हम इस वक्त इस बिल को पास नहीं करते हैं तो क्या हानि होगी और उसके पास करने से किसानों को लाभ होगा या नहीं।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक के माध्यम से पूर्ण सहकारिता के सिद्धान्तों और नीतियों पर सभी कुछ कहने का प्रयास किया गया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि धारा ११ के अनुसार कर्जा अदा नहीं होगा और उस हालत में यह बैंक जमीन लेता चला जायगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा इरादा है कि वह किसानों को उन की भूमि से डिसप्लेस कर दे और सारी भूमि को कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दें। यदि उनका कोई ऐसा भय है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उनके दिमाग में यदि कोआपरेटिव प्रणाली के ही बारे में कोई विचार बन गया है जो उनके दिमांग में काफी जकड़ चुका है तब तो मैं उनकी शंका दूर नहीं कर सकता। ऐसा करने में सदन के समय का दुरुपयोग होगा यदि मैं कोआपरेटिव के सिद्धान्त या कोआपरेटिव फार्मिंग के सिद्धान्तों का यहां विवेचन करूं। प्रश्न यहां केवल यह है कि क्या ऐसी किसी एजेन्सी की जरूरत है या नहीं, यह लैंड मार्गेज बैंक बनाये जाने चाहिये या नहीं।

माननीय फूलसिंह, भोखालाल जी, बेचनराम जी और कमलासिंह जी ने स्वयं इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है और मैं भी चाहूंगा जैसा कि श्री फूलसिंह और कमलासिंह जी ने कहा और हमें सब से ज्यादा खुशी होगी अगर किसी तरह से इन बैंकों की ब्याज की दर घटाई जा सके। इस समय बैंक साढ़े सात प्रतिशत किसानों से ब्याज लेते हैं लेकिन अगर पेमेंट समय के भीतर किया जाता है तो आधा प्रतिशत को छूट देकर सात प्रतिशत ही लिया जाता है। यदि रिजर्व बैंक या यू० पी० गवर्नमेंट लैंड मार्गेज बैंक को बिना ब्याज रुपया दे सकें या जिले के बैंकों को मैनेजिंग सबसिडी दे सकें या स्टेट बैंक का खर्च अपने हाथ में ले सकें तो हमें भी प्रसन्नता होगी। हम चाहते हैं कि यह ब्याज का रेट कम हो इसके लिये धनराशि की व्यवस्था करने की जरूरत है। लेकिन जहां तक लैण्ड मार्गेज बैंक है यह एक ऐसी संस्था है जिसको इसलिये कायम किया जा रहा है कि जैसे आज इण्डस्ट्रीज को डेवलप करने की उनको फाइनेंस करने की संस्थाएं हैं यह लैंड डेवलप करे। यह एक प्रकार की वैसी ही संस्था है। डिबेन्चर्स को फ्लोट करने का हमारा लक्ष्य १० करोड़ रुपये का था। लेकिन अगर ज्यादा कर्जा भी किसानों ने मांगा तो हम २०—५० करोड़ तक भी दे सकते हैं बशर्ते कि लोग लम्बी मदद को हमारी स्टेट के अन्दर चाहें। यदि लम्बी मदद जैसी होगी तो हम और डिबेन्चर्स फ्लोट करेंगे। मुझे इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि जितनी भी धनराशि के डिबेन्चर्स हम चाहेंगे वे पूरी तरह से मिल जायेंगे। धारा १७ के अन्दर दिया हुआ है कि यदि किसी भूमि विकास बैंक के पास बंधक रखी गई कोई सम्पत्ति पूर्णतः अथवा अंशतः नष्ट हो जाय या सिक्योरिटी नष्ट हो जाय तो उससे दुबारा सिक्योरिटी मांग की जायगी। बहरहाल यह बैंकों के उसूल हैं उसमें गारन्टी रखने की। जिनसे हमने डिबेन्चर्स के रूप में कर्जा लिया है उसको अदा करने के लिये इस तरह की गारन्टी हों। मैनेजिंग कमेटी में जो कर्जा लेंगे उनके सदस्य होंगे, जिलों के प्रतिनिधि होंगे, उनके रिप्रेजेन्टेटिव होंगे तो मैं नहीं समझता कि जो किसानों के प्रतिनिधि होंगे वे इस कदर विवेकहीन होंगे कि वे इस प्रकार की सुविधाओं को न देख सकेंगे।

धारा ११ के अन्दर लिखा हुआ है कि :—

"provided that when a land development bank purchases any mortgaged holding a *sirdar* it shall deposit necessary funds with Government to acquire *bhumidhari* rights in accordance with the provisions of the U. P.,

[श्री बनारसीदास]

Zamindari Abolition and Land Reforms, Act, 1950, and shall be able to dispose of the land by sale only after *bhumidhari* rights have been acquired."

तो यह कानून किसी भी लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट को सुपरसीड नहीं करता है। यह आशंका करना इससे नहीं होती कि महाजन खरीद लेगा। लैन्ड इवैल्युएशन ऐक्ट के मातहत धारा १५ के अन्दर दिया हुआ है कि अगर कोई इन्सटालमेंट, जब से वह ड्यू है एक मास से अधिक अदत्त रहा हो तो प्रबन्ध समिति किसी ऐसे अन्य प्र-युपाय के अतिरिक्त जो उक्त बैंक को प्राप्य हो, बंधक ग्रस्त भूमि नीलाम हो सकती है और फसल नीलाम की जा सकती है। रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जायगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक साल तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। बहरहाल जब कोई कर्जा दिया जाता है उसके लिये कोई न कोई प्रतिबन्ध भी लगाने पड़ते हैं। जहां तक कोआपरेटिव की और चीजों का जिक्र किया गया है अगर मैं उनमें जाऊं तो विषयान्तर हो जायगा और मैं भी उसी तरह से पुनरावृत्ति करूंगा, जैसा माननीय सदस्यों ने की। कोआपरेटिव में जो चीजें हैं उनसे मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। जुलाई में जब कोआपरेटिव बिल आयेगा तो उसके बारे में प्रवर समिति को भेजने के बारे में अगर कहा जावेगा तो उसे हम स्वीकार करेंगे। मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा कि उस पर विचार किया जाय ताकि कोआपरेटिव आन्दोलन को सुदृढ़ बनाया जाय और सही मानी में जनता की भावनाओं को वह प्रतिबिम्बित कर सके।

हम भी चाहते हैं कि कम ब्याज पर रुपया किसानों को मिले, ज्यादा से ज्यादा सुविधायें उनको मिलें। लेकिन अगर सेलेक्ट कमेटी को इसे सुपुर्द कर दिया जायगा तो ४, ५ महीने तक लैंड डेवलपमेंट का काम बन्द करना होगा। १ करोड़ १० लाख रुपया हम वितरित कर चुके हैं, इसके अलावा वितरण करना बन्द करना होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार ९ करोड़ हमको लम्बी मुद्दत के लिये कर्जा देना बाकी है उसे भी रोकना होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा शार्ट टर्म लोन से किसान का विकास नहीं हो सकता इस लिये १० साला कर्जे की योजना बनाई है। इसकी कोई गारंटी नहीं कर सकता कि एक आदमी ने जिस मकसद के लिये कर्जा लिया है वह उसी मकसद के लिये इस्तेमाल होता है। इसके लिये समाज में रुचि और जाग्रति पैदा करनी होगी और जिले जिले में भूमि सुधार के लिये इकाइयां बनेंगी। इसके लिये एक स्टेट डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है। इसलिये इस विधेयक के संबंध में जो आशंकायें व्यक्त की गयी हैं वे निर्मूल हैं। लेकिन यदि इस बिल के पास करने में देरी होती है तो कर्जा बांटने में कठिनाई होगी और जो डिबेन्चर्स फ्लोट किये हैं उनके आधार पर जो कर्जा किसानों को दिया है तो जो डिबेन्चर होल्डर्स हैं उनके मन में आशंका पैदा हो सकती है। इस बिल के द्वारा हम सदन स्वीकृति मांग रहे हैं कि गवर्नमेंट गारंटी कर सकेगी। अभी तो दिक्कत होती है। कोई कानून विधान सभा का नहीं है जिसके द्वारा गवर्नमेंट गारंटी दे सके। हम दो करोड़ रुपया का लोन फ्लोट करें तो अन्तरिम गारंटी सरकार की होनी चाहिये और इसी प्रकार अन्य असुविधाओं के लिये, जिनको हम फोरसी नहीं कर सकते, कोई गारंटी फंड होना चाहिये। गारंटी फंड में कितना कांट्रिब्यूशन हो जिले जिले का और स्टेट बैंक का यह सब रूल्स के जरिये होगा। कर्जा कितना मिलना चाहिये वह भी रूल्स के जरिये ही होगा। लगान का १०० गुना और सर्किल रेट का ५० गुना अब तक है और अधिक उदार किया जाय इस तरह की व्यवस्था रूल के जरिये की जा सकती है। पहाड़ों में रेट उदार रखे गये हैं। अगर इस बिल को ज्यादा उपयोगी करने के लिये इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाता है तो मैं यह समझता हूं कि स्वयं यह बात उस लक्ष्य के विरुद्ध होगी जिस दृष्टि से आप इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहते हैं। यदि ४,६ महीने के बाद आप कोई संशोधन जरूरी समझते हैं तो पूरी तरह से आप कर सकते हैं। फिर मद्रास, महाराष्ट्र तथा दूसरे राज्यों की बिना पर यह बिल बना है। और अधिक बहस में जाना विषयान्तर होगा। कोई वजह नहीं है कि हमारे यहां भी यह उपयोगी सिद्ध न हो सके।

इंडस्ट्री को क्या लोन मिलता है, क्या रेट आफ इंटरेस्ट है यह विषयान्तर है। अलग-अलग इसके लिये बैंक्स हैं। शेडयूल्ड बैंक है जिसने ४ करोड़ का कर्जा गरीब किसानों को दिया। मैंने अर्ज किया कि ये तो जगह-जगह बैंक हैं और उनका कार्यक्षेत्र है। विधान के अनुसार अब तक स्टेट कोई ऐसी एजेन्सी पैदा नहीं करती क्योंकि जैसा फूलसिंह जी ने कहा कि ज्यादातर किसानों का क्रेडिट नहीं है, तो जिनका क्रेडिट नहीं है उनको शेड्यूल्ड बैंक्स से कर्जा नहीं दिया जा सकता। इस तरह का खतरा सरकार उठा सकती है। तो सरकार यह फैसला करे कि हम बिना किसी जमानत के किस हद तक कर्जा देना चाहते हैं, किस हद तक सरकार बैड डेट को मानने के लिये तैयार है, किस हद तक हम सिंकिंग फंड बैड डेट कायम करना चाहते हैं। यह तुलना करना कि इंडस्ट्री को कम रेट पर मिलता है यह प्रश्न यहां नहीं है। लेकिन माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि मैं इस बिल को इंडस्ट्री के लोन की तरह देखता हूं, जैसे इंडस्ट्री का लोन वसूल होता है उसी तरह कृषकों का वसूल होना चाहिये। बहरहाल, कर्जा-कर्जा होता है। उसको वसूल करने के लिये कुछ ऐसी कंडीशन्स होनी चाहिये जिससे उसको वसूल किया जा सके। मुझे आश्चर्य है कि इतनी आसानी के साथ मेरे दोस्त कमलासिंह जी ने इस बिल को काले कानून का विशेषण दे दिया। मैं नहीं समझता कि जो बिल वाकया जनता के हित के लिये घातक होगा उसके लिये वे क्या विशेषण इस्तेमाल करेंगे। शायद इसका कारण घुंधलापन हो सकता है या थोड़ा समझ में न आना हो सकता है। यह विधेयक ऐसा है जिस पर देरी नहीं करना चाहिये बल्कि इसका स्वागत करना चाहिये था और उनको कहना चाहिये था कि इस बिल पर सदन में इतना समय लेने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिये मुझे खेद है कि मैं उनके प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये मजबूर हूं और मुझे आशा है कि कमलासिंह जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं एक क्लैरिफिकेशन मंत्री जी से चाहता हूं। कोआपरेटिव सोसायटीज इन्कमटैक्स और सुपरटैक्स से बरी कर दी गयी हैं इस लिये कि ये प्राफिट हंटिंग कंसर्न नहीं होनी चाहिये; लेकिन यहां मैं देखता हूं कि भावनायें प्राफिट हंटिंग की हैं। तो यह ऐसा क्यों है ?

श्री बनारसीदास—

इसमें कहीं प्राफिट हंटिंग की भावना नहीं है। हमने अर्ज किया कि एक गारंटी फंड हम बनाना चाहते हैं ताकि बैड डेट्स को कवर कर सकें। डायरेक्टर्स को अधिकार है कि अगर कोई लाभ होता है तो वे डिवीडेन्ट दे दें या बोनस की शक्ल में बांट दें, कोई हानि नहीं है। बहरहाल, यह किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है। यह तो समाज का पैसा होगा। प्राफिट मेकिंग एम इसका है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन ३ मास में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[श्री उपाध्यक्ष]

खंड २

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "मंडल" का तात्पर्य राज्य भूमि-विकास बैंक के निदेशक मंडल से है ;

(ख) "उप-विधियों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबंधित उप-विधियों से है और इसके अन्तर्गत उप-विधियों का कोई निबंधित संशोधन भी है ;

(ग) "भूमि-विकास बैंक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जो राज्य भूमि-विकास बैंक के सदस्य के रूप में स्वीकृत (Admit) की गयी हो और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को, सामान्यतया भूमि के सुधार और कृषि से संबंधित अन्य उत्पादक प्रयोजनों के लिये अचल सम्पत्ति के बन्धक पर ऋण देना हो ;

(घ) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य किसी भूमि-विकास बैंक के उस शासी निकाय से है जिसे उसके कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया हो ;

(ङ) "अधिकारी" के अन्तर्गत सभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, मण्डल या प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जिसे नियमों या उप-विधियों के अधीन राज्य भूमि-विकास बैंक या किसी भूमि-विकास बैंक के कार्य के संबंध में निदेश देने का अधिकार प्राप्त हो ;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(छ) "नियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली से है ;

(ज) "निबंधक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के लिये सहकारी समितियों के निबन्धक के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन मंडल द्वारा बनाये गये विनियमों से है ;

(ञ) "राज्य भूमि-विकास बैंक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसका कार्य-क्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश में हो और जो किसी भूमि-विकास बैंक का कार्य कर रही हो और जो उसकी सदस्यता में सम्मिलित अन्य भूमि-विकास बैंकों के, यदि कोई हो, कार्य को सुकर बनाती हो ;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(ठ) "न्यासधारी" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा ४ में अभिदिष्ट न्यासधारी से है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मुहम्मद रफी खां अब संशोधन पेश करेंगे ।

(श्री मुहम्मद रफी खां के सदन में न होने पर ।)

श्री बेचनराम---

मैं इसे प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

यह कैसे हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---

हमारे पास लिखकर आ गया है । वह इस प्रकार है कि---

"With due respect it is requested that I have submitted some amendments in U. P. Co-operative Land Development Banks Bill, 1964, on April 10, 1964. In this connection it is requested that I am suffering in fever since 10th morning and unable to attend the House to day. So kindly permit Sri Bechan Ram, M.L.A., to submit these amendments today before the House on my behalf, due to my illness."

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, जरा शब्दावली तो देखिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

सैंस देखा जाता है । उन्होंने औथोराइज कर दिया है ।

श्री बेचनराम---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २(ग) में शब्द "भूमि विकास बैंक" के पश्चात् शब्द "या सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जायं ।

खंड २ (ञ) में शब्द "राज्य-भूमि-विकास बैंक" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, यह संशोधन बहुत ही सामान्य प्रकार का है और इसमें केवल इस बात का उपचार रखा गया है कि भूमि विकास बैंक और सहकारी भूमि विकास बैंक दोनों एक ही समझे जायेंगे । भूमि विकास बैंक जिलों में स्थापित संस्था का नाम है और कहीं सहकारी भूमि विकास बैंक है । इसलिये कोई लीगल डिफिकल्टी पैदा न हो इसलिये यह संशोधन रखा गया है । इसलिये कोई खास बात नहीं है । यही बात दूसरे संशोधन के लिये है ।

श्री बनारसीदास---

मुझे स्वीकार है ।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, इसमें दिया हुआ है कि भूमि विकास बैंक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबंधित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जो राज्य भूमि विकास बैंक के सदस्य के रूप में स्वीकृत की गई हो । इसमें सहकारी जोड़ा नहीं गया है । इसलिये इसमें भी संशोधन हो जाय तो अच्छा हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो शब्दिक संशोधन है, बाद में भी हो सकता है।

प्रश्न यह है कि खंड २ (ग) में शब्द "भूमि-विकास बैंक" के पश्चात् शब्द "या सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ (ञ) में शब्द "राज्य भूमि-विकास बैंक" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३—१५

भूमि-विकास बैंकों की संख्या

३—समस्त उत्तर प्रदेश के लिये एक से अधिक राज्य भूमि-विकास बैंक नहीं होंगे और उतने भूमि-विकास बैंक हो सकते हैं जितने निबन्धक द्वारा आवश्यक समझे जायें।

न्यासधारी की नियुक्ति तथा उसके अधिकार और कृत्य

४—(१) निबंधक, मंडल द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रधारियों के प्रति राज्य भूमि-विकास बैंक के दायित्वों (obligations) की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये न्यासधारी होगा।

(२) न्यासधारी के अधिकार और कृत्य इस अधिनियम के उपबन्धों तथा राज्य भूमि-विकास बैंक और न्यासधारी के मध्य निष्पादित न्यास-संलेख (instrument of trusts) द्वारा, जैसा कि वह उनके मध्य परस्पर अनुबन्ध द्वारा और राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर परिष्कृत हो, शासित होंगे।

न्यासधारी एक एकल निगम होगा

५—धारा ४ के अधीन नियुक्त न्यासधारी, न्यासधारी के नाम से एक एकल निगम होगा और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार (perpetual succession) होगा और एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद चलायेगा और उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जायगा।

मंडल द्वारा ऋण-पत्रों का जारी किया जाना

६—(१) राज्य सरकार और न्यासधारी की पूर्व स्वीकृति से तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार प्रवृत्त करे, मंडल समय-समय पर, धृत बंधकों या अर्जित किये जाने वाले बन्धकों को अथवा धृत बन्धकों और अर्जित किये जाने वाले बन्धकों दोनों ही को, तथा ऐसी अन्य परि-संपत्ति (assetd) को, जो भूमि विकास बैंकों द्वारा राज्य भूमि-विकास बैंक को संक्रमित की गयी हो अथवा धारा १२ के उपबन्धों के अधीन संक्रमित की गयी समझी गयी हो तथा राज्य भूमि-विकास बैंक की अन्य संपत्तियों की भी प्रतिभूति पर एक या अधिक अभिधानों (denominations) के ऋण-पत्र ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो वह इष्टकर समझे, जारी कर सकता है।

(२) ऐसे ऋण-पत्रों में ऐसी शर्त रखी जा सकती है जिसमें जारी किये जाने के दिनांक से दस वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि निश्चित् की जाय जिसमें वे अविमोच्य (irredeemable) होंगे अथवा जिनमें मण्डल के लिए यह अधिकार रक्षित रखा जाय कि वह संबंधित ऋण-पत्रधारी debenture holder को कम से कम तीन मास की लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी ऋण-पत्र को उसके विमोचन के लिये निश्चित दिनांक से पूर्व किसी भी समय प्रत्याहूत to call in कर लें ।

(३) उप-धारा (१) के अधीन मण्डल द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों पर देय सम्पूर्ण अदत्त धनराशि, किसी भी समय निम्नलिखित धनराशियों के योग से अधिक न होगी :—

(क) बन्धकों पर देय धनराशियां, तथा ऐसी अन्य परिसंपत्ति का मल्य जो भूमि-विकास बैंकों द्वारा राज्य भूमि-विकास बैंक को संक्रमित की गयी हों अथवा धारा १२ के अधीन संक्रमित की गयी समझी गयी हों तथा जो तत्समय वर्तमान हों :

(ख) पूर्वोक्त बन्धकों के अधीन भुगतान की गयी धनराशियों और वे धनराशियां जो उस समय मण्डल या न्यासधारी के पास शेष हों : और

(ग) खण्ड (क) तथा (ख) में उल्लिखित धनराशि का ऐसा प्रतिशत जो नियत किया जाय ।

कुछ सम्पत्तियों पर ऋण पत्रधारियों का प्रभार

७—ऋण-पत्रधारियों का निम्नलिखित पर चल प्रभार(floating charge) होगा—

(क) ऐसे समस्त बन्धक, परिसंपत्ति तथा धनराशियां जो धारा ६ की उपधारा (६) के खण्ड (क) तथा (ख) में अभिदिष्ट है: और

(ख) राज्य भूमि-विकास बैंक की अन्य संपत्तियां ।

ऋण-पत्रों का मूलधन और उनका ब्याज राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा

८—(१) धारा ६ के अधीन जारी किये गये ऋणपत्रों का मूलधन तथा उनका ब्याज ऐसी अधिकतम धनराशि तक जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत की जाय, तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें आरोपित करना उचित समझे, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा ।

(२) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, उप-धारा (१) के अधीन दी गयी किसी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ा सकती है ।

(३) राज्य सरकार, मंडल तथा न्यासधारी से परामर्श करने के पश्चात्

(क) सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, और

(ख) स राज्य तथा भारत के अन्य राज्यों के ऐसे प्रमुख समाचार-पत्रों में नोटिस देकर जिन्हें इस संबंध में राज्य सरकार चुने,

एक निर्दिष्ट दिनांक से, जो सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन से छः मास से पूर्व का न हो, अपने द्वारा दी गयी किसी प्रत्याभूति को समाप्त कर सकती हैं अथवा उसको अधिकतम धनराशि को कम कर सकती है अथवा उन शर्तों में परिष्कार कर सकती है, जिनके अधीन वह दी गयी हों:

प्रतिबंध यह है कि किसी प्रत्याभूति की समाप्ति, कमी अथवा परिष्कार किसी भी प्रकार से उस प्रत्याभूमि पर प्रभाव न डालेगा जो उस दिनांक के पूर्व जारी किये गये किसी ऋण पत्र के संबंध में हो जबसे ऐसी समाप्ति, कमी या परिष्कार प्रभावी हो ।

(४) जब प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि कम करना हो अथवा उन शर्तों को जिनके अधीन प्रत्याभूति दी गयी हो, परिष्कृत करना हो, तो उपधारा (३) में अभिदिष्ट प्रत्येक विज्ञप्ति और नोटिस में, यथास्थिति, ऐसी कमी अथवा परिष्कार के क्षेत्र और प्रभाव का यथार्थतः उल्लेख होगा ।

प्रत्याभूति निधि

९—(१) राज्य सरकार ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों पर जिन्हें वह उचित समझे एक प्रत्याभूति निधि (guarantee fund) उन हानियों को पूरा करने के लिए स्थापित कर सकती है जो नियत की गई परिस्थितियों में भूमि-विकास बैंकों द्वारा बंधकों की प्रतिभूति पर दिये गये ऋण के पूर्ण रूप से वसूल न हो सकने के कारण उत्पन्न हों ।

(२) राज्य भूमि-विकास बैंक तथा भूमि विकास बैंक उक्त निधि में से ऐसी दरों पर अंशदान देंगे जो नियत की जायें ।

(३) उक्त निधि का अनुरक्षण और उपयोग ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो नियत किये जायें ।

कुछ दावों पर बन्धक की पूर्वता

१०—इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् राज्य भूमि-विकास बैंक या भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भी बंधक को लैंड इंप्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ के अधीन, किसी ऐसे ऋण से, जो उक्त बन्धक के निष्पादन के पश्चात् दिया गया हो, उत्पन्न सरकारी दावे पर पूर्वता प्राप्त होगी । ऐक्ट सं० १९, १८८३

भूमि-विकास बैंक अथवा राज्य भूमि-विकास बैंक का बन्धकग्रस्त सम्पत्ति तय करने का अधिकार

११—(१) तत्समय प्रचलित किसी विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, भूमि-विकास बैंक अथवा राज्य भूमि-विकास बैंक के लिए इस अधिनियम के अधीन विक्रीत किसी बन्धकग्रस्त संपत्ति को क्रय करना वैध होगा तथा इस प्रकार क्रय की गयी संपत्ति उक्त बैंक द्वारा ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी द्वारा निश्चित की जाय, बेच कर निस्तारित की जायगी, किंतु प्रतिबंध यह है कि जब भूमि-विकास बैंक सीरदार की किसी बन्धकग्रस्त जोत को खरीदे तो वह १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भूमिधरी अधिकार अर्जित करने के लिये सरकार के पास आवश्यक धनराशि जमा करेगा और वह भूमि को बेचकर निस्तारित करने में तभी समर्थ होगा जब कि उसने भूमिधरी अधिकार अर्जित कर लिये हों । १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम सं० १

(२) १९५० ई० के जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १५४ में अथवा तत्समय प्रचलित किसी भी अन्य विधि में दी गयी कोई भी बात जिसमें कृषि जोत की अधिकतम सीमा नियत की गयी हो, भूमि-विकास बैंक अथवा राज्य भूमि-विकास बैंक द्वारा उपधारा (१) के अधीन भूमि के अर्जन पर प्रवृत्त न होगी । १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम सं० १

भूमि-विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक राज्य भूमि-विकास बैंक में निहित होंगे

१२—इस अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व अथवा उसके उपरान्त भूमि-विकास बैंक के सदस्यों द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित बंधक तथा उसे संक्रमित अन्य समस्त परिसंपत्तियां ऐसे निष्पादन या संक्रमण के दिनांक से उक्त भूमि-विकास बैंक द्वारा राज्य भूमि-विकास बैंक को संक्रमित की गयी समझी जायगी और राज्य भूमि-विकास बैंक में निहित हो जायेंगी ।

भूमि विकास बैंक का धन प्राप्त करने तथा उनमोचन देने का अधिकार

१३—इस बात के होते हुए भी कि किसी भूमि-विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक राज्य भूमि-विकास बैंक को संक्रमित कर दिया गया हो अथवा धारा १२ के उपबन्धों के अधीन संक्रमित कर दिया गया समझा गया हो—

(क) मण्डल अथवा न्यासधारी द्वारा जारी किये गये तथा बंधकर्त्ता को संसूचित किये गये किसी प्रतिकूल विशिष्ट निदेश के न होने पर बन्धक के अधीन देय सभी धन भूमि-विकास बैंक को दिया जायगा और भुगतान उसी प्रकार वैध होगा मानो बन्धक इस प्रकार संक्रमित न किया गया हो; और

(ख) मण्डल अथवा न्यासधारी द्वारा जारी किये गये तथा भूमि-विकास बैंक को संसूचित किये गये किसी प्रतिकूल विशिष्ट निदेशके न होने पर, भूमि-विकास बैंक बंधक के आधार पर वाद चलाने या बन्धक के अधीन देय धनराशि की वसूली के लिये कोई अन्य कार्यवाही करने का हकदार होगा।

भूमि-विकास बैंक का बन्धककर्त्ता के पूर्व ऋणों का भुगतान करने का अधिकार

ऐक्ट संख्या ४ १८८२

१४—(१) यदि बन्धककर्त्ता के पूर्व ऋणों का भुगतान करने के लिये किसी भूमि-विकास बैंक के पक्ष में कोई बन्धक निष्पादित किया गया हो तो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ तथा तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी बैंक लिखित नोटिस देकर, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे इस प्रकार का कोई ऋण या उसका कोई अंश देय हो, ऐसी धनराशि का भुगतान बैंक के निबन्धित कार्यालय से ऐसी अवधि के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है।

(२) यदि कोई ऐसा व्यक्ति उक्त नोटिस लेने से इंकार करे अथवा उक्त भुगतान न ले या भुगतान लेने से इंकार करे तो यथास्थिति, ऐसे ऋण या उसके अंश पर, नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से व्याज नहीं मिलेगा :

प्रतिबंध यह है कि जब किसी ऐसे ऋण की धनराशि के संबंध में कोई विवाद हो तो वह व्यक्ति जिसे उक्त ऋण देय हो, भूमि-विकास बैंक द्वारा ऋण के मद्धे प्रस्तुत की गयी धनराशि का भुगतान लेने के लिए बाध्य होगा, किंतु इस प्रकार भुगतान लेने से उस व्यक्ति के उस अधिकार पर, यदि कोई हो, जो उसे अपने द्वारा अभियाचित अवशेष को वसूल करने के लिये प्राप्त हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अभिहरण कब किया जायगा

१५—(१) यदि भूमि-विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी बंधक के अधीन देय कोई किस्त या ऐसी किस्त का कोई अंश, उस दिनांक से जब से वह देय हुआ हो, एक मास से अधिक अदत्त रहा हो, तो प्रबन्ध समिति किसी ऐसे अन्य प्रत्युपाय के अतिरिक्त जो उक्त बैंक को प्राप्य हो, बंधकग्रस्त भूमि की उपज के, जिसके अन्तर्गत खड़ी फसल भी है, अभिहरण तथा विक्रय द्वारा ऐसी किस्त या उसके अंश की वसूली के लिए निबंधक को प्रार्थना-पत्र दे सकती है।

ऐक्ट संख्या ४, १८८२

(२) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, निबंधक या उसके द्वारा लिखित रूप में तत्पश्चात् प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपज के अभिहरण या विक्रय करने के प्रयोजन के लिये नियत रीति से कार्यवाही कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जब किस्त देय हुई हो, बारह मास के बीत जाने के उपरान्त, कोई अभिहरण नहीं किया जायगा।

(३) अभिहरण उतनी संपत्ति का किया जायगा जिसका मूल्य, यथ संभव निकटतम, देय धनराशि, अभिहरण के व्यय तथा विक्रय के परिव्यय और अभिहरण की हुई संपत्ति पर पूर्व प्रभार के, यदि कोई हो, संबंध में भी देय धनराशि के योग के बराबर होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ से १५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड—१६

विक्रय के अधिकार का प्रयोग कब किया जायगा

१६—(१) ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय का अधिकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात् निष्पादित बन्धक विलेख द्वारा भूमि-विकास बैंक को स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो, तो ऐसे बैंक की प्रबंध समिति को अथवा ऐसी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, बन्धक धन या उसके किसी भाग का भुगतान न होने की दशा में, उक्त बैंक को उपलभ्य किसी अन्य प्रत्युपाय के अतिरिक्त, बन्धकग्रस्त संपत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने का अधिकार होगा । ऐक्ट संख्या ४, १८८२

(२) ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि—

(क) एक लिखित नोटिस जिसमें ऐसे बन्धक धन या उसके अंश के भुगतान की अपेक्षा की गयी हो, निम्नलिखित पर तामील न कर दिया गया हो—

(१) बन्धककर्त्ता या बन्धककर्त्ताओं में से प्रत्येक ;

(२) कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बैंक की जानकारी में बन्धक-ग्रस्त संपत्ति अथवा उसके उन्मोचन के अधिकार में कोई हित हो अथवा उस पर कोई प्रभार हो ;

(३) बन्धक-ऋण या उसके किसी अंश के भुगतान के लिये कोई प्रतिभू ; तथा

(४) बन्धककर्त्ता का कोई ऋणदाता जिसने अपनी संपदा के प्रशासन से संबंधित किसी वाद में बन्धकग्रस्त संपत्ति के विक्रय के लिये डिक्री प्राप्त कर ली हो ;

(ख) ऐसी तामील से तीन महीने के पश्चात् उक्त बन्धक-धन अथवा उसके अंश के भुगतान में चूक न की गयी हो ; और

(ग) मण्डल ने खण्ड (क) में उल्लिखित बन्धनकर्त्ता या अन्य किन्हीं व्यक्तियों की आपत्तियों को, यदि कोई हों, सुनने के पश्चात् ऐसे अधिकार के प्रयोग को प्राधिकृत न कर दिया हो ।

(३) इस धारा के अधीन विक्रय ऐसी रीति से किया जायगा जो नियत की जाय ।

*श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

खण्ड १६(१) में शब्द "न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इस सिलसिले में सहकारिता मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस को थोड़ा ठंडे दिल से समझने की कोशिश करें कि जब किसी आदमी की संपत्ति को आप नीलाम करवायेंगे और सरकार की तरफ से अगर गड़बड़ी पैदा की गयी तो न्यायालय में भी नहीं जाने देंगे, यह न्यायसंगत बात नहीं मालूम पड़ती। आज जो सहकारिता के आर्बिट्रेशन की हालत है बावजूद इसके कि मैं सहकारी सिद्धांत में विश्वास करता हूं, लेकिन मजबूरन मुझ को कहना पड़ता है कि आर्बिट्रेशन का फैसला करने वाले लोग कौन से हैं, न्यायालय को आप वंचित कर देते हैं। रजिस्ट्रार को आपने न्यासधारी बना दिया। दोनों के बीच में, रजिस्ट्रार और किसान के बीच में अगर कोई झगड़ा लगता है और कोपापरेटिव इंस्पेक्टर को कह दें कि तुम बैठकर इस झगड़े का फैसला करो तो क्या होने वाला है वह किसी से छिपा नहीं है। रजिस्ट्रार के खिलाफ कोआपरेटिव इंस्पेक्टर अपना फैसला देगा यह उम्मीद सहकारिता मंत्री जी कर सकते हैं, हम नहीं। या कौन सा दूसरा तरीका होगा ? इंस्पेक्टर नहीं करेगा तो एआर, डीआर करेगा। अगर आपको इस बात का भरोसा है कि इस तरफ की कंट्रोवर्सी पैदा होती तो सीधे छूट दीजिये। अगर कोई आदमी इस कानून से पीड़ित होता है तो उसको न्यायालय में जाने की छूट होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर प्राइवेट लोग जो कर्जा देते हैं उनके लिए अदालतें बनी हुई हैं, अगर कोई झगड़ा होता है तो उनके जरिये तय होता है। सरकार अगर सहकारिता के माध्यम से कोई कर्जा देती है, गो कि इतनी सहकारिता है कि यह भी विचित्र प्रश्न है, मैं उसकी तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप कर्ज देने जा रहे हैं तो दो तरह का कानून नहीं होना चाहिये। अगर प्राइवेट आदमी किसी को कर्जा देता है, तो जो सर्वसाधारण के लिये नियम है सरकार उससे अपने को वंचित रखना चाहती है। सरकार कहती है कि अगर कोई कर्ज देने वाला आदमी किसी दूसरे आदमी को कर्ज देता है तो वह अदालत में जा सकता है और अदालत की डिग्री के बाद दूसरी अदालत में अपील कर सकता है, लेकिन सरकार की किसी डिग्री के खिलाफ या मतभेद के मामले पर भी वह किसी न्यायालय में नहीं जा सकते मैं यह समझता हूं कि यह संस्था निहायत ऊंची संस्था है और मंत्री जी को इसको फेस करना चाहिये, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिये। अगर ऐसा होता है तो वह सहकारिता के सिद्धांत के प्रतिकूल होगा। एक ओर आपका रजिस्ट्रार जैसा अफसर, सरकारी पैसा, और सरकार के संरक्षण में चलने वाला सहकारी बैंक होगा और दूसरी ओर एक व्यक्ति, और फिर उसको न्याय की गारंटी न देना अनुचित होगा। इस सदन का और इस सरकार का भी यह काम है कि उसको न्याय की गारंटी मिले। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय कल्पनाथसिंह जी ने जो संशोधन रखा है....

श्री कमलासिंहयादव—

अब इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता, क्योंकि वह पेश किया जा चुका है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं कल्पनाथसिंह जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिलकुल आउट आफ आर्डर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनार्थसिंह---

माननीय कृष्णानन्द राय जी आउट आफ आर्डर कहने वाले कौन हैं, आप तो बैठे हैं। वह आपका भी अधिकार लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, वह अपने भाषण में कह देंगे।

*श्री कमलासिंह यादव---

चलिये, उन्होंने मान लिया कि पेश होने के बाद कोई संशोधन आउट आफ आर्डर नहीं होता। खैर, माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं इसलिये कि हमने रजिस्ट्रार को ट्रस्टी बना दिया और प्रबंधक समिति, जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर की होगी, उसके अन्डर में होगी ट्रस्टी का काम है जो धन है उसकी सिक्योरिटी की देखभाल करना। अब अगर ट्रस्टी रजिस्ट्रार साहब हो गये तो उनके अन्डर में जितने भी अधिकारी हैं वह सब उनके अंग माने जायेंगे। तो हमें यह जरूर देखना होगा कि फैसला करने वाला कौन है। ट्रस्टी भी अगर इंटेरेस्टेड पार्टी है तो मैं यह नहीं समझता कि फसला कैसे इम्पार्शल होगा ऐसे मामले में जहां ट्रस्टी के अन्डर के आदमी होंगे तो फैसला पार्शल होगा, क्योंकि वह आलरेडी इंटेरेस्टेड आदमी होंगे। वह हिम्मत नहीं कर सकते कि रजिस्ट्रार के बिल के खिलाफ कोई बात करें और वह अन्याय होगा।

दूसरी चीज यह है कि यहां मारगेज का प्रश्न नहीं है, वैलएशन का प्रश्न नहीं है। यह परसनल सेल का सवाल है। जब सेल का नाम हम लेते हैं तो उस वक्त ऐसी विचारधारा सामने आती है कि एक किसान जिसकी प्रापर्टी हम सेल करने जा रहे हैं उसको हम उसकी प्रापर्टी से महरूम करने जा रहे हैं, उसके राइट्स से हम उसको महरूम करने जा रहे हैं, इसीलिये ऐसे वक्त जब सेल का प्रश्न उपस्थित होता है तो यह हमें देखना पड़ेगा कि यह सेल जो हो रहा है वह फ्राड कालूजन या इललीगल या अनफेयर मीन्स से तो नहीं किया गया है। उस सूरत में अगर हम उसको न्याय पाने से वंचित करते हैं तो वह उचित नहीं होगा, बल्कि ऐसे मामलों में हमें यह प्राविजो करना और कोर्ट्स को ऐसी पावर्स देनी चाहिये कि वह इंटरप्रिटेशन करेगा ताकि सही मुआविजा किसानों को अपनी जमीन का मिल सके। जहां तक सेल का सवाल है मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता। माननीय मंत्री जी उसको देख लें, लेकिन यह जरूर है कि उसको उचित दाम मिल सके। इस वजह से मैं इस चीज को प्रेस करना चाहता हूं। यदि वह ऐसे हालात में जब कि फ्राड या कोलूजन के जरिये से हासिल किया गया हो या किसी आदमी ने ५, ४ हजार रुपये की चीज को १०० रुपये में परचेज कर लिया तो ऐसी हालत में किसी कोर्ट को पावर देना जरूरी है या कोई इंडिपेंडेंट बाडी उसके लिये रखें ताकि वह सही तरीके से उसका फैसला कर सके। इस चीज को देखना होगा कि फ्राड या कोलूजन से वह सेल हुई है या नहीं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वह इस चीज को इस विधेयक में नहीं रखना चाहते हैं तो रूल्स में रख दें ताकि किसी आदमी को उसकी प्रापर्टी से महरूम न किया जा सके। यह हमारे लिये जरूरी है कि अगर किसी की जायदाद इस तरह से ले ली गई हो तो उसको गार्ड कर सकें। मैं चाहता हूं कि ऐसी स्कीम को आप जनता के सहयोग से, जनता को प्रोत्साहन देकर चलाने की कोशिश करें। जिस समय जनता के दिमाग में यह बात आ जायगी कि हमारी जमीन को वैसे ही सरकार लेना चाहती है और उनके भाग्य का मामला रजिस्ट्रार करेगा और उसको सही दाम नहीं मिलता है तो वह आपके विकास की योजनाओं से दूर भागने की कोशिश करेगा। इसलिये उनके अन्दर प्रेम पैदा किया जाय। ऐसे स्वतंत्र आदमी रखें जायें या लीगल आदमी रखें जो कमेटी के अन्दर सही तरीके से फैसला कर सके। इस तरह से किया जाय तो हम किसानों के इंटरेस्ट को गार्ड कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में कल्पनाथ सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कृष्णानन्द राय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल्पनाथ सिंह जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इनके संशोधन को देखा जाय तो उससे यह मालूम नहीं होता कि वह कौन से "न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना" शब्दों को निकालना चाहते हैं। ये शब्द पहली पंक्ति में और आखिरी पंक्ति में इस खण्ड के आये हैं। या तो वह यह कहते कि जहां-जहां पर ये शब्द आये हैं उनको निकाल दिया जाय तब तो दोनों जगह से इनको निकालना होगा। अब यह संशोधन बिलकुल बेग रह जाता है....

श्री कमलासिंह यादव--

आप हिन्दी का पढ़ लें उसमें साफ हो जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैंने हिन्दी का ही पढ़ा है। उसमें भी उस धारा की पहली और आखिरी पंक्ति में ये शब्द आये हैं। जब तक कल्पनाथ सिंह जी इस तरह का संशोधन नहीं करते कि जहां-जहां पर ये शब्द "न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना" आये हैं उनको निकाल दिया जाय तब तक यह संशोधन इन आर्डर नहीं होता। ऐसे ही हवा में कोई संशोधन करने से लाभ नहीं है और न वह इन आर्डर माना जा सकता है। इस तरह से यह बड़ा अनर्थ हो जायगा अगर आप इस संशोधन को विचार के लिये यहां पर रखने की इजाजत देते हैं। ऐसी हालत में इसको इन आर्डर यहां पर रखा जाय तभी इस पर विचार हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री कल्पनाथ सिंह से) आपका मतलब आखिरी वाले से है ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

जी हां।

*श्री बनारसीदास--

जब इस पर उपाध्यक्ष महोदय, आम बहस हो रही थी तब माधो प्रसाद जी ने सही कहा था कि यदि कोर्ट को अधिकार दे दिया, जाय इसमें तो पता नहीं कितनी मुद्दत में यह कर्जा अदा होगा। इसमें माननीय कमलासिंह और कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर के बीच में विवाद होगा। दुनिया में यह माना हुआ सिद्धांत है कि कोआपरेटिव्ज में कोर्ट को कोई स्थान नहीं है। झगड़ों के लिये आर्बिट्रेशन का सिद्धांत माना गया है और यह लैंड विकास बैंक भी कोआपरेटिव संस्थायें हैं। दूसरे आप देखें कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय का अधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् निष्पादित बंधक विलेख द्वारा भूमि-विकास बैंक को स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो, तो ऐसे बैंक की प्रबन्ध समिति को अथवा ऐसी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, बन्धक धन या उसके किसी भाग का भुगतान न होने की दशा में, उक्त बैंक को उपलभ्य किसी अन्य प्रत्युपाय के अतिरिक्त, बन्धकग्रस्त सम्पत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बिक्रय करने का अधिकार होगा। जब गिरवी रखने वाला और बैंक दोनों मानते हैं कि न्यायालय के बिना ही उसका सेल हो सकता है तो नैतिकता की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से कोई आपत्ति इस पर नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि मैनेजिंग कमेटी जिसमें किसानों के ही प्रतिनिधि होंगे उनके अधिकारों का हनन करेगी। यह भी देखना चाहिये कि अगर किसी व्यक्ति के पास साधन हैं और वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है तो हम जिन्दगी भर उससे अदायगी नहीं करा सकते। इसका मतलब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

यह होगा कि किसी मुकदमेबाज व्यक्ति से पैसा वसूल करना बैंक के लिये असम्भव हो जायगा। रजिस्ट्रार तो पिक्चर में आता नहीं। वह तो ट्रस्टी की तरह से काम करेगा और देखेगा कि जो डिबेंचर्स ईश्यू किये गये हैं उनका हित सुरक्षित है अथवा नहीं। अगर आप यह मान लें कि मैनेजिंग कमेटी में लोगों के दिमाग गरमी के वजह से चल जायेंगे, तो बात दूसरी है, वरना हमको यह मान कर चलना चाहिये कि उस कमेटी के लोग सहृदय होंगे और किसानों के प्रतिनिधि होंगे और किसानों के हित का हनन करने को कटिबद्ध नहीं रहेंगे। इसलिये यदि इन शब्दों को निकाल दिया जाय तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस लें।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। अगर इस प्रकार का सेल नहीं किया जाता है तो उसके बाद १ महीने तक जिसकी जमीन होती है उसे छूट रहती है कि वह इंटरेस्ट के साथ पैसा जमा कर के अपनी जमीन वापस ले ले, लेकिन ऐसा प्राविजन इस बिल में कहीं नहीं है।

अगर मान लें कि एक महीने बाद वह इन्टरेस्ट और खर्चा आदि सब वापस कर देता है तो फिर वह क्यों उससे महरूम रहे ? अगर वह एक महीने बाद सब दे देता है तो उसके बाद उसकी जायदाद वापस करने का इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अगर वह इसमें नहीं है तो आप उसको ले आयें, नहीं तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, धारा १६ की उप-धारा (३) में यह है कि इस धारा के अधीन बिक्रय ऐसी रीति से किया जायगा जो नियत की जाय। यदि कहीं कोई लैंड नीलाम हो गयी तो जमीन जरूर उसके पास रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हम नियमों के द्वारा करेंगे।

*श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं। मुझे ऐसी उम्मीद थी माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद कि वे इस संशोधन को मानेंगे। दो तरह की बातें कहना अच्छा नहीं लगता। कोआपरेटिव की स्प्रिट इसमें है ही नहीं। एक इंडिविजुअल अगर किसी कलेक्टिव ताकत के मुकाबले मुकदमा लड़ने वाला हो तो रुपया वसूल नहीं हो सकता और पब्लिक अगर मुकदमा लड़ने वाली हुई तो रुपया वसूल हो जायगा, यह दो तरह का कानून अनकान्स्टीट्यूशनल होगा। आपको क्यों आवश्यकता पड़ी इस तरह के कर्जे देने की ? कैसे लोगों को आप कर्जा देंगे ? जो आपके दोस्त हैं वे ही लोग फायदा उठा पायेंगे। श्रीमन्, न्याय पाने का अधिकार सब को है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

दूसरी बात यह मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी एक कानून के अन्तर्गत आपने हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा है और दूसरे कानून से आप उसको बचाना चाहते हैं, यह उचित नहीं होगा। यह आपके लिये और सरकार के लिये दोनों के लिये अच्छा नहीं होगा। लोगों का विश्वास इससे हटेगा। आपने यह भी कहा कि नहीं, मैनेजिंग बोर्ड होगा। वह तो आज भी है। आपके आर्बीट्रेशन की क्या हालत है ? वह इतनी खराब है कि इसके कारण सहकारी संस्थायें बदनाम हो रही हैं। मंत्री जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको मिसालें दे दूंगा। कर्जे लेने का काम हो रहा है। आज भी कोआपरेटिव के जरिये शार्ट-टर्म लोन दिये जा रहे हैं और आप दे रहे हैं लांग टर्म। उन कर्जों के बारे में आर्बीट्रेशन की हालत क्या है ? आप कुर्क जमीन से वसूली करालें, छोटे कर्ज होते हैं, यह दूसरी बात है, लेकिन बड़ी प्रापर्टी के मुताबिक आप कर्ज देंगे और कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसे दे नहीं पावेगा, तब जमीन आप लेंगे, उसे नीलाम करावेंगे। जब उसकी आपदी नीलाम पर चढ़ाने के लिये तैयार हैं तो यह हक उसे जरूर देना चाहिये। जो कुछ मैं उचित समझूंगा वह कहूंगा, आपकी मरजी है उसे मानें या न मानें। अब आपको बहुत जल्दी है। सन् ६० से ६४ तक, ४ साल तक जल्दी नहीं थी। प्रवर समिति में भेजकर, गोकि ६ महीने भी नहीं लगेंगे, उस अवधि में किसान मर जायगा और ४ साल में नहीं मरा? ठीक है, आपको अब जल्दी है। अगर बेचनरामजी या कृष्णानन्दराय जी यह संशोधन रखे होते तो मंत्री जी मान लिये होते। मैं इसे वापस लिये लेता हूं, उन्हीं से रखवा लीजिये। अगर आप इस संशोधन की मंशा से इत्तिफाक करते हों तो सीधे कहिये कि मंजूर करते हैं। अगर इत्तिफाक नहीं करते तो कहिये कि नहीं मंजूर करते हैं। खुली छूट है, जो चाहें करें।

*श्री बनारसीदास---

उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धांततः मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने में कठिनाई है। जैसा मैंने निवेदन किया था, कोर्ट के क्षेत्र को यदि हम इसमें शामिल कर देते हैं तो वसूलयाबी के लिये कोई मुद्दत नहीं हो सकती। काफी मुकदमेबाजी का दरवाजा खुल जाता है। हमारा मकसद यह नहीं है कि किसान को हानि पहुंचाई जाय। माननीय माधो प्रसाद जी यहां नहीं हैं। उन्होंने स्वयं इस कठिनाई को महसूस किया था और कमलासिंह जी भी इस चीज को जानते हैं कि रुपया वसूल कैसे होगा। इसलिये मैं मजबूर हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १६ (१) में शब्द "न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना" निकाल दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७-१८

बन्धकग्रस्त सम्पति नष्ट होने अथवा प्रतिभूति अप्रर्याप्त होने पर भूमि-विकास बैंक के अधिकार

१७---यदि किसी भूमि-विकास बैंक के पास बंधक रखी गयी कोई सम्पत्ति पूर्णतः अथवा अंशतः नष्ट हो जाय अथवा प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाय और बंधक-कर्ता को भूमि-विकास बैंक की प्रबन्ध-समिति द्वारा इस बात का समुचित अवसर दिये जाने के बाद कि वह इतनी और प्रतिभूति की व्यवस्था करे कि प्रतिभूति पर्याप्त हो जाय या वह ऋण के उतने अंश का प्रतिदान करे जो समिति अवधारित करे, वह उक्त प्रतिभूति की व्यवस्था न करे या ऋण के उक्त भाग का प्रतिदान न करे तो सम्पूर्ण ऋण तुरन्त देय समझा जायगा और समिति बंधक कर्ता के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करने की हकदार हो जायगी।

स्पष्टीकरण---इस धारा के अर्थ में प्रतिभूति तब तक अपर्याप्त मानी जायगी जब तक बंधकग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य बंधक के संबंध में तत्समय देय धनराशि से उस अनुपात में अधिक न हो जो भूमि विकास बैंक के नियमों, विनियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाय।

मंडल अथवा न्यास-धारी का संपत्ति के अभिहरण तथा विक्रय आदि का अधिकार

१८---(१) सीधे राज्य भूमि-विकास बैंक के पास रखे गये बंधक की दशा में धारा १५, १६, और १७ के अधीन किसी भूमि-विकास बैंक की प्रबन्ध समिति को दिये गये समस्त अधिकार मंडल या न्यासधारी को प्राप्त होंगे, और धारा १६ की उपधारा (१) के अधीन अधिकार का प्रयोग करने में उस धारा की उपधारा (२) का खंड (ग) अस्तित्वहीन समझा जायगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(२) मंडल अथवा न्यासधारी किसी भूमि-विकास बैंक की प्रबन्ध समिति को धारा १५ अथवा धारा १६ या धारा १७ के अधीन किसी बाकीदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का निदेश दे सकता है, और यदि ऐसा करने में अनवधानता करे अथवा ऐसा न करे तो मंडल अथवा न्यासधारी उप-धारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसी कार्यवाही कर सकता है ।

(३) (क) यदि ऐसी कार्यवाही जिसका उल्लेख उपधारा (१) अथवा (२) में किया गया है मंडल द्वारा की जाय तो इस अधिनियम तथा तदर्थ बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसके संबंध में उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो उक्त उपबन्धों में भूमि विकास बैंक तथा उसकी प्रबन्ध समिति के संबंध में समस्त अभिदेश क्रमशः राज्य भूमि-विकास बैंक तथा मंडल के संबंध में अभिदेश हों ।

(ख) यदि ऐसी कार्यवाही जिसका उल्लेख उपधारा (१) अथवा (२) में किया गया है न्यासधारी द्वारा की जाय तो इस अधिनियम तथा तदर्थ बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसके संबंध में उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो उक्त उपबन्धों में भूमि-विकास बैंक अथवा उसकी प्रबन्ध-समिति के संबंध में समस्त अभिदेश न्यासधारी के संबंध में अभिदेश हों ।

*श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, मैं खंड १७ का विरोध करता हूं । श्रीमन्, इस विधेयक के हैडिंग में ही है "सहकारी भूमि विकास बैंक" । इसका मतलब है कि इस बैंक का मंशा यह है कि भूमि का विकास हो और किसानों के द्वारा हो । धारा १७ में दो प्रकार से भूमि बरबाद हो सकती है । एक तो यह है कि कोई नैचुरल कैलेमिटी आ जाय, यानी इरोजिन या बाढ़ हो । या कुछ ऐसी बात हो कि किसान जमीन को ठीक तरह से इस्तेमाल न करे, बंजर छोड़ दे, तो उसका मूल्य घट सकता है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इन दोनों बातों पर विचार करें । इसमें किसान की मदद करने की आवश्यकता है और उसमें प्रेरणा लाने की जरूरत है कि जो जमीन दैवी आपदाओं से खराब हो जाती है उसे वह ठीक तरह से रखें । इसीलिये बेदी ने कहा है कि कोआपरेटिव संस्था में जो आमदनी होती है वह सबकी प्रापरटी मानी जाती है जो उसके सदस्य हैं, और इनकम-टैक्स और सुपर-टैक्स से हम इन्हें इसलिये बरी करते हैं कि यह जनसाधारण की सम्पत्ति है, या दूसरे शब्दों में यह कहें कि प्राफिट हन्टिन्ग का मोटिव इसमें नहीं है । २१ पेज पर चैप्टर ३ में है कि--

"Exemption of co-operative societies from payment of income-tax and super-tax, etc., is also a recognition of the fact that they are no profit hunting concerns. Surplus is gained by them simply to cover the cost of management and provide for market fluctuations."

कास्ट आफ मैनेजमेंट तो ठीक है, उनको लेनी चाहिये, लेकिन मारकेटिंग फलक्चुएशन के बारे में यहां कोई अनाज वगैरह नहीं है जिसको लोग बेंच सकें । अगर किसान की कोई जमीन नेचुरल कैलेमिटी की वजह से बरबाद होती है तो ऐसे मौके के लिये इस विधेयक में कोई प्राविधान होना चाहिये । ऐसे मौकों पर किसान को प्रोत्साहन देना चाहिये । सरकार उसके लिये धन की व्यवस्था करे । बैंक के जरिये से उसको सहायता मिलनी चाहिये जिससे वह अपनी भूमि को अच्छी बना सके ताकि उसका जो वैल्यूएशन गिर गया है वह ठीक हो जाय। हां, अगर उस जायदाद की वैल्यू किसान की गलती से यानी उसने उसको बोया जोता नहीं है, या वैसे ही छोड़ दिया है, उसकी वजह से कीमत गिर गयी है तब तो मैं भी एग्री करता हूं कि उसके साथ सख्ती की जानी चाहिये, लेकिन अगर दैवी आपदाओं के कारण उसकी कीमत गिरी है तो आपको सहायता देनी चाहिये । उससे दो चीजें होंगी, एक तो उससे देश की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूंजी (जमीन) जो घट रही है उसमें बढोत्तरी होगी, दूसरे वैल्युएशन में जो कमी हो रही है उसकी पूर्ति हो जायगी । अगर सही मानों में किसान को आप लाभान्वित करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना ही चाहिये ताकि वह अपनी भूमि को बचा सके । अगर इस प्रकार का मौका किसान को मिल जायगा तो वह अवश्य यह सोचेगा कि यह विधेयक उनकी भलाई के लिये और जमीन के विकास के लिये लाया गया है, लेकिन अगर आपत्ति के समय उसका साथ न दिया गया तो वह किसी प्रकार उसके विकास का कारण नहीं हो सकता और इससे यही समझा जायगा कि यह आपने रोजगार के लिये किया है । अगर मंत्री जी इस बिल में यह चीज न ला पाये हैं तो न सही इसको नियमों में कर दें कि अगर किसानों की गलती से वैल्युयेशन कम नहीं हुआ है तो उनको प्रोत्साहन दिया जाय । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर गौर करेंगे और उसके द्वारा जो सिक्यूरिटी में कमी होगी वह पूरी हो जायगी ।

*श्री बनारसीदास--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आपत्ति माननीय कमला सिंह जी ने इस संशोधन के द्वारा की है, वास्तव में यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि वह सिक्योरिटी नष्ट हो जाय तो कुछ हद तक उनकी आशंका अपनी जगह सही हो सकती है, परन्तु यह धारा महाराष्ट्र और आंध्र के माडल बिल के आधार पर ही रखी गयी है । एक तो दखली रेहन होता है और एक बेदखली रेहन होता है । दखली रेहन के अन्दर जो जमीन बंधक रखी जाती है वह मारगेजी के कब्जे में रहती है, इसलिये वह उसके लिये पूरे तरीके से जिम्मेदार होता है, लेकिन भूमि विकास बैंक के द्वारा जो जमीन बंधक रखी जाती है उसका मालिक किसान ही रहता है । जैसे १० हजार रुपये के जेवर किसी ने बंधक रखे और वे जेवर कर्जदार के कब्जे में ही रहे और किसी तरह से वह जेवर नष्ट हो जाय तो यह कहना कि इसलिये कर्जे का रुपया वसूल नहीं किया जाना चाहिये, अनुचित होगा । क्योंकि जमीन तो किसान के पास है, वह तो एक प्रकार का पैमाना है कर्जा देने के लिये, उसकी गारंटी में वह रखता है । आगे चल कर इससे इस प्रकार का विवाद भी पैदा हो सकता है कि उसकी जमीन नष्ट हो गयी है इसलिये उससे रुपया न वसूल किया जाय, तो यह तो एक माडेल के आधार पर सोच विचार कर रखा गया है, तजुर्बे के बाद और अमल में आने के बाद फिर इस पर विचार किया जा सकता है और उसमें फिर संशोधन किया जा सकता है कि यदि किसी दैवी आपदा की वजह से सिक्योरिटी नष्ट हो जाय तो बैंक सक्षम हो सकता है कि वह इस पर विचार करे और बैंक बराबर इस चीज को अपने ध्यान में रखेगा । रजिस्ट्रार उसका ट्रस्टी है और इस नाते रजिस्ट्रार इस बात को जानने का प्रयास करेगा कि यदि कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि किसी दैवी कारण से उसकी सिक्योरिटी ही नष्ट हो जाय तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय । हम आपसे सहानुभूति रखते हैं और अमल में आने पर इस पर सोच विचार करेंगे कि किसी प्रकार से ऐसी कोई गलती न हो और साथ ही साथ इस बात की भी गुंजाइश न हो कि सिक्योरिटी के अभाव में रुपया खतरे में पड़ जाय । मैं आशा करता हूं कि माननीय कमला सिंह जी इससे सहमत होंगे ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं वसूली के लिये नहीं कहता, वसूली तो आप कर लीजिये, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि कभी कोई दैवी आपत्ति आ जाय जिसकी वजह से किसान की भूमि की वैल्युएशन घट जाय तो उसको आप कुछ मदद दीजिये ताकि उसकी वैल्युएशन फिर से बढ़ सके । जैसे आप किसी फसल के नष्ट होने की सूरत में तकावी आदि के रूप में मदद देते हैं उसी तरह से मैं चाहता हूं कि जब दैवी आपदा कभी आ जाय और उसकी भूमि की कीमत कम हो जाय तो उस कीमत को बढ़ाने में उसकी मदद कीजिये और उसे प्रोत्साहन दीजिये, इससे आपकी सिक्योरिटी भी कहीं नहीं जायगी और उसकी भूमि भी सुरक्षित रहेगी । यह सही है कि मारगेज तो नाममात्र का पेपर पर होता है, लेकिन....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बनारसीदास---

अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तो उसके लिये राजस्व विभाग मौजूद है, ठाकुर साहब इसका इन्तजाम करेंगे । जहां तक इस विधेयक का संबंध है इसमें तो हम इसकी कोई व्यवस्था कर नहीं सकते ।

श्री कृष्णानन्द राय---

एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं कि किसी जमीन के विकास के लिये सहकारी समिति से किसी ने ऋण लिया और उसकी जमीन नदी के कटाव में चली गयी तो उससे आप रुपया न वसूल कर पायेंगे तो उसकी दूसरी जमीन से वसूल कर लेंगे । दूसरी जमीन से रुपया वसूल करना मारगेज ऐक्ट के बिलकुल खिलाफ बात है । इसलिये आप कृपा करके इतना तो कर दें कि ऐसे ऋण लेने वाले की जमीन अगर नदी में कट कर गिर जाय तो उसे राइट आफ कर दिया जाय । अगर किसानों के लिये आप इतना भी नहीं करेंगे तो उनके साथ बहुत अन्याय होगा । मंत्री जी इस पर जरा और विचार कर लें ।

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, अगर किसी आदमी ने मकान बनाने के लिये कर्ज लिया और उस का मकान भूचाल में गिर गया तो उन का मतलब यह है कि मकान चूंकि भूचाल में गिर गया लिहाजा उस पर जो कर्ज था वह भी खत्म हो गया, लेकिन जहां तक लैंड मोर्गेज बैंक का, प्रश्न है उस से इस का मतलब नहीं है । उसके लिये अलग से बिल लाया जा सकता है या कोई फंड सरकार क्रियेट करे । बैंक को क्या आपत्ति हो सकती है ? यह तो पब्लिक एक्सचेकर का काम है, लेकिन जो संस्थाएं कर्जा देने का कार्य करती है वह तो सरकार का काम नहीं कर सकतीं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १७ व१८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड–१९

अनियमितता आदि के आधार पर क्रेता के आगम पर आपत्ति नहीं की जायगी

१९---यदि धारा १६ के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग अथवा अभिप्रेत प्रयोग करके कोई सम्पत्ति बेंची जाय तो क्रेता के आगम पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि:---

(क) विक्रय का अधिकार देने के लिये अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थीं, अथवा

(ख) विक्रय का यथोचित नोटिस नहीं दिया गया था; अथवा

(ग) विक्रय के अधिकार का अन्य प्रकार से अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग किया गया था, किन्तु किसी व्यक्ति को जिसे ऐसे अधिकार के अनधिकृत, अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग से कोई क्षति पहुंची हो, भूमि-विकास बैंक के विरुद्ध क्षति मूल्य का दावा करने का अधिकार होगा ।

*श्री कल्पनाथसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस पूरे खंड १९ का विरोध करना चाहता हूं । क्योंकि इस खंड के मार्जिन पर लिखा है कि "अनियमितता आदि के आधार पर क्रेता के आगम पर आपत्ति नहीं की जायगी ।" इस खंड १९ में वह कहते हैं कि विक्रय का अधिकार देने के लिये अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थीं अथवा विक्रय का यथोचित नोटिस नहीं दिया गया था अथवा विक्रय के अधिकार का अन्य प्रकार से अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग किया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था ..... आदि बातें, सब कुछ भी हो तब भी आपत्ति नहीं की जा सकती। यह बड़ी दिक्कत की बात है। इस तरह के ऐलीगेशन्स भी हों, प्राइमाफेसी केस भी बनता हो, लेकिन किसी हालत में आपत्ति नहीं की जा सकती। यह सरकार सड़ी गलत जो कुछ भी कर डाले, लेकिन उसके खिलाफ कहीं भी आपत्ति नहीं की जा सकती। इसके पहले मंत्री जी ने कहा कि न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन अब इस धारा में कहते हैं कि आपत्ति भी नहीं कर सकते। अजीब मुसीबत है, आखिर यह कौनसी सहकारिता होगी, कौनसी यह सरकार की मंशा है कि अगर किसी प्वाइंट पर अन्याय हुआ हो तो हम आपत्ति भी नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां सैवाल बैंक का और कर्जा लेने वाले का है।

श्री कल्पनाथसिंह—

अगर कर्जदार को कर्जा देने वाले साहूकार के खिलाफ, जिसका कि नाम बैंक रखा गया है, कोई आपत्ति है तो वह नहीं की जा सकती और उसके कारण भी मैंने अभी आप को पढ़ कर सुनाये, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपत्ति सुनने में उनको क्या एतराज है? इस खंड १९ की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी दोहाई देते हैं महाराष्ट्र के, मद्रास के, केरल के और पंजाब के कानून में यह बात लिखी है, लिखा होगा। वहां के लोग अगर गलती करते हैं तो आप उसको क्यों दोहराने जा रहे हैं? अच्छी बात सीखने की कोशिश की जाय, लेकिन बुरी बात आप क्यों सीख रहे हैं? मैं सरकार से कहूंगा कि वह बुरी बात न सीखे, अच्छी बात दूसरों से सीखे। अगर उसकी समझ में कोई बात न आये तो वह हम से सलाह मशवरा कर लिया करे। अगर वह सलाह मांगेंगे तो हम देने से इनकार नहीं करेंगे, हम छुई मुई के पेड़ की तरह नहीं हैं, हम से सलाह ली जाय, हम देंगे, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि आप इसकी मंशा स्पष्ट करने की कोशिश करें और साफ बतायें कि यह किस सिद्धान्त पर आधारित है। अगर कोई प्राइमाफेसी केस बनाता हो तो भी आपत्ति नहीं की जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं खंड १९ का विरोध करना चाहता हूं कि खंड १९ को इस विधेयक से निकाल दिया जाय।

*श्री बेचनराम—

बोनाफाइडी परचेजर के टाइटिल पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। अगर किसी खरीदार ने रुपया दे कर प्राप्त की हो तो ससकी टाइटिल पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। ट्रस्टी ने अगर कोई चीज बेच दी है तो उस टाइटिल पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। यह कामन ला है।

*श्री हरिनाथ तिवारी (एडवोकेट)—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जैसा बताया कि टाइटिल आफ परचेजर कैन नाट बी क्वैश्चन्ड आन दि ग्राउन्ड आफ इर्रेगुलरिटी। किसी की प्रौपर्टी चली जायेगी तो उस पर वह आपत्ति नहीं कर सकेगा। मेरी समझ में इस को तो हमेशा ओपिन कर देना चाहिये। अगर किसी की जायदाद निकल जाय या इर्रेगुलर परचेज हुई तो ऐसे सरकम्सटेन्सेज में इस क्लाज को बिलकुल डिलीट कर देना चाहिये और हमेशा ओपिन रखना चाहिये।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

इस धारा के रहने मात्र से भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका है। इन में तीन बातें दी गयी हैं (१) आपको बिक्री करने के लिये व्यवस्था हुई थी या नहीं, (२) आपने जो तरीका स्वीकार किया है कि बिक्री का नोटिस दिया गया है या नहीं और (३) बिक्री के अधिकार का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपालसिंह]

अन्य प्रकार से अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग किया गया था। इन तीनों को आप नहीं देख सकते हैं। श्रीमन्, धारा २६ को भी देख लें। इस में दिया हुआ है कि—

"A sale under this Section shall be conducted in such manner, as may be prescribed".

इसमें भी सेल औफ प्रोसीजर नहीं दिया गया है। ऐसी अवस्था में यह खंड (१९) का बनाये रखना अधिकारियों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को अधिक अधिकार देना होगा। अधिकारी जिस ढंग से भी चाहें प्रापर्टी को समाप्त कर दें और उनके टाइटिल को क्वश्चन करने का अधिकारन होगा। चाहे वह प्रापर्टी १,००० के बजाय १०० रुपये में ही बिक जाय। तो अगर इस खंड को बिलकुल निकाल दिया जाय तो इस से कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष जी, जो धारा है यह बड़ी खतरनाक है। जब पूरे विधेयक को आप देखें तो आप देखें कि जितने अधिकार हैं इस महकमें को अगर वे कोई गलती करें जिसकी वजह किसी आदमी का नुकसान हो जाय या सरकम्स्टांसेज ऐसे न हों कि जायदाद किसी काश्तकार की नीलाम कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि इस से एक गम्भीर परिस्थिति पैदा हो जायगी। जहां तक तक सेल का सम्बन्ध है हमेशा के लिये वह आदमी जायदाद से वंचित हो जाता है। तो यह देखना जरूरी होता है कि उसकी जायदाद बेचने के लिये सर्कमस्टांसेज पैदा हैं या नहीं। उनकी उपस्थिति में उसकी जायदाद नीलाम कर दी जाती है तब तो कोई चारा नहीं है, लेकिन अगर वे सर्कम्स्टांसेज पैदा न हों तो फिर भी वह भूमि नीलाम कर दी जाय और वह आपत्ति न कर सके तो यह कहां का समाजवाद एवं न्याय है? आपने खुद ही यह नियम बनाया है कि इन नियमों के अन्तर्गत किसी आदमी की भूमि नीलाम की जायगी और वे सर्कमस्टान्सेज नहीं आये, अधिकारी की गलती अथवा रंजिश की वजह से किसी काश्तकार की भूमि नीलाम हो जाय तो आपको ओपिन रखना होगा कि वह उस पर आपत्ति कर सके और उसे मौका मिल सके अपनी अपील करने का, निगरानी करने का।

इस विधेयक के अन्दर कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि किसी अधिकारी ने गलती कर दी है, सर्कमस्टांसेज सेल करने के नहीं थे और उसने सेल कर दिया तो कम्पेनसेशन उस अधिकारी द्वारा उसे मिलेगा। आप पढ़ लें, इस में लिखा है—

"the circumstances required for authorising the sale have not arisen."

अगर यह चीज हो तो इस से बढ़कर गलत कानून इस सदन के अन्दर और क्या बनाया जा सकता है। ला का इन्टरप्रिटेशन वही जज करेगा जिस से हमारी और आप की लड़ाई है। यह कहां का न्याय है? संविधान की कौन सी धारा है जिसके मातहत कोई भी आदमी अपनी जायदाद से महरूम कर दिया जाय और उसे कम्पेनसेशन भी न मिले? इस धारा के अन्दर आप स्वयं कहते हैं कि सर्टेन सर्कमस्टांसेज हैं जिनकी उपस्थिति होने पर उसकी जायदाद नीलाम कर देंगे। तो जब आप खुद ही इसी ऐक्ट के अधीन रूल्स बना रहे हैं और वह सर्कमस्टांसेज पैदा न हों और नीलाम कर दें उस वक्त भी अगर आप अपील या निगरानी से उसके महरूम करते हैं तो मैं नहीं समझता कि यह न्याय है। यह बड़ी खतरनाक चीज होगी कि

"The circumstances required for authorising the sale has not arisen."

यह ऐसी चीज है कि आपका सारा विधेयक अल्ट्रा वायरस हो जायगा। लिमिटेशन के लिये तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन "सर्कमस्टांसेज" बहुत ही खतरनाक चीज है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ओपन माइंड से विचार करेंगे। अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो मैं यह नहीं कहता कि अदालत में भेजिये, लेकिन अपने अधिकारियों में ही कोई व्यवस्था कर दीजिये जहां उसकी अपील या निगरानी हो सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह अल्ट्रा वायरस होने से बच जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात को मानेंगे और इस धारा को निकाल देंगे ।

*श्री बनारसीदास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन ने धारा १६ को स्वीकार किया है जिसमें इस सिद्धान्त को माना जा चुका है कि अदालत का कोई दखल नहीं होगा और धारा १९ में जब हम यह कहते हैं कि खरीददार के टाइटिल पर कोई आपत्ति नहीं होगी तो उसका मतलब यही है कि कोई व्यक्ति अगर इस आधार पर यह आपत्ति करना चाहे कि वह परिस्थितियां नहीं थीं तो परिस्थितियां थीं या नहीं यह जस्टिशियेबिल होगा । कौन इसका निर्णय करेगा ? इसलिये उसके टाइटिल पर आपत्ति न हो इसको स्पष्ट रूप देने के लिये यह क्लाज रखा है । यदि धारा १९ को हम निकालना भी चाहें तो भी यह प्रश्न विवादास्पद है कि आपत्ति की जा सकती है या नहीं । इस में परचेजर के हित की रक्षा करने की दृष्टि से धारा १९ शामिल की गयी है ।

मार्गेजर के हित का जहां तक सवाल है उस पर आपत्ति तो आपने धारा १६ के अन्दर की है । यहां पर तो केवल परेचेजर को सुरक्षित करने के लिये है ताकि जो लोग जमीन खरीदना चाहें उनको भय न हो, इसलिये इस धारा के अन्दर आश्वस्त किया गया है । यदि माननीय कमला सिंह जी का मतलब यह हो कि परचेजर को आश्वस्त न करें तो यह निकाल दी जाय । धारा १६ में यह है कि—

"Sale under this section shall be conducted in such manner as may be prescribed."

उसमें सब प्रकार का विधान हो सकता है । जब धारा १६ में दरवाजा बन्द हो गया तो फिर सर्कमस्टांसेज के आधार पर मुकदमेंबाजी शुरू करना चाहें तो उसको रोका गया है इसके द्वारा । इसलिये मैं समझता हूं कि इस धारा को निकालना उचित नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि अगर अफसर गलती करे तो कोर्ट में भेजिये, लेकिन कम से कम अपने यहां कोई अधिकारी या अपीलेट कोर्ट ऐसा बना दें जहां उसकी सुनवाई हो सके ।

श्री बनारसीदास—

पर्चेज कैसे होगा उसके रूल बनायेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष जी, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्षमा करें, मैंने पूरे बिल को देखा नहीं है । १६ पर माननीय मंत्री जी बहुत बल देते हैं । इसमें आप फरमाते हैं कि १६ (२) (क) में है कि ऐसे अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जायगा जब तक ऐसी स्थितियां न हों, नोटिस न दिया जाय और १९ में कहा है कि नोटिस न भी दिया जाय तो भी आपत्ति नहीं होगी । १६ में जो व्यवस्था दी है उसका खंडन १९ में करते हैं और सुरक्षा की बात लेते हैं । यह बिलकुल विरोधाभास है । इसको मंत्री जी साफ करने की कृपा करें ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि सेल की व्यवस्था तो रूल्स के द्वारा होगी, लेकिन जैसा कि प्रोसीजर में विवाद पैदा हो जाता है उसको रोकने के लिये यह कहा गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८८,

विपक्ष में—४१ ।)

खंड—२०

बन्धककर्ता के ऋणशोधाक्षम हो जाने के आधार पर बन्धक पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

२०—ऋण शोधाक्षमता से सम्बन्धित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, भूमि-विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बंधक पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि वह मूल्यवान प्रतिफल के लिये सद्भावना से निष्पादित नहीं किया गया था या कि वह बंधककर्त्ता के अन्य ऋणदाताओं पर भूमि विकास बैंक को अधिमान देने के लिये निष्पादित किया गया था ।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े अहम सवाल पर अगर मंत्री जी उस खंड को निकालने के लिये तैयार नहीं हुये तो इसके बारे में कोई खास उम्मीद नहीं है, न लेक्चर देने की आवश्यकता समझता हूं । यह खंड अनुपयुक्त है और इसको नहीं रखना चाहिये, इसलिये मैं विरोध करता हूं फिर उम्मीद करता हूं कि शायद अब मंत्री जी मान जायं ।

*श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, यदि माननीय कल्पनाथ सिंह जी इस प्रकार विरोध करेंगे तो इसके मतलब हुये कि फिर यह बिल ही नहीं रहना चाहिये । कर्जा लेने के बाद इनसालवेन्ट हो, इस आधार पर डीड को क्वेश्चन किया जाने लगे तो फिर बैंक की क्या जरूरत है ? फिर अच्छा खासा पागलखाना है । इसलिये मैं क्या उत्तर दे सकता हूं ?

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

उपाध्यक्ष महोदय, पागलखाना किस तरफ है यह माननीय बनारसी दास समझ सकते हैं । अगर कोई प्रोनोट पर दस्तखत कर देता है तो वांट आफ गुड फेथ और वांट आफ कंसीडरेशन की प्ली वह ले सकता है, यह आर्डिनरी सिविल ला है । आप जायदाद मार्टगेज करवा लेना चाहते हैं, कैसे करवा लेते हैं, किन सर्कम्स्टांसेज में करवा लेते हैं ? कोई अधिकार नहीं देते हैं कि वांट आफ गुड फेथ, कंशीडरेशन या प्रायारिटी टु अदर क्रेडिटर्स किसी आधार पर वह प्ली नहीं ले सकता है । बैंक लेगा, मगर अब दूसरे क्रेडिटर्स मरें । आर्डिनरी सिविल ला है, वह बैंक्स पर क्यों नहीं अप्लाई करना चाहते हैं ? और कहते हैं कि पागलपन की बातचीत है । पागलपन तब मालूम होगा जब सिविल कंट्रोल में यह क्वेश्चन होगा । इस तरह से हेस्टी कानून बनाने जा रहे हैं । स्वयं सोचना चाहिये कि किस तरह का कानून बनाने जा रहे हैं । लोग बाद में कहेंगे कि कैसे कानून बनाने वाले थे ? इसको डिलीट करें ।

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—

अभी बहस हो रही है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

यह नहीं होगा। चीज यह है कि प्रक्रिया नियमावली में कोई धारा होनी चाहिये। बिजनेस कमेटी ने तय नहीं किया है। यह नियमों क अनुकूल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

समय बढ़ाने का प्रस्ताव आना नियमानुकूल है। सदन ने उसको मंजूर कर लिया।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर बिजनेस कमेटी तय करती....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं बिजनेस कमेटी की बात इसमें नहीं है। सदन विजनेस कमेटी के ऊपर है। सदन में एक प्रस्ताव किया गया और वह पास हुआ।

श्री रक्षपालसिंह—

सदन ने समय नहीं बढ़ाया।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, सदन ने बढ़ाया है।

श्री कमलासिंह यादव—

यह तो बहुत गलत बात की जा रही है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

समय का प्रपोजल हुआ, लेकिन लोग विरोध करना चाहते थे और वह नहीं हो पाया, सदन ने समय नहीं बढ़ाया है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो नहीं, वह तय हो गया है। मैंने मत लिया और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया।

श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—

सदन के माने सिर्फ उपाध्यक्ष है तब तो पास हो गया, नहीं तो अभी पास नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, उस पर वोटिंग हुआ और उसको डिक्लेयर किया गया।

श्री रक्षपालसिंह—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, जो एजेंडा हमें मिला है उसमें लिखा है कि "पांच बजे के उपरान्त" वह दूसरा काम लिया जायगा। तो सदन का समय कैसे बढ़ाया जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

उसके माने यह हैं कि जब बिजनेस समाप्त हो जायगा।

श्री रक्षपालसिंह—

सायंकाल ५ बजे के उपरान्त है, समाप्त होने के बाद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसका इंटरप्रिटेशन यह है कि समय ५ बजे तक आर्डिनरीली होता है, उसके पश्चात् और अगर समय बढ़ाया जाता है तब जो बिजनेस है वह जब समाप्त हो जावेगा तब।

श्री रक्षपालसिंह—

तो श्रीमन्, जब आप लिखित व्यवस्था के खिलाफ काम करना चाहते हैं तो आप करिये और उसको अकेले पास करवाइये। हम जनसंघ के सदस्य आप की व्यवस्था के विरोध में वाक आउट करते हैं।

(जनसंघ के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मैनेजरसिंह—

जो नियम बने हुए हैं वह भी आप मानने को तैयार नहीं हैं तो हम लोग भी मजबूर हैं। आप अकेले उसे पास कर लें हमें कोई एतराज नहीं है। वैसे जब आप समय बढ़ाते हैं तो कम से कम बात करके वैसा करना चाहिये था। पार्टियों के ह्विपों (सचेतकों) से बात होनी चाहिये थी, [* * *] तो फिर आप पास करिये जैसा आपका जी चाहे, हम लोग चलते हैं।

श्री बनारसीदास—

जिन धाराओं में आपने अमेंडमेंट्स नहीं दिये हैं उनका भी आप विरोध करते हैं तो क्या किया जाय।

श्री बलवानसिंह—

इसमें सिर्फ प्रपोजल हुआ था। बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप गलत कह रहे हैं। क्वेश्चन पुट किया गया और फिर डिक्लेयर किया गया।

श्री बलवानसिंह—

फिर अगर आप गलत बात करना ही चाहते हैं तो हम जाते हैं, आप अपनी मनमानी जो चाहें कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको वाक आउट करना ही है, तो बात दूसरी है।

(प्रजा समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[* * *] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

खंड---२१

प्रापक को नियुक्ति तथा उसके अधिकार

२१---(१) मण्डल स्वतः अथवा भूमि-विकास बैंक क प्राथना-पत्र पर तथा उन परिस्थितियों में जिनमें धारा १६ के अधीन किसी प्रबन्ध-समिति अथवा मण्डल द्वारा विक्रय के अधिकार का प्रयोग, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता हो, बन्धकग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के लिये लिखित रूप से एक प्रापक नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा प्रापक, सम्पत्ति पर कब्जा करने और उसको उपज तथा आय को संग्रहित करने, अपने द्वारा वसूल किये गये धन में से अपना प्रबन्ध-व्यय, जिसमें उसका मण्डल द्वारा निश्चित किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, सम्मिलित है---काट लेने और अवशिष्ट धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, की धारा ६९-ए की उपधारा (८) के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक वे लागू हों, उपयोग करने का हकदार होगा। ऐक्ट संख्या ४ १८८२

(२) मण्डल स्वतः अथवा बंधककर्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त प्रापक को हटा सकता है।

(३) प्रापक के पक्ष में हुई रिक्ति की पूर्ति मण्डल द्वारा की जा सकती है।

(४) इस धारा के किसी बात से मण्डल को उस दशा में प्रापक नियुक्त करने का अधिकार न होगा जब बन्धकग्रस्त सम्पत्ति पहले से ही दीवानी न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक के कब्जे में हो।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२---२५

बन्धककर्ता का बन्धकग्रस्त सम्पत्ति को पट्टे पर देने अथवा उस पर अन्य अधिकार सृजित करने का अधिकार

ऐक्ट संख्या ४, १८८२

२२---(१) ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, बन्धककर्ता, भूमि-विकास बैंक की लिखित रूप से पूर्व अनुमति के बिना, तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो बैंक आरोपित करे, बन्धक सम्पत्ति को न तो पट्टे पर देगा और न बन्धकग्रस्त सम्पत्ति पर कोई अन्य अधिकार सृजित करेगा।

(२) उप-धारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके दिया गया पट्टा अथवा सृजित अधिकार शून्य (void) होंगे।

भूमि-विकास बैंक या राज्य भूमि-विकास बैंक की ओर से निष्पादित लेख्यों का निबन्धन

ऐक्ट संख्या ६, १९०८

२३---(१) इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धकों को निबद्ध करना आवश्यक न होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बद्ध भूमि-विकास बैंक, संलेखों के निष्पादन के दिनांक से तीस मास की अवधि के भीतर, रजिस्टर्ड डाक द्वारा या रसीद प्राप्त करके हाथ से उस लेख की एक प्रति जिसके द्वारा ऋण के प्रतिदान को सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिये अचल सम्पत्ति बन्धक रखी गयी हो, उस निबन्धक-अधिकारी के पास भेजेगा जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर बन्धक रखी गयी सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो और उक्त निबन्धक अधिकारी उस प्रति या उन प्रतियों को, जैसी भी दशा हो, इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५१ के अधीन नियत पुस्तक संख्या १ में नत्थी करके रखेगा। ऐक्ट संख्या ६, १९०८

ऐक्ट संख्या ६, १९०८

(२)-(क) इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ में दी गयी किसी बात के होते हुए भी न्यासी या भूमि-विकास बैंक अथवा राज्य भूमि-विकास बैंक के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह स्वयं या उसका कोई अभिकर्ता

किसी निबन्धन कार्यालय में किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसका सम्बन्ध ऐसे संलेख के निबन्धन से हो जिसे उसने अपने आधिकारिक रूप में निष्पादित किया हो, उपस्थित हो या उक्त ऐक्ट की धारा ५८ में दिये गये उपबन्ध के अनुसार हस्ताक्षर करेगा।

(ख) जब कोई संलेख इस प्रकार निष्पादित किया जाय, तो वह निबन्धक अधिकारी जिसके समक्ष उक्त संलेख निबन्धन के लिये प्रस्तुत किया जाय, यदि उचित समझे तो उसके सम्बन्ध में सूचना के लिये उक्त अधिकारी को अभिदिष्ट करेगा और उसके निष्पादन के सम्बन्ध में अपना समाधान हो जाने पर उस संलेख को निबद्ध कर लेगा।

मंडल द्वारा कतिपय अधिकारों का प्रतिनिधान

२४---यदि मण्डल उचित समझे तो वह धारा १६, १८ और २१ के अधीन अपने सभी या किन्हीं अधिकारों को अपने द्वारा संघटित एक ऐसी उप-समिति को प्रतिनिहित कर सकता है जिसमें उसके दो या अधिक सदस्य हों।

ट्रांसफर आफ प्रापर्टी, ऐक्ट, १८८२, की धारा १०२, १०३ और १०४ का इस अधिनियम के अधीन नोटिसों पर लागू होना

२५---ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, की धारा १०२ और १०३ के, तथा उक्त धाराओं के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उक्त ऐक्ट की धारा १०४ के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन तामील किये जाने वाले सभी नोटिसों पर यथाशक्य, प्रवृत्त होंगे। ऐक्ट सं० ४, १८८२

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २२, २३, २४ और २५ इस विधेयक के अंग बाने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६-२७

संयुक्त हिन्दू परिवारों के प्रबन्धक द्वारा निष्पादित बन्धक

२६---(१) यदि भूमि-विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी बन्धक पर, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले निष्पादित किया गया हो या बाद में, कोई आपत्ति इस आधार पर की जाय कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिये निष्पादित किया गया था जो उस परिवार के वयस्क या अवयस्क सदस्यों पर बन्धनकारी नहीं था, तो इसे सिद्ध करने का भार, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उस पक्ष पर होगा जो उस बन्धक पर आपत्ति करे।

(२) इस धारा के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेंगे जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों पर बन्धनकारी होंगे :---

(क) कृषि भूमि का या खेती की रीतियों में सुधार अथवा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिये अन्य साधनों को वित्त-पोषित करना; और

(ख) भूमि का क्रय।

परिष्कार जिसके अधीन रहते हुए हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट, १९५६ की धारा ८ इस अधिनियम के अधीन बन्धकों पर लागू होगी

२७---हिन्दू माइनारिटी ऐण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट, १९५६ की धारा ८ भूमि-विकास बैंक के पक्ष में किये गये बन्धकों पर इस परिष्कार के अधीन रहते हुए प्रवृत्त होगी कि उसमें न्यायालय को किया गया अभिदेश कलेक्टर या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को किया गया अभिदेश समझा जायगा और कलेक्टर या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश विरुद्ध अपील आयुक्त के समक्ष की जायगी। ऐक्ट सं० २७, १९५६

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २६ और २७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड—२८

२८—(१) इस राज्य में प्रचलित किसी विधि या संलेख अथवा विज्ञप्ति या उप-विधि में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-बन्धक बैंक या भूमि-बन्धक बैंक के लिये किया गया अभिदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से, इस अधिनियम के अर्थ में, यथास्थिति, राज्य भूमि-विकास बैंक या भूमि विकास बैंक के लिये किया गया अभिदेश समझा जायगा।

बन्धक बैंक के लिये किया गया अभिदेश भूमि विकास बैंक को किया गया अभिदेश समझा जायगा।

(२) यदि इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक को कोई बैंक उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-बन्धक बैंक या भूमि-बन्धक बैंक के नाम से कार्य कर रहा हो तो वह उस दिनांक से दो मास के भीतर अपना नाम परिवर्तित करके, यथास्थिति, राज्य भूमि-विकास बैंक या भूमि-विकास बैंक कर लेगा।

(३) यदि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बन्धक बक या भूमि-बन्धक बैंक उप-धारा (२) के अधीन की गयी व्यवस्था के अनुसार अपना नाम परिवर्तित न करे, तो निबन्धक लिखित आदेश द्वारा उसका नाम परिवर्तित कर सकता है और तदनुसार उसका मूल प्रमाण-पत्र तथा उप-विधियां संशोधित कर सकता है और उसकी एक प्रति सम्बद्ध बैंक को भेज सकता है। निबन्धक के आदेश से किया गया ऐसा नाम परिवर्तन उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के संगत उपबन्ध के अधीन समिति द्वारा किया गया परिवर्तन समझा जायगा।

*श्री बेचनराम—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ के उपखंड (१) में शब्द "राज्य भूमि विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जायं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि राज्य भूमि विकास बैंक के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक रख दिया जाय। केवल नाम को बदलने का प्रस्ताव है जो शब्दों के हेरफेर करने से पूरा हो जायगा। आशा है कि इसको स्वीकार किया जायगा।

श्री बनारसीदास—

यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (१) में शब्द "राज्य भूमि-विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री बेचनराम—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ के उपखंड (२) में शब्द "राज्य भूमि-विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जायं और शब्द "भूमि-विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम]

जैसा मैंने पहले उपखंड के सम्बन्ध में कहा यदि वह बात स्वीकार कर ली गई है तो इस चीज को भी स्वीकार कर लिया जाय। जो रिफरेन्स उस सम्बन्ध में माना जायगा वह इसके लिये भी होगा।

श्री बनारसीदास—

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (२) में शब्द "राज्य भूमि-विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जायं और शब्द "भूमि-विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री बेचनराम—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ के उपखंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (४) बढ़ा दिया जाय :—

"(४) यदि किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक के पक्ष में कोई बन्धक सीधे निष्पादित किया जाय, तो धारा १४, २०, २२, २३, २६ और २७ में भूमि-विकास बैंक के लिये किये गये सभी अभिदेश उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक के लिये किये गये अभिदेश समझे जायंगे।"

जैसा मैंने पहले खंड में कहा है, जब उस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो यह भी उसके ही रिफरेन्स के लिये है।

श्री बनारसीदास—

यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड–२९

विनियम बनाने का मण्डल का अधिकार

२९—मण्डल, न्यासधारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम, राज्य भूमि-विकास बैंक के नियमों एवं उप-विधियों के उपबन्धों से असंगत न हो और जिनमें निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी की व्यवस्था की गयी हो :—

(क) ऋण-पत्रों की अवधि तथा उन पर देय ब्याज की दर निश्चित करना ;

(ख) ऋण-पत्रधारियों को नोटिस देने के पश्चात् ऋण-पत्रों का प्रत्याहरण;

(ग) क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट ऋण-पत्रों के स्थान पर नये ऋण-पत्र जारी करना;

(घ) एक वर्ग के ऋण-पत्रों को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण-पत्रों में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हों;

(ङ) भूमि-विकास बैंकों के बही-खातों (accounts books) तथा कार्यवाहियों का निरीक्षण;

(च) भूमि-विकास बैंकों द्वारा अपने व्यवहारों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन एवं विवरणियां प्रस्तुत करना ;

(छ) भूमि-विकास बैंकों और राज्य भूमि-विकास बैंक के बीच नियतकालिक लेखा-परिशोधन तथा उन बन्धकों (mortgages) पर जो राज्य भूमि-विकास बैंक को संक्रमित किये गये हों या धारा १२ के अधीन संक्रमित किये गये समझे गये हों भूमि-विकास बैंकों द्वारा वसूल की गयी धनराशियों का भुगतान;

(ज) वह प्रपत्र निर्दिष्ट करना जिसमें ऋणों के लिए भूमि-विकास बैंकों अथवा राज्य भूमि-विकास बैंक को प्रार्थना-पत्र दिये जायें तथा इस प्रकार के ऋणों के दिये जाने के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(झ) ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी सम्पत्तियों का मूल्यांकन ;

(ञ) बंधक-कर्ताओं से वसूल की गयी धनराशियों का विनियोजन, तथा

(ट) सामान्यतया कोई ऐसा अन्य विषय जिसके सम्बन्ध में मण्डल यह समझे कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपबन्ध बनाये जाने चाहिये :

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (झ) के अधीन बनाये गये विनियम राज्य-सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगे।

श्री बेचनराम—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २९ में शब्द "राज्य भूमि-विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जायं। यह भी उसी प्रकार का है इसको स्वीकार किया जाय।

श्री बनारसीदास—

यह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २९ में शब्द "राज्य भूमि-विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३०—३२

नियम बनाने का राज्य सरकार का अधिकार

३०—(१) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशन के पश्चात्, सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) विशेषतया तथा उपधारा (१) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी विषय की व्यवस्था करने के लिए नियम बना सकती है :—

(क) भूमि-विकास बैंक को बंधक रखी गयी भूमि की उपज अभिहरण करने तथा उसके विक्रय की प्रक्रिया;

(ख) भूमि-विकास बैंक को बन्धक रखी गयी सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया;

(ग) मण्डल द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों की सीमा अवधारित करने के लिए धारा ६ की उपधारा (३) के खण्ड (ग) के अधीन प्रतिशत निश्चित करना;

(घ) वे शर्तें निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन दी गयी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ायी, समाप्त, कम या परिष्कृत की जा सकती है;

(ङ) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो अथवा जो नियत किया जाय।

(३) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों (Annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान-मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

न्यासधारी तथा अन्य व्यक्ति लोक-सेवक होंगे, ऐक्ट सं० ४५, १८६०

३१—न्यासधारी, निबन्धक, या धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन सम्पत्ति का अभिहरण और विक्रय करने के लिए निबन्धक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अथवा धारा २१ के अधीन नियुक्त कोई प्रापक, इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (Public servant) समझे जायेंगे।

३२--धारा ३१ में अभिदिष्ट कोई लोक सेवक, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बेची गयी किसी चल या अचल सम्पत्ति का न तो क्रय करेगा और न उसमें बोली बोलेगा। लोक सेवक बिक्री में बोली न बोलेंगे

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३०, ३१ और ३२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, १९६४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य में सहकारी भूमि-विकास बैंकों के कार्य-संचालन को सुकर बनाने के लिए

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश सहकारी राज्य भूमि बन्धक बैंक के कार्य-संचालन और राज्य में सहकारी भूमि-विकास बैंकों के निर्माण तथा उनके कार्य-संचालन को और सुकर बनाया जाय : प्रस्तावना

अतएव, भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री बेचनराम—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावना में शब्द "बन्धक" के स्थान पर शब्द "विकास" रख दिया जाय। इसका कारण यह है कि बन्धक तो एक साधन था जिसके द्वारा हम भूमि का विकास करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसीदास—

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना में शब्द "बन्धक" के स्थान पर शब्द "विकास" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४, को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८३५–८४९ पर)

सरकार द्वारा जनवरी, १९६४ में खरीदे गये १० रेलवे वैगन चावल खराब निकलने के संबंध में नियम ५०(१) के अन्तर्गत विवाद

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैंने, एक अरसा हुआ, १६ मार्च, १९६४, को, कुछ सवालात किये थे और उनके जवाब मुझे मंत्री जी की तरफ से जैसे मिले उनसे असन्तुष्ट होकर मैंने आपसे नियम ५० के अन्तर्गत उन पर विवाद देने के लिये प्रार्थना की थी। कई जवाब जो मुझे दिये गये, वे बिल्कुल गलत हैं और केवल अपने विभाग की कमियों, खामियों और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये मुझे ऐसे जवाबात दिये गये थे। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, यह एक बहुत बड़ा स्कैन्डल है। इससे बड़े-बड़े और स्कैन्डल इस विभाग में होते होंगे। श्रीमन्, १० वैगन चावल जो इटावा से गोरखपुर भेजा गया वह वहां पर पहुंचते-पहुंचते सड़ गया। यह सूचना मंत्री जी के विभाग से ही मुझे मिली, मैं उनके विभाग का आभारी हूं। मगर जो सूचना माननीय मंत्री जी के द्वारा मिली वह या तो गलत थी, उनको गलत सूचना दी गयी थी, या जानबूझ कर उसको छिपाया गया था। सवालों की बड़ी इम्पार्टेंस होती है, उसी के द्वारा शासन की गलतियों को सुधारा जा सकता है।

मेरे पहले, एक अन्य माननीय सदस्य, माननीय त्रिपाठी जी, ने ९ तारीख को शायद एक सवाल किया था। यह घटना जनवरी, १९६४ की है जबकि सारा प्रदेश कोल्ड स्टोरेज की तरह बना हुआ था। उस वक्त गर्मी का कहीं सवाल नहीं था। लेकिन त्रिपाठी जी को जवाब यह दिया गया था कि उक्त चावल में नमी अधिक थी, जब वह बन्द डिब्बों में इटावा से गोरखपुर भेजा गया तो गर्मी के फलस्वरूप उसके रंग में कुछ परिवर्तन आ गया। श्रीमन्, उस वक्त गर्मी कहां थी? यहां पर हमको बच्चे समझ कर बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। बात यह थी कि इतना गीला चावल खरीद लिया गया कि वह गोरखपुर जाते-जाते सड़ गया। आज जब दाने-दाने की प्रदेश मे आवश्यकता है, उस समय विभाग के अधिकारी ऐसा काम करें तो यह बड़े अफसोस की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि आज कई महीने बीत गये, आपने दोषी अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की। आपने यह भी फरमाया था कि १४ फीसदी नमी जब होती है तो चावल खरीदा जाता है। लेकिन जो चावल यह खरीदा गया उसके अन्दर ३० फीसदी नमी थी। यानी १६ फीसदी नमी ज्यादा थी। दूसरा सवाल मेरा यह था कि क्या कुछ शिकायतें माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध में मिलीं। उसका उत्तर दिया गया था कि जी नहीं। एक तीसरे सवाल के उत्तर में सरकार ने बताया था कि दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मैं पूछता हूं कि अगर शिकायतें नहीं मिलीं, तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही कैसे कर रहे हैं।

*रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये, शायद उनको कुछ भ्रम है। हम इस विषय में सतर्क नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। यह भी नहीं है कि हम कुछ लीपापोती इस केस में कर रहे हैं। आपने जो तर्क उपस्थित किये उनसे यह साबित करने का प्रयत्न किया कि उसमें मोइश्चर कन्टेंट ज्यादा था। जिस चावल में मोइश्चर कन्टेंट १४ से १७ प्रतिशत तक होता है उसको हम खरीद लेते हैं लेकिन अगर उससे ऊपर होता है तो उसकी कीमत में कटौती करते जाते हैं। यह बात आप की मानी जा सकती है कि कोई अधिकारी इस कंटेंट में कमी बेशी कर देता हो। अब आपने पूछा कि आपको यह कैसे मालूम हो गया तो जब डिसपेच और रिसीविंग प्वाइन्ट्स में फर्क निकला तो फरवरी के महीने में ही यह शिकायत रिसीविंग प्वाइन्ट से हमें मिली। आपने कहा कि हमको बेवकूफ बनाया गया। उस समय गरमी कहां थी, जाड़ा पड़ रहा था। कोई भी मौसम हो अगर कोई चीज गीली होगी तो वैगन में बन्द करने पर उसमें आक्सीडेशन होगा और उस फोमेन्टेशन की वजह से उसका स्वरूप कुछ खराब हो गया। अब इसकी इन्क्वायरी की जा रही है। जब तक पूरी बात का पता न चल जाय हाउस में उसका उत्तर पूरा किस प्रकार से दिया जा सकता है। उसके बाद हमने यह पता चलाया कि किसने उसको परचेज किया था, किसने वेरीफाई किया था और किस अधिकारी ने उसको डिसपैच किया। पता चला कि १६ जनवरी तक गोरखपुर को १,२०० बोरे यानी १६,१३८ क्विन्टल २५ किलो भेजा गया और भाटपाररानी को ४८० बोरे यानी ४६५ क्विन्टल ६४ किलो और मऊ को ४०० बोरे यानी ४५५ क्विन्टल ७६ किलो गये। इन्हीं पर आर० एफ० सी० ने ऐतराज किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

आपने और माधोप्रसाद जी ने जो सप्लीमेंटरी किये तब भी मैंने इसको देखा और एस० एम० आई० को तुरन्त सस्पेंड कर दिया। आप कहते हैं औरों को क्यों मुअत्तिल नहीं किया गया, इसका कारण यह है कि हर एक केस को देखा जाता है और हर एक आदमी की रेस्पान्सीबिल्टी फिक्स की जाती है, तब कहीं उसको मुअत्तल किया जाता है। यह मेरे पास चार्ट है, आपने जो सवाल पूछा था उस से पहले का यह बना हुआ है। इसमें सब बातें दी हुई हैं। किसने और कहां कितना चावल भेजा, किसने उसको ऐनेलाइज किया, किसने उसका वेरीफिकेशन किया आदि आदि। आपने तो कहीं से सुन पाया और प्रश्न किया लेकिन यहां तो सब कार्यवाही पहले से ही हो रही थी। आर० एफ० सी० ने स्वयं ही शिकायत की थी। तो मैंने इनको अन्डर सस्पेंशन रखा है और उसकी फुल फ्लेज्ड इन्क्वायरी करा रहे हैं। मैं आपको यह भी बतला दूं कि उसी वक्त हमने यह भी लिख दिया है कि जिस व्यापारी ने दिया है, चाहे उसने डिडक्शन कर के ही दिया हो, ४ वैगन गोरखपुर का और २ वैगन आजमगढ़, मऊ का रिप्लेस कर दें। शेष जितने वैगन्स हैं वह भी रिप्लेस होते जा रहे हैं। ऐसे हमारे माल का तो कोई नुकसान हुआ नहीं लेकिन ज्यादा मोइस्चर कंटेंट का चावल जिसने खरीदा उस पर भी कार्यवाही हो रही है। अगर डिप्टी आर० एम० ओ० की गलती होगी तो उनके ऊपर भी चार्जशीट होगा और उनको भी पकड़ा जा सकता है। इसके लिये जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। लेकिन जो भी काम किया जाता है वह भी कायदे कानून के मुताबिक ही काम होता है। मैं समझता हूं आपको जोश में आने की जरूरत नहीं है। आपने यह सवाल उठाया, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

आखिर आप में और हम में अन्तर क्या है? हम कोई खुदा तो हैं नहीं कि सब बातों का पता लगा लें। जब कहीं से शिकायत आती है तभी पता चलता है। यह कहना कि आप कुछ नहीं देखते हैं यह ठीक नहीं है। यह तो उसी तरह से हुआ कि अगर कोई आदमी काम करता भी हो तो उसे एक धक्का और मार दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात कहना गैरजिम्मेदाराना है। अगर मैं आपको कह दूं कि आप निकम्मे हैं, आप किसी काम के नाहीं हैं, तो आपके दिल को कितनी तकलीफ पहुंचेगी? आप ने एक अच्छा काम किया है और आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं जिसकी मैं तारीफ करता हूं और मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि कोई बात छिपाने की हमारी कोई मंशा नहीं है और इसमें छिपाने की कोई बात भी नहीं है। यह पब्लिक का पैसा है, कोई हमारा पैसा तो है नहीं और मैं अपने पैसे से पब्लिक के पैसे की ज्यादा कद्र करता हूं, उसको ज्यादा महत्व देता हूं। चाहे मेरा नुकसान हो जाय लेकिन पब्लिक के पैसे का कोई नुकसान नहीं होना चाहिये क्योंकि हम उसके ट्रस्टी हैं। बहुत सी बातें ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू से यहां कहनी पड़ती हैं और सदन में किसी प्रश्न का उत्तर देते समय भी बहुत-सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि किस हद तक कहां पर क्या कहना चाहिये। आप हमारे दिल की गहराई का अन्दाजा हमारी जबान से नहीं लगा सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर देते हुये भी शासन की मर्यादा को सामने रखते हुए कहना पड़ता है। जितना आपके अन्दर जोश है उससे ज्यादा ही हमारे अन्दर जोश चढ़ा हुआ है लेकिन जिम्मेदारी के भार की वजह से हम अपने जोश को दबाये हुए हैं। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि आपकी बात को मैं समझ गया हूं और आप भी मेरी बात को समझ कर अब चुप हो जावें तो अच्छा है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे इस मामले की जांच किसी अधिकारी के जरिये करा रहे हैं या जुडिशियल टाइप की कोई कमेटी बनी हुई है जो इस सारे मामले की जांच कर के रिपोर्ट देगी और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शुरू में आर० एफ० सी० ही जो इस विभाग के आफिसर हैं इसकी जांच कर रहे थे। जब जांच से यह मालूम हुआ कि एक जगह ही नहीं कई जगह के चावल खराब होने की शिकायत है तो हमने तुरन्त यहां सेक्रेटेरिएट से प्रांविंशियल मार्केटिंग आफिसर को भेजा कि वे आकर इसकी तहकीकात करें और जो दोषी व्यक्ति हों उनको तुरन्त निलम्बित करें। उन्होंने दो आदमियों के नाम बतलाये, एक तो डिस्पैच मेटेरियल इंसपेक्टर थे और एक सीनियर मार्केटिंग इंसपेक्टर थे। जहां तक मार्केटिंग इंसपेक्टर की बात है, मुझे यह बतलाया गया कि एक आदमी जिसका काम बिल्टी करके भेज देने का काम है उसका क्या दोष है और मैं समझता हूं कि जिसने चावल खरीदा उसकी बेईमानी हो सकती है और यदि वे आपस में मिले हुए हों तो एक दूसरे का लिंक होगा और वह ऊपर से नीचे तक हो सकता है। हम सही तरीके से जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी कर सकते हैं वह करते हैं, हम स्वयं ही प्रयत्नशील हैं और चिंतित हैं यह जानने के लिये कि क्या बात है, प्रमाण नहीं मिलते तब भी दिक्कत होती है। इसलिये हम प्रमाण जानने की कोशिश कर रहे हैं, पी० एम० ओ० से हम इंक्वायरी करा रहे हैं, बड़ी लंबी उसकी प्रोसीडिंग होती है बाकायदा। जुडीशियल इंक्वायरी की या सी० आई० डी० की जरूरत नहीं है। हम किसी स्पेशल आफिसर को भेज कर करा लेते हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं, जैसी कि सूचना मुझे उन्हीं के विभाग से मिली है, कि इस में पी० एम० ओ० का खास हाथ है, डिप्टी पी० एम० ओ० पर मेहरबानी का। तो क्या वह पी० एम० ओ० के बजाय सी० आई० डी० के द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर ऐसी बात मुझे मालूम होगी, अभी ठीक नहीं कह सकता, सब चीजें मेरे सामने खुलेंगी, तो जैसी जरूरत होगी सी० आई० डी० या दूसरे आफिसर से जो भी मुनासिब होगा उनसे जांच कराई जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जैसा कि अभी मंत्री जी ने चार्ट से सुनाया कि डिस्पैच से पहले इंसपेक्टर वेरिफिकेशन करता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह माल वहां से डिस्पैच हुआ तो इसका जो वेरिफिकेशन हुआ कि यह चावल वही है या दूसरा चावल है, तो जो वेरिफिकेशन करने वाला इंसपेक्टर था उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं खुद जरा देख रहा हूं कि एक ही आदमी का नाम सब चीजों में लिखा जा रहा है, डिप्टी आर० एम० ओ० को जरूर देखना चाहिये कि एक ही आदमी का नाम सब में चला आ रहा है तो उसमें कुछ अधिक जानने की अभी जरूरत है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जहां से खरीदारी होती है वहां से ऊपर तक, यहां तक कि सेक्रेटेरिएट लेविल तक, सब का उसमें हिस्सा चलता है, इसको ध्यान में रखकर क्या मंत्री जी कोई ऐसा इंतजाम करेंगे कि इन लोगों की प्राइवेट प्रापर्टी को देखा जाय कि इतनी आय उनको कहां से हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस बात को हम स्वीकार करने लगे कि हमारे देश में इतना अंधेर है तब तो बड़ा मुश्किल हो जायगा। कोई हमें कहेगा, कोई आपको कहेगा, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को कहेगा। इसलिये ऐसा एलीगेशन जनरलाइज करना उचित नहीं है। हो सकता है कि बहुत-सी चीजें हमारे यहां खराबी की हों, कुछ न कुछ थोड़े लोग करते भी हों लेकिन उस को मंजूर करना इस तरह से उचित नहीं है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम देखें कि खरीदारी में कोई गलत रास्ता न अपनाया जाय। लेकिन यह मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि नीचे से ऊपर तक सब जगह ऐसा होता है, स्पेसिफिक केस का हो सकता है लेकिन इस तरह से जनरलाइज नहीं किया जा सकता।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पिछले साल जो चावल १९ रुपये के भाव खरीदा गया वही चावल २७ रुपये के भाव व्यापारियों को दोबारा दिया गया, क्या इस तरह से वह दोबारा किसी आदमी को बेचा जा सकता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बहुत पुराना चावल था। उसको टेंडर से बेचा गया, शर्त उसमें यह थी कि वह यू० पी० के बाहर एक्सपोर्ट करें, उसका हमें मार्केट रेट से भी अधिक पैसा मिला और इस प्रलोभन में कि यह बाहर ले जायेंगे, वह बहुत खराब था, हमारे काम का नहीं था, उसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इस कारण से वह दिया गया। जो टेन्डर ज्यादा था उसको हमने एक्सेप्ट किया और उन्होंने टेन्डर इसलिये ज्यादा दिये क्योंकि उन्हें यह चावल बाहर ले जाना था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो चावल इस तरह से खराब पाया गया वह कितनी कीमत का चावल था और उसका रेट क्या दिया गया ? किस रेट से खरीदा गया और किस रेट से बेचा गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर इसके फीगर्स हों तो बता दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें क्वान्टिटी लिखी है। क्वान्टिटी तो मैंने बतायी। कितनी कीमत का था और कितना रेट था, यह सूचना उपलब्ध नहीं है। चावल की किस्म तो लिखी हुई है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि जो चावल वहां पर खरीदा गया और जो रेट दिया गया सरकार को वह उस रेट पर खरीदा तो गया लेकिन जिस तरह का इन्डेन्ट दिया गया कि फलां किस्म का चावल खरीदा गया वह नहीं खरीदा गया ? वहां के इन्सपेक्टर, डी० आर० एम० आर० सब के सब इस रैकेट में हैं और आप इस मामले में एक प्राविन्शियल मार्केटिंग आफिसर से जांच करा रहें हैं। जब ये लोग सब इस रैकेट में शामिल हैं और इन्हीं लोगों ने मिल कर इस तरह की कार्यवाही की और आज भी इसकी सूचना है कि इस मामले को वे दबाना चाहते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट आदेश देकर किसी विशेष आफिसर या सी० आई० डी० द्वारा इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे जिससे सारे मामले का भंडाफोड़ हो सके और इस संकटकाल परिस्थिति में ऐसे लोगों को नसीहत हो सके कि ऐसी गलत कार्यवाही नहीं होनी चाहिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चावल ३ नं० सेला था। कीमत का मुझे मालूम नहीं है। आपने जो कहा है उसके बारे में मैं जो मुनासिब होगा इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरी सूचना यह है कि आपके विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक उस चावल की खरीद में साझेदार थे। इसलिये आप आशान्वित होकर यह मुनासिब समझेंगे कि इसकी जांच सी०आई०डी०, किसी मैजिस्ट्रेट या जुडीशियल आफिसर द्वारा करवायें? राशन की दुकानों पर कहीं भी चावल नहीं है। इस तरह से परेशानी होती है। इस तरह से जो गड़बड़ी की जा रही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। क्या इस बात के लिये कोई तरीका इख्तियार करने पर विचार किया जा रहा है जिसमें निष्पक्षतापूर्वक इसकी जांच की जा सके?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने पहले ही कह दिया है कि गवर्नमेंट हर वक्त विचार करने को तैयार रहती है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

उन डीलर्स के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की जिन्होंने ५०० रुपये की वैगन आपके अधिकारियों को रिश्वत दे कर चावल सप्लाई किया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सब माल वापस हो गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

लाइसेन्स कैंसिल किया या नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभी पहले माल तो आने दो। यह तो आगे की बातें हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जिस चावल का जिक्र किया गया वह १९ रुपये मन व्यापारियों से खरीदा गया और टेंडर के मार्फत १७ रुपये के भाव उनको वापस किया गया, तो माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो यह चावल व्यापारियों ने एक्सपोर्ट किया वह ह्यूमेन कंजम्पशन के लिये फिट था या नहीं था? अगर फिट तो उसे यहीं क्यों नहीं बांटा गया और अगर नहीं था तो फिर लोगों के लिये क्यों खाने को बाहर भेजा गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि बहुत थोड़ा-सा माल था। ४-५ हजार टन से ज्यादा नहीं रहा होगा, वैसे मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन उसमें कुछ गोलमाल नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

दो लाख रुपये यहां के सेक्रेटेरियट ने इसमें लिया, यह मेरी जानकारी है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मायर साहब लिख कर दे दें, मैं इंक्वायरी करवा लूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस बात की जांच करायेंगे कि २७ रुपये के भाव से जो व्यापारियों ने यह चावल सरकार से खरीदा और उसे बाहर एक्सपोर्ट किया तो उसमें व्यापारियों ने कितना प्राफिट कमाया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसकी क्या आवश्यकता है कि उन्होंने कितना प्राफिट कमाया ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मेरी जानकारी है कि ४० रुपये मन के हिसाब से वह बेचा गया और दो लाख रुपये का डील सेक्रेटेरियट अधिकारियों से हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये और उनकी मदद कीजिये, तब वह इंक्वायरी करवा लेंगे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जो यह चावल है यह बिलकुल खाने के लायक नहीं था और कोशिश यह की गयी कि इसमें मिला कर सप्लाई कर दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरी इत्तिला बिलकुल दूसरी है । मैंने फिर यह बतला दिया कि चावल बदला जा रहा है और मिला कर नहीं दिया जायगा । ४ वैगन बदल भी दिया है और उम्मीद है कि व्यापारी पूरा ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने यह आश्वासन दे दिया है कि इंक्वायरी करा लेंगे, आप लिख कर दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१३ अप्रैल, १९६४ ।

परिशिष्ट क

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१८ पर)

१--क्लर्कों संबंधी पुनर्गठन योजना की प्रतिलिपि सेवायोजकों द्वारा राष्ट्रीय टेक्सटाइल मजदूर यूनियन को दी जाये ।

२--योजना में वर्क लोड का निर्धारण काम की दशाओं की छानबीन तथा क्लर्कों के वेतन और सुविधाओं की समुचित व्यवस्था हो ।

३--लेबर आफिस में बेकार बैठायें गये ५ श्रमिकों की उनके स्थान पर नियुक्ति की जाये ।

४--छटनी बन्द की जाये ।

५--नई भरती तब तक रोकी जाये जब तक पुनर्गठन की योजना पूर्ण न हो जाये ।

६--हटाये गये क्लर्कों के कार्यभार को जो अन्य क्लर्कों पर जबर्दस्ती डाला गया है, हटाया जाये और उसकी अलग से व्यवस्था की जाये ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३२ पर।]

श्री सन्तसिंह यूनुफ द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर से सम्बन्धित विवरण ।

श्री हमीद खां, एम०एल०ए०, ने माननीय सभा सचिव श्रीमती तारा अग्रवाल को कानपुर नगर महापालिका द्वारा प्लाटों के वितरण में की जाने वाली कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था जिसमें निम्नलिखित शिकायतें की थीं। सरकार द्वारा उपरोक्त पत्र मुख्य नगर अधिकारी, कानपुर को जांच हेतु भेज दिया गया था।

शिकायतें इस प्रकार थीं :

१—एलाटमेन्ट कमेटी के सदस्यों ने स्वयं प्लाट लिए ही हैं और महापालिका में अपना दल बनाने के लिये अनेक सभासदों, उनके रिश्तेदारों और मित्रों को प्लाट एलाट करके उनकी सहानुभूति लेने की सौदेबाजी की है।

२—कचेहरी में फायदा उठाने के लिए अनेक वकीलों, मजिस्ट्रेटों आदि को भी इसी दृष्टि से प्लाट दिए गए हैं।

३—कुछ एक सभासदों को दो दो प्लाट मिले हैं।

४—अन्य प्रकार की अनियमितताएं भी हुई हैं जैसे आर्थिक फायदा भी लोगों ने उठा कर मौजूदा भाव को देखते हुए अत्यन्त कम दामों पर लोगों को प्लाट दिए हैं।

५—उन अधिकांश व्यक्तियों को जिन्होंने ३ व ४ वर्ष पहिले प्लाट पाने के लिये अर्जियां दी थी रूपया जमा किया था और हलफनामे लगाये थे प्लाट नहीं मिले और ऐसे लोगों को प्लाट मिले हैं जिनका रूपया और हलफनामा आज भी नहीं है केवल अर्जियां या चेकें (Cheques) पिछली तारीख में ले ली हैं।

प्लाटों के वितरण में की गयी कथित अनियमितताओं एवं आपत्तियों पर विचार करते हुए नगर महापालिका कानपुर की कार्यकारिणी समिति ने अपने प्रस्ताव दिनांक २८ जनवरी, १९६३ के अन्तर्गत एक स्क्रूटिनी कमेटी बनाई और उसको यह अधिकार दिया कि वह प्लाटों के एलाटमेन्ट के सम्बन्ध में मुख्य नगर अधिकारी द्वारा बतायी गई आपत्तियों पर विचार करके अन्तिम निर्णय दे दे। जिन आपत्तियों के निराकरण न हो सके उन मामलों को कार्यकारिणी समिति के सामने पेश किया जाय। स्क्रूटिनी कमेटी ने ऐसे व्यक्तियों को एलाट किये गये प्लाटों का एलाटमेन्ट रद्द कर दिया है जिनको एक से अधिक प्लाट एलाट हो गये थे या जिन व्यक्तियों का बयाना ३१ दिसम्बर १९६१ के पूर्व जमा नहीं था। विस्थापितों के लिये या जनहित कार्यों के लिये सुरक्षित किए गए प्लाट जो किसी भी व्यक्ति को एलाट हो गये थे ऐसे सभी एलाटमेंट रद्द कर दिए गये। महापालिका के कर्मचारियों, सभासदों को जो प्लाट एलाट किए गए हैं उनकी स्वीकृति आयुक्त, इलाहाबाद मंडल, द्वारा अधिनियम की धारा ४६३ व ४६४ के अन्तर्गत अपेक्षित है। ऐसे मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।

लाटरी पद्धति के स्थान पर मेरिट (merits) के आधार पर प्रत्येक मामले की स्थिति पर विचार कर प्लाट देना इस प्रतिबन्ध के साथ समिति ने स्वीकार किया है कि अन्य लागू होने वाली निर्धारित शर्तें पूरी होती हों।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३८ पर)

सूची गल्ले के दूकानदारों की जो जिलाधीश द्वारा नियुक्त हुये दिनांक २९-२-६४ को खाद्य सलाहकारिणी समिति की बैठक के पश्चात्

नाम स्थान	नाम दूकानदार	कैफियत
शहर फतेहपुर	१-सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर्स २-श्री सोनेलाल शक्कर विक्रेता .. ३-श्री लोटन प्रसाद शक्कर विक्रेता .. ४-श्री मन्नूलाल स्वर्णकार	चार दूकानों में एक कोआपरेटिव को व एक स्वर्णकार को अन्य प्रार्थियों के मुकाबले प्राथमिकता दी गयी। फतेहपुर में शक्कर के दूकानदार अधिक होने की वजह से दो दुकानें शक्कर विक्रेताओं को इस शर्त पर दी गयीं कि वह शक्कर की दूकान का त्यागपत्र दे देंगे।
शहर बिन्दकी	१-श्री बाल कृष्ण गुप्ता .. २-श्री मु० इस्माइल .. ३-श्री राम भजन ..	श्री बालकृष्ण गल्ले के पुराने व्यवसायी व आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण उपयुक्त पाये गये। श्री मुहम्मद इस्माइल भी अन्य प्रार्थियों से अधिक उपयुक्त समझे गये। श्री राम भजन को पहले बाबूलाल के साथ में दूकान दी गयी थी, वह उनके नाम से अब अलग दे दी गयी।
शहर जहानाबाद	१-श्री पीर मुहम्मद .. २-श्री द्वारिका प्रसाद .. जगदीश प्रसाद ..	यह दोनों व्यक्ति अन्य प्रार्थियों से अधिक उपयुक्त पाये गये आर्थिक दृष्टिकोण आदि से।

उन न्याय पंचायतों में १२ नियुक्ति की गयी जहां ९-३-६४ तक गल्ला नहीं उठाया गया

नाम ब्लाक	नाम पंचायत	नाम दूकानदार	कैफियत
असोथर	सरवल	१-प्रताप सिंह	अन्य कोई प्रार्थी नहीं था
तेलीयानी	मोहनखेड़ा	२-जूनियर हाई स्कूल, भदवा	अन्य प्रार्थियों से शिक्षा संस्था को प्राथमिकता दी गई।
अमोली	डिघरवा	श्री मिश्रीलाल	अन्य प्रार्थी नहीं था।
खजुहा	सुतलानगढ़	श्री ओमप्रकाश कृशनचन्द्र	केवल दो प्रार्थी आर्थिक दृष्टिकोण आदि से उपयुक्त पाये गये।
हथगांम	पट्टीशाह	श्री रमाशंकर	अन्य प्रार्थी नहीं था
	हरावतपूर	श्री राम सजीवन	,, ,,
	चतुर्भुजपुर		
बिजयीपुर	एवडला	श्री यशवन्तसिंह	,, ,,

दस हजार से अधिक आबादी वाली न्याय पंचायतों में जो नियुक्ति हुई

नाम ब्लाक	नाम पंचायत	नाम दूकानदार	कैफियत
मलवां	जाफराबाद	श्री रामआसरे	अन्य प्रार्थियों में आर्थिक दृष्टिकोण आदि से उपयुक्त समझे गये ।
खागा	पवली	श्री लल्लू प्रसाद	केवल दो प्रार्थियों में यही उपयुक्त समझे गये ।
असोथर	कोडार	श्री जगन्नाथ प्रसाद	अन्य कोई प्रार्थी नहीं था ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४५ पर)

सन् १९६१-६२, १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में नत्रजनिक (नाइट्रोजनस) तथा फास्फेटिक उर्वरकों के वितरण करने के लक्ष्य तथा पूर्ति का विवरण

वर्ष	नत्रजनिक उर्वरक (लाख टनों में)		फास्फेटिक उर्वरक (लाख टनों में)	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
१९६१-६२ ..	५.११५	१.५४७	१.०३०	०.२६०
१९६२-६३ ..	४.६३८	२.०६०	०.७००	०.३२६
१९६३-६४ .. (दिसम्बर ६३ तक)	४.००	२.६६२	०.९००	०.४१७

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५३ पर)

No. A—2273/VII—41W/58

FROM

SRI, L. C. JAIN, I. C. S.,
MUKHYA SACHIV TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

To

All DISTRICT MAGISTRATES,
UTTAR PRADESH.

Dated—Lucknow July 31, 1961.

Nyaya (Ka) Vib ha

SIR,

I am directed to say that in the Inter-State Waqfs Conference of the representatives of the Central and State Governments and Waqfs Boards etc. held in December, 1960 at New Delhi, one of the items for discussion was the action taken or proposed to be taken in pursuance of the Public waqfs (Extension of Limitation) Act, 1959, for recovery of lost or illegally occupied waqf property.

2. The Conference felt that there were some instances in which certain departments of Government in some States had taken possession of waqf property. It was also felt that the administrative control over Graveyards, Takias, Tharis, Mosques, Imambaras, Dargahs, Karbalas etc. had been given to Panchayats in some State and these Panchayats wrongfully utilized these sites for their own purposes, changing the character of the waqf properties. The Conference, therefore, recommended that effective steps should be taken to get all such places cleared of encroachments and trespasses and to stop further encroachment, trespass or desecration ot places of sanctity.

3. I am, therefore, to request that strong vigilance may please be exercised in respect of waqf properties in your district and deterrent action as provided under the Indian Penal Code should be taken whenever any case of desecration or forcible occupation of places of religious worship or santity is reported to you or comes to your notice.

Yours faithfully,
L. C. JAIN,
Mukhya Sachiv.

No. A—2273 (i)/VII—41W/58

Copy forwarded to the Secretary, Shia/Sunni Central Board of Waqfs with the request that whenever any case of desecration or forcible occupation of places of religious worship or sanctity comes to the notice of the Board, it may please be intimated to Government for necessary action in the matter.

By order,
(Sd.) jagmohan lal,
Upa Sachiv.

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५५ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६४ के ८वें सोमवार के लिये निर्धारित श्री मतोला सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ में दी हुई तालिका

तालिका

जिला कारागार, बांदा में १ जनवरी, सन् १९६४ से १२ फरवरी, १९६४ तक कैदियों व हवालातियों की संख्या का विवरण निम्नवत् है :—

कैदियों की कुल संख्या—	११५
( ) कत्ल में	१
(२) डकैती में	४
(३) चोरी में	६०
(४) फौजदारी में	१५
(५) अन्य जुर्म में	२६
हवालातियों की कुल संख्या—	१८७
(१) कत्ल में	२१
(२) डकैती में	१०
(३) चोरी में	१८
(४) फौजदारी में	२५
(५) अन्य जुर्म में	११३

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ७५६ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

नगरपालिका विभाग

शुद्धि-पत्र

लखनऊ, ३ फरवरी, १९६४

सं ४५-म (शु० पं०-१)/११-ग--१९-कार्य -५९-उत्तर प्रदेश गजट (भाग-३), दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ के हिन्दी पाठ में विज्ञप्ति संख्या ३६३-म (नि-४) (संशोधन-१)/११-ग-१९- कार्यों -५९, दिनांक २५ सितम्बर, १९६२ द्वारा प्रकाशित महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली के संशोधित नियम २८ के खंड (ख) की पंक्ति २ में शब्द "इस समय" के स्थान पर शब्द "उस समय" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,

हरीश चन्द्र सक्सेना,

सचिव।

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ ८२० पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४

उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय वर्गों की मोटर गाड़ियों द्वारा ले जाये जाने वाले माल पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह धारा और धारा २ तथा ३२ तुरन्त प्रचलित होंगी और शेष उपबन्ध उस दिनांक या उन दिनांकों से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

परिभाषाएं

२—जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में —

(क) "कृषि उपज" का तात्पर्य गन्ना, खाने योग्य तिलहन और ऐसी अन्य उपज से है जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तत्वर्ष निर्दिष्ट करें ;

(ख) "माल" के अन्तर्गत पशुधन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है —

(१) मनुष्यों के शव;

(२) किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों का व्यक्तिगत सामान जो उसी गाड़ी द्वारा ले जाया जाय, यदि परिचालक (आपरेटर) द्वारा ऐसे सामान के ले जाये जाने के लिये कोई शुल्क न लिया जाय;

ऐक्ट संख्या ६, १८९८

(३) इंडियन पोस्ट आफिस ऐक्ट, १८९८ में यथा परिभाषित डाक के थैले ;

(४) परिवहन के लिए किसी रेलवे को पारेषित माल यदि ऐसा माल रेलवे की अपने मोटर गाड़ियों द्वारा ले जाया जाय अथवा यदि इस प्रकार माल ले जाने का प्रबन्ध रेलवे द्वारा, दो रेलवे स्टेशनों के बीच में एकीकृत रेल वहन के भाग के रूप में, सहायक सड़क व्यवस्था द्वारा किया जाय ;

(५) खाद्यान्न ;

(६) चारा, जिसके अन्तर्गत बिनौले, खली और अन्य सांद्रित (concentrates) भी हैं,

(७) दूध ;

(८) खाद और उर्वरक ;

(९) कृमिनाशक औषधियां (insecticides)

(१०) हल और कृषि–कर्म के ऐसे उपकरण, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करें ;

(११) कृषि उपज, यदि वह ऐसी जुड़वां गाड़ी (articulated vehicle) या किसी ऐसे अन्य ट्रैक्टर ट्रेलर के संयोजन से ले जायी जाय जो ऐसी उपज के स्वामी का हो :

(१२) वस्तुएं जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सम्पत्ति हों ;

(१३) माल जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान में मार्गस्थ हो; या

(१४) औजार और सज्जा (equipment) जो साधारणतया गाड़ी को चलाने के लिये प्रयुक्त किए जाते हों ।

(ग) "माल वाहन" का तात्पर्य सार्वजनिक माल वाहन या निजी माल वाहन से है;

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(घ) "परिचालक" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम माल वाहन के अनुज्ञापत्र में उस वाहन के अनुज्ञा पत्र धारी के रूप में दर्ज हो और जब कोई ऐसा अनुज्ञा पत्र न हो तो उस व्यक्ति से है जिसके नाम में वाहन, मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, और इसके अन्तर्गत धारा २० और २३ में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय माल वाहन का प्रभारी हो;

(ङ) 'नियत' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(च) "निजी माल वाहन" का तात्पर्य सार्वजनिक माल वाहन से भिन्न किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो माल ले जाने के प्रयोग के लिए निर्मित या अनुकूलित हो या किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो लेकिन उसका प्रयोग केवल माल या यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाने के लिए किया जाय, और ऐसा माल ऐसे वाहन के स्वामी या परिचालक की सम्पति हो और उसका ले जाया जाना ऐसे स्वामी या परिचालक के व्यवसाय के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो, जो परिवहन व्यवसाय न हो या किसी ऐसे वाहन से है जो मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४२ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाय और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत—

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(१) मोटर कार; या

(२) ऐसी मोटर गाड़ी जो स्थानीय प्राधिकारी या सरकार के स्वामित्व में हो

नहीं है ;

(छ) "सार्वजनिक माल वाहन" का तात्पर्य माल ले जाने के प्रयोग के लिए निर्मित या अनुकूलित किसी मोटर गाड़ी से है या किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो, लेकिन उसका प्रयोग किराये पर अथवा पारितोषिक ले कर केवल माल या यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाने के लिए किया जाय और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत मोटर कैब नहीं है;

(ज) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(झ) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन लगाये गये कर से है और इसके अन्तर्गत धारा ६ के अधीन भुगतान की गयी या भुगतान किये जाने के लिए सम्मत एकमुश्त धनराशि भी है ;

(ञ) "कर अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजननों के लिए सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों के लिए कर अधिकारी नियुक्त करे, और इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ के अधीन नियुक्त कर अधिकारी भी है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भी क्षेत्र के लिए एक से अधिक अधिकारियों को कर अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकती है, और

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९६२

(ट) "पद जुड़वा गाड़ी" "मोटर कैब", "मोटर कार", "मोटर गाड़ी" और "अनुज्ञा पत्र" के वही अर्थ होंगे जो मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में पद 'articulated vehicle','Motor cab''motor car' 'motorvehicle, 'permit' के लिए दिये गये हों।

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

सार्वजनिक माल वाहनों द्वारा ले जाये जाने वाले माल पर कर का लगाया जाना

३—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा के प्रचलित होने के दिनांक से और उसके पश्चात् सार्वजनिक माल वाहन में सड़क द्वारा माल ले जाये जाने वाले सभी माल पर उस दर से कर लगाया जायगा जो राज्य में माल को इस प्रकार ले जाये जाने के लिए देय भाड़े के पांच प्रतिशत् के बराबर हो और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा।

स्पष्टीकरण १—यदि माल सार्वजनिक माल वाहन द्वारा राज्य के बाहर के किसी स्थान से लाया जाय अथवा किसी स्थान को ले जाया जाय तो राज्य के भीतर माल ढोने के लिए देय भाड़ा वह धनराशि समझी जायगी जिसका अनुपात देय कुल भाड़े से वही हो जो राज्य के भीतर की दूरी का उस कुल दूरी से है जिसके लिए ऐसे वाहन द्वारा माल ले जाया जाय।

स्पष्टीकरण २—यदि कोई भाड़ा देय न हो या देय भाड़ा उस धनराशि से कम हो जिसकी परिगणना ऐसी दरों पर की गयी हो जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित की जाय, जो मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन निश्चित भाड़े की अधिकतम दर के अस्सी प्रतिशत् से अधिक न होगी, तो इस प्रकार परिगणित धनराशि देय भाड़ा समझी जायगी।

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(२) कृषि उपज, खनिज, खनिज धातुक और पैट्रोलियम पदार्थों पर छोड़कर राज्य सरकार उप धारा (१) के अधीन लगाये जाने वाले कर की दर को, गजट में विज्ञप्ति द्वारा बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वह उक्त उपधारा में निर्दिष्ट भाड़े के पन्द्रह प्रतिशत् से अधिक हो जाय।

निजी माल वाहनों द्वारा ले जाये जाने वाले माल पर कर का लगाया जाना

४—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस धारा के प्रचलित होने के दिनांक से और पश्चात राज्य में माल वाहन में सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले सभी माल पर उस दर से कर लगाया जायेगा जो भाड़े की उस धनराशि के पांच प्रतिशत के बराबर हो जिसकी परिगणना ऐसी दरों पर की गयी हो जो राज्य सरकार सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित की जाय किन्तु ये दरें मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन सार्वजनिक गाड़ियों के लिए निश्चित भाड़ों की अधिकतम दर के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगी।

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(२) कृषि उपज, खनिज, खनिज धातुक और पैट्रोलियम पदार्थों को छोड़ कर राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन लगाये जाने वाले कर की दर को गजट में विज्ञप्ति द्वारा बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वह उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिकतम भाड़े के पचहत्तर प्रतिशत पर परिगणित धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो जाय ।

अंकों का पूर्णांकि करना

५—कर की धनराशि की संगणना करने में रुपये के भाग को जो पांच नये पैसे से कम हो या जो पांच नये पैसे का गुणक न हो, यथास्थिति पांच नये पैसे या पांच नये पैसे का अगला उच्च गुणक कर दिया जायगा ।

अन्य राज्यों के साथ पारस्परिक अनुबंधों की दशाओं में कर

६—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि उत्तर प्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार के बीच सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान के संबंध में कोई पारस्परिक अनुबन्ध किया जाय तो कर का आरोपण और उसका भुगतान पारस्परिक अनुबन्ध की शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार आरोपित कर उस कर से अधिक न होगा जो अन्यथा इस अधिनियम के अधीन लागाया गया होता ।

कर से मुक्ति

७—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति आदेश द्वारा ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, तथा ऐसी अवधि के लिये जो आदेश में निर्दिष्ट की जायें—

(क) भारत की प्रतिरक्षा के लिये या शैक्षिक, चिकित्सकीय, लोकोपकारी या अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ले जाये जाने वाले किसी माल को करारोपण से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है ;

(ख) धारा १०, १६, २०, २१, २२ और धारा २६ की उपधारा (१) के खंड (ग) के सभी अथवा किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से—

(१) किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर चलने वाले माल वाहन को मुक्त कर सकती है ;

(२) किसी ऐसे माल वाहन को मुक्त कर सकती है जिसके संबंध में कर की धनराशि के बदले में एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने की धारा ९ के अधीन अनुबन्ध हो गया हो ।

कर की वसूली

८—इस अधिनियम द्वारा की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए—

(क) सार्वजनिक माल वाहन द्वारा ले जाये जाने वाले माल के संबंध में लगाया गया कर, वाहन के परिचालक द्वारा माल के पारेषक से वसूल किया जायगा और उसका भुगतान राज्य सरकार को नियत रीति से किया जायगा ; और

(ख) निजी माल वाहन द्वारा ले जाये जाने वाले माल के सम्बन्ध लगाया गया कर परिचालक द्वारा राज्य सरकार को नियत रीति से भुगतान किया जायगा ।

एक मुश्त धनराशि अनुबन्ध

९—इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को ऐसी अवधि के लिये जो सम्मत हो, देय हो, एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने के लिये सहमत हो सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर की दर में कोई ऐसा परिवर्तन जो अनुबन्ध के दिनांक के पश्चात् प्रचलित हो, अनुबन्ध की अवधि के उस भाग के संबंध में जिसमें परिवर्तित दर प्रचलित रहे, सम्मत एकमुश्त धनराशि में आनुपातिक परिवर्तन किया जायगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "कर की दर में परिवर्तन" के अन्तर्गत यथास्थिति, धारा ३ की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण २ या धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निश्चित दरों में परिवर्तन भी है ।

विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना

१०—(१) परिचालक प्रत्येक ऐसे माल वाहन के संबंध में जो उसके अधिकार में हो, कर-अधिकारी या नियत प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तथा ऐसे अन्तरालों पर जो नियत किये जायें, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(२) यदि कोई परिचालक, इस अधिनियम के अधीन अनुमत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न करे तो, कर-अधिकारी, उसको लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकता है कि वह (परिचालक) अपने द्वारा देय कर की धनराशि के अतिरिक्त, प्रत्येक माल वाहन के संबंध में विवरणी प्रस्तुत न करने के प्रत्येक दिन के लिये शास्ति स्वरूप १० रुपये से अनधिक धनराशि दे :

प्रतिबन्ध यह है कि भुगतान करने के लिये इस प्रकार निदेशित शास्ति प्रति माल वाहन एक सौ रूपये से अधिक न होगी ।

कर का भुगतान प्रत्येक महीने सरकारी कोषागार में किया जाना ।

११—धारा १० के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणियों के अनुसार किसी महीने के लिये देय कर का भुगतान परिचालक द्वारा सरकारी कोषागार या ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर किया जायेगा जो नियत किया जाय और ऐसे भुगतान की रसीद कर-अधिकारी या नियत प्राधिकारी को ऐसे दिनांक तक भेजी जायगी जो नियत की जाय ।

कर निर्धारण

१२—(१) यदि कर-अधिकारी का उस सामग्री के आधार पर जो उसके सामने हो यह समाधान हो जाय कि धारा १० के अधीन विवरणी ठीक और पूर्ण है, तो वह तदनुसार उस अवधि के लिये, जिसके संबंध में विवरणी हो, परिचालक द्वारा देय कर की धनराशि निर्धारित करेगा ।

(२) यदि किसी माल वाहन के संबंध में परिचालक द्वारा किसी महीने या उसके भाग के लिये कोई विवरणी प्रस्तुत न की गयी हो, अथवा यदि किसी माल वाहन के संबंध में परिचालक द्वारा किसी महीने या उसके भाग के लिये प्रस्तुत की गयी विवरणी कर-अधिकारी को अशुद्ध या अपूर्ण प्रतीत हो, तो वह प्रथमोक्त दशा में परिचालक को अपना अभ्यावेदन देने का और उत्तरोक्त दशा में प्रस्तुत की गयी विवरणी की शुद्धता और पूर्णतः सिद्ध करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् उस कर की धनराशि निर्धारित करेगा जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को उक्त महीने या उसके भाग के लिये देय हो ।

(३) उपधारा (२) के अधीन निर्धारित धनराशि या उसकी शेष धनराशि जैसी भी दशा हो, का भुगतान परिचालक द्वारा सरकारी कोषागार या ऐसे नियत प्राधिकारी को किया जायगा जो नियत किया जाय और ऐसे भुगतान की रसीद कर-अधिकारी या नियत प्राधिकारी को उक्त कर निर्धारण के तीस दिन के भीतर भेज दी जायगी ।

कर का निर्धारण से छूट जाना

१३—यदि किसी महीने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन लगाया जाने वाला कर किसी कारणवश निर्धारण से पूर्णतः या अंशतः छूट गया हो तो कर-अधिकारी, उस महीने की समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय परिचालक को नोटिस देने और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो उक्त अधिकारी आवश्यक समझे छूटा हुआ कर निर्धारित कर सकता है ।

कर का भुगतान न करने पर शास्ति

१४—यदि पूर्वोक्त धाराओं के उपबन्धों के अनुसरण में किसी माल वाहन के संबंध में किसी महीने या उसके भाग के लिये राज्य सरकार को देय सम्पूर्ण कर या उसके किसी भाग का भुगतान समय पर न किया जाय तो कर-अधिकारी परिचालक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण प्रकट करने का अवसर देने के पश्चात् इस प्रकार देय कर के अतिरिक्त शास्ति भी आरोपित कर सकता है जो इस प्रकार देय कर की धनराशि के पचीस प्रतिशत से अधिक न होगी ।

कर और शास्ति के बकाया की वसूली

१५—(१) इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर या शास्ति का बकाया मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा ।

(२) कर उस माल वाहन पर, जिसके सम्बन्ध में वह देय हो, और उसके उपसाधनों पर भी, प्रथम भार होगा ।

कर आदि का भुगतान किये बिना माल वाहन को चलाने का निषेध

१६—(१) यदि किसी माल वाहन के संबंध में इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के अधीन देय कर या शास्ति का भुगतान उसके देय हो जाने के पश्चात् पन्द्रह दिन से अधिक समय तक न किया गया हो तो वह माल वाहन राज्य में किसी सार्वजनिक स्थान पर उस समय तक प्रयुक्त न किया जायगा जब तक कि उक्त सम्पूर्ण कर या शास्ति, जैसी भी दशा हो, का भुगतान न कर दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कर निर्धारण या शास्ति आरोपण के विरुद्ध कोई अपील विचाराधीन हो तो अपीलीय प्राधिकारी उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी माल वाहन को ऐसी अवधि के लिये, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाय, इस उपबन्ध के प्रवर्तन से मुक्त कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके प्रयुक्त किया गया कोई माल वाहन-कर अधिकारी द्वारा तब तक के लिये अभिगृहीत किया जा सकता है और रोका जा सकता है जब तक कि सम्पूर्ण कर या शास्ति, जैसी भी दशा हो, का भुगतान न कर दिया जाय ।

धनराशि की वापसी

१७—नियत प्राधिकारी, तदर्थ प्रार्थना करने वाले परिचालक को नियत रीति से ऐसी धनराशि वापस कर देगा जो उस परिचालक ने इस अधिनियम के अधीन देय पायी गयी कर या शास्ति की धनराशि के अतिरिक्त अदा की हो ।

अपील

१८—(१) राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के लिये एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी ।

(२) अपीलीय प्राधिकारी की निम्नलिखित के विरुद्ध अपील की जा सकेगी ।

(क) धारा १० की उपधारा (२) के अधीन शास्ति भुगतान करने के लिए निदेश;

(ख) कर-अधिकारी द्वारा दिया गया कर-निर्धारण का आदेश और

(ग) धारा १४ के अधीन शास्ति का आरोपण :

प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी तब तक अपील ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाए कि निर्धारित कर का धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि परिचालक निर्धारित कर देने में असमर्थ है तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे कर या शास्ति का भुगतान हुये बिना, अथवा ऐसे शर्तों पर जो वह उचित समझे, अपील ग्रहण कर सकता है ।

(३) अपील उस आदेश के दिनांक से साठ दिन के भीतर की जायगी जिसके विरुद्ध वह की जा रही हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यह अवधि, समुचित कारण बताये जाने पर, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकती है ।

(४) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

(५) इस धारा के अधीन अपील कर दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा ।

रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र देना

१९—(१) प्रति माल वाहन के लिये दो रुपये के हिसाब से शुल्क का भुगतान किये जाने पर रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र नियत रीति से किसी भी ऐसे परिचालक को दिया जायगा जो उसके लिये नियत प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे ।

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(२) रजिस्ट्री का प्रत्येक ऐसा प्रमाण-पत्र बिना नवीकरण के तब तक बंध होगा जब तक कि वह रद्द या निलम्बित न हो जाय ।

(३) रजिस्ट्री का कोई भी प्रमाण-पत्र उस माल वाहन के संबंध में नहीं दिया जायगा जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो और यदि उस ऐक्ट के अधीन ऐसी कोई रजिस्ट्री निलम्बित या रद्द कर दी जाय तो उस माल वाहन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन दिया गया रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र भी, यथास्थिति, निलम्बित या रद्द समझा जायगा ।

(४) यदि परिचालक, जिसे उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, अपना व्यवसाय हस्तान्तरित कर दे अथवा उसे जारी न रखे या बन्द कर दे तो वह उसकी सूचना, ऐसा करने के तीस दिन के भीतर, नियत प्राधिकारी को देगा और उक्त प्राधिकारी व्यवसाय का इस प्रकार हस्तान्तरण करने, जारी न रखने या बन्द करने के दिनांक से रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र रद्द कर देगा ।

(५) (क) परिचालक की मृत्यु हो जाने पर कोई व्यक्ति, जिसका माल वाहन पर कब्जा हो जाय, परिचालक की मृत्यु के साठ दिन के भीतर ऐसी मृत्यु की सूचना नियत प्राधिकारी को देगा ।

(ख) तदुपरान्त नियत प्राधिकारी प्रमाण-पत्र को उस व्यक्ति को संक्रमित कर देगा जिसका माल वाहन पर कब्जा हो जाय ।

(६) यदि परिचालक माल वाहन हस्तान्तरित कर दे तो हस्तान्तरिती, उस संबंध में हस्तान्तरकर्ता के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस कर और शास्ति का, यदि कोई हो, जिसका भुगतान हस्तान्तरकर्ता ने हस्तान्तरण के दिन तक न किया हो, इस प्रकार भुगतान करेगा, मानो वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत परिचालक हो और हस्तान्तरिती रजिस्ट्री का नया प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना उक्त माल वाहन को नहीं चलायेगा ।

रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र के बिना माल वाहन को चलाने का निषेध

२०—कोई भी परिचालक राज्य में माल वाहन तब तक नहीं चलायेगा जब तक कि उसके पास उस वाहन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री का वैध प्रमाण-पत्र न हो, या जब तक ऐसा प्रमाण-पत्र स्वीकृत न हो जाय, ऐसी रसीद न हो जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि गाड़ी के सम्बन्ध में रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र दे दिया गया है और उसके लिये शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

लेखे और रजिस्टर रखना

२१—प्रत्येक परिचालक जो कर का देनदार हो अपने मालवाहन के सम्बन्ध में ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो नियत की जाय लेखे तथा रजिस्टर रखेगा जिसमें ले जाये गये माल और उसके सम्बन्ध में वसूल किये गये भाड़े तथा कर यदि कोई हों, का उल्लेख किया जायगा।

विवरण-पत्रों आदि का देना

२२—प्रत्येक परिचालक, नियत प्राधिकारी को अपने माल वाहन के सम्बन्ध में ऐसे विवरण-पत्र तथा अन्य सूचना ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से देगा जो नियत प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।

माल को ले जाये जाने का निषेध

२३—(१) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, राज्य में सार्वजनिक माल वाहन में न तो कोई माल तब तक से लाया जायगा और न परिचालक उसे ले जाये जाने की अनुमति देगा जब तक कि उसके लिए नियत प्रपत्र में एक रसीद माल के पारेषक को जारी न कर दी गयी हो, और उसकी एक प्रतिलिपि माल ले जाने वाले वाहन के ड्राइवर को दे दी गयी हो।

(२) सार्वजनिक माल वाहन का ड्राइवर, गाड़ी में माल ले जाते समय, उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रतिलिपि और ऐसे अन्य पत्रादि या अभिलेख, जो नियत किये जायें, अपने पास रखेगा और नियत प्राधिकारी के धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन निदेश पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

प्रवेश करने, निरीक्षण करने और तलाशी लेने आदि का अधिकार

२४—(१) माल वाहन का ड्राइवर, नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर वाहन को रोकेगा या रोके रखेगा ताकि नियत प्राधिकारी गाड़ी में रखे जाने के लिए अपेक्षित लेख्यों तथा अभिलेखों की जांच और उनका सत्यापन कर सके तथा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर आरोपित किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन कर सके।

(२) जब राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत उसके किसी राजपत्रित अधिकारी को यह सन्देह करने का समुचित कारण हो कि माल वाहन में उससे अधिक माल ले जाया जा रहा है जो गाड़ी में रखे अभिलेखों में निर्दिष्ट है तो वह ड्राइवर या वाहन के किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तौलने के प्रयोजनों के लिए निकटतम उपलभ्य तौल-कांटे पर ले जाये और ड्राइवर तथा ऐसा अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, उस आदेश का पालन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वाहन को उसके मार्ग से बीस किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थान पर ले जाने का आदेश न दिया जायगा और इस उपधारा के अधीन की गयी कार्यवाही का अभिलेख ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखा जायगा जो नियत किये जायें।

(३) नियत प्राधिकारी, यदि वह कर -निर्धारण करने अथवा इस बात की जांच करने के प्रयोजन के लिये कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, आवश्यक समझे तो किसी ऐसे स्थान में जहां पर सामान्यतः परिचालक माल वाहन या अपने व्यवसाय से सम्बद्ध लेखा पुस्तिकाओं अथवा अन्य अभिलेख रखता हो, प्रवेश कर सकता है,

उसका निरीक्षण कर सकता है या उसकी तलाशी ले सकाता है और किसी लेख्य पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकता है या किन्ही लेखों या लेख्यों की प्रतिलिपि या उद्धरण ले सकता है या लिवा सकता है ।

ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(४) उपधारा (३) के अधीन सभी तलाशियां कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के उपबन्धों के अनुसार ली जायेंगी ।

(५) उपर्युक्त किन्हीं उपधाराओं के अधीन कार्य करने वाला कोई अधिकारी या प्राधिकारी किसी लेख्य का अभिग्रहण भी कर सकता है और जब किसी लेख्य का इस प्रकार अभिग्रहण किया जाय तो उसकी रसीद उस व्यक्ति को दे दी जायगी जिसके कब्जे से लेख्य अभिगृहीत किया जाय ।

(६) उपधारा (१) के अधीन कार्य करने वाला नियत प्राधिकारी ऐसी बहीं या ऐसे अन्य विशिष्ट चिह्न धारण करेगा जो नियत किया जाय ।

साक्ष्य लेने का अधिकार, आदि

२५—इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाला कर-अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को, कर निर्धारण करने या अपील का निस्तरण करने, जैसी भी दशा हो, के प्रयोजन के लिए वही अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्—

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना;

(ख) किसी व्यक्ति का शपथ या प्रतिज्ञान पर बयान लेना;

(ग) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; और

(घ) किसी साक्षी का बयान लेने या लेखे की जांच करने के लिए कमीशन जारी करना;

ऐक्ट संख्या ६, १८६०

और ऐसे कर निर्धारण या अपील के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही इंडियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में और उक्त ऐक्ट की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिए "न्यायिक कार्यवाही" होगी ।

अपराध और दण्ड

२६—(१) यदि कोई व्यक्ति—

(क) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के भुगतान से कपटपूर्वक बचे या बचने दे; या

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित किसी विवरण-पत्र, विवरणी, या सूचना को निश्चित समय के भीतर जान-बूझ कर प्रस्तुत न करे; या

(ग) धारा २० में उल्लिखित रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र या रसीद प्राप्त किये बिना किसी माल को माल वाहन से ले जाय या ले जाने दे; या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी विवरण-पत्र अथवा अपने द्वारा रखी गयी किसी लेखा-पुस्तिका या रजिस्टर में कपटपूर्वक कोई गलत प्रविशिष्ट करे या होने दे या उसमें से कोई प्रविशिष्ट कपटपूर्वक छोड़ दे या छोड़ने दें; या

(ङ) धारा २४ के अधीन किसी अधिकारी को प्रवेश करने, निरीक्षण करने या तलाशी लेने अथवा किसी अन्य कृत्य के निर्वहन करने में बाधा डाले; या

(च) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों या इस अधिनियम अथवा उक्त नियमों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन करे,

तो वह सिद्ध-दोष पाये जाने पर अर्थ-दण्ड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की दशा में, प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रहे पचीस रुपये से अनधिक अतिरिक्त अर्थ-दण्ड का भागी होगा ।

(२) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष पाये जाने के बाद इस अधिनियम के अधीन अपराध करता है तो वह प्रत्येक ऐसे अनुवर्ती अपराध के लिए अर्थ-दण्ड का भागी होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, और अपराध जारी रहने की दशा में उपधारा (१) में वर्णित अतिरिक्त अर्थ-दण्ड का भागी होगा ।

अपराधों का संज्ञान

२७—जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में परिवाद प्रस्तुत न किया जाय तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा और कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, किसी ऐसे अपराध की सुनवाई न करेगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

२८—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय तो कम्पनी के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति भी, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के व्यवसाय को चलाने के निमित्त कम्पनी का प्रभारी रहा हो तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार उसे दण्ड दिया जा सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में व्यवस्थित दण्ड का भागी न होगा, जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक (डाइरेक्टर), प्रबन्धक (मैनेजर), सचिव (सेक्रेटरी) या अन्य अधिकारी की सहमति या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है अथवा अपराध का कारण उसकी ओर से कोई उपेक्षा है, तो वह निदेशक, प्रबन्धक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी, और तदनुसार उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (Association) भी है, और

(ख) "फर्म" के संबंध में निदेशक का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है ।

अपराधों के संबंध में समझौता करने का अधिकार

२९—(१) नियत प्राधिकारी किसी भी समय धारा २६ के अधीन दण्डनीय अपराध करने वाले किसी व्यक्ति से, ऐसे अपराध के समझौते के रूप में, एक हजार रुपये से या अन्तर्गस्त कर की धनराशि की दुगुनी धनराशि से, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो, अनधिक धनराशि, स्वीकार कर सकता है ।

(२) ऐसी धनराशि का भुगतान किये जाने पर, जो उपधारा (१) के अधीन स्वीकार की जाय, नियत प्राधिकारी, जहां आवश्यक हो, न्यायालय को इस बात की सूचना देगा कि अपराध के संबंध में समझौता हो गया है और तत्पश्चात् उक्त अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध धारा २६ के अधीन कोई और कार्यवाही न की जायगी और उक्त न्यायालय अभियुक्त को उन्मुक्त कर देगा ।

३०—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के लिए राज्य सरकार के किसी सेवक के विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन संस्थित नहीं किया जायगा । इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही का संरक्षण

३१—इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कर निर्धारण को रद्द करने या उसमें परिष्कार करने के लिए दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत न किया जायगा । दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक

३२—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है । नियम बनाने का अधिकार

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी एक विषय की व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात्

(क) वह रीति जिससे सार्वजनिक माल वाहन के परिचालक द्वारा कर वसूल किया जायगा ;

(ख) वह रीति जिससे इस अधिनियम के अधीन कर और शास्ति का भुगतान किया जायगा ;

(ग) कर की धनराशि के बदले में स्वीकृत की जाने वाली एकमुश्त धनराशि अवधारित करने के सिद्धान्त और उसका भुगतान करने की रीति;

(घ) धारा १० के अधीन विवरणी का प्रपत्र और वह रीति जिससे और वे कालान्तर जिनमें वह दी जायगी ;

(ङ) वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसे कर का भुगतान किया जायगा और वह दिनांक जिसके पूर्व और वह प्राधिकारी जिसे धारा ११ के अधीन इस प्रकार भुगतान किये जाने की रसीद भेजी जायगी ;

(च) मांग की नोटिस का प्रपत्र और वह प्राधिकारी जो उसे जारी करेगा;

(छ) धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन माल वाहन के अभिग्रहण और उसे रोक रखने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ज) वह रीति जिससे धारा १७ के अधीन वापस की जाने वाली धनराशि की मांग की जायगी और वह वापस की जायेगी;

(झ) वह रीति जिससे इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है;

(ञ) धारा १९ के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र देने की रीति;

(ट) धारा २१ के अधीन लेखे का प्रपत्र और रजिस्टर;

(ठ) धारा २३ के अधीन रसीदों का प्रपत्र;

(ङ) वे शर्तें जिन पर धारा २३ द्वारा अपेक्षित रसीद के बिना माल सार्वजनिक माल वाहन द्वारा ले जाया जा सकता है;

(च) माल वाहन में ले जाए जाने वाले माल के संबंध में अभिलेख रखना;

(ण) धारा २४ की उपधारा (६) के अधीन अपेक्षित वर्दी और चिन्ह;

(त) तौलने के प्रयोजनों के लिए माल वाहन को ले जाने की प्रक्रिया और वह प्रपत्र जिसमें तथा वह रीति जिससे उसके संबंध में अभिलेख रखा जायगा ;

(थ) इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य के निर्वहन में किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(द) इस अधिनियम के अधीन नोटिसें और आदेश तामील करने की रीति; और

(ध) ऐसा कोई अन्य विषय जिसके लिए नियम बनाये जाने हैं या बनाये जा सकते हैं ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

उद्देश्य और कारण

सुनियोजित विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया जाता है कि माल वाहनों द्वारा माल ले जाये जाने पर कर लगाया जाय । सार्वजनिक माल वाहनों की दशा में कर की दर देय भाड़े की ५ प्रतिशत होगी और राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह इसे बढ़ाकर १५ प्रतिशत तक कर दे । परिचालक (operator) इस कर को उन व्यक्तियों से वसूल करेंगे जो ले जाने के लिए माल दें और इसका भुगतान वे समय-समय पर राज्य सरकार को करेंगे । निजी माल वाहनों द्वारा माल ले जाने पर कुछ भिन्न दरों से लगाया जायगा । एक मुश्त धनराशि का भुगतान करने की भी व्यवस्था की गयी है ।

२—कर वंचन की सम्भावनाओं को कम करने और अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए परिचालकों की रजिस्ट्री की भी व्यवस्था की गयी है ।

३—तदनुसार विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है ।

मुजफ्फर हसन,
परिवहन मंत्री ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६३ को प्रचलित करने के संबंध में वित्तीय उपाशयों का ज्ञापन-पत्र

विधेयक के खंड २ के उपखंड (ञ) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा, विधेयक के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों के लिए एक से अधिक "कर-अधिकरी" नियुक्त करे और उसी के खंड १८ में राज्य सरकार को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। प्रस्तावित विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर उसके उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति में लगभग ४,४७,००० रुपये का आवर्तक व्यय होगा। लगभग ९०,००० रुपये का अनावर्तक व्यय भी संकल्पित है।

मुजफ्फर हसन,
परिवहन मंत्री।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६३ में दिये हुये ऐसे उपबन्धों के संबंध में ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६३ में कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें कुछ मात्रा में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान है। खंड ३२(१) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह सामान्यतया इस विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ और विशेषतया खंड ३२ के उपखंड (२) में दी गयी कतिपय बातों के लिए नियम बनाये। ये नियम विधेयक में, जैसा कि वह विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किया जाय, दिये गये शासी निदेशों को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुए उसमें उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त बनाये जायेंगे। विधान मंडल को इन नियमों का परीक्षण और उनमें परिष्कार करने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि खंड ३२ के उपखंड (३) में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे समस्त नियम विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करना चाहे।

उपर्युक्त खंड के अतिरिक्त, विधेयक के अन्य खंडों में भी प्रतिनिहित विधायन की प्रस्थापनायें हैं और उन्हें नीचे दिया गया है—

उपखंड (क) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह परिभाषा में प्रगणित उपज से भिन्न किसी उपज को विधेयक के प्रयोजनों के लिए "कृषि उपज" निर्दिष्ट करें जबकि उप खंड (ख) (१०) में कृषि-कर्म के उपकरणों को निर्दिष्ट करने के संबंध में इसी प्रकार की व्यवस्था की गयी है।

खंड ३ (१)—स्पष्टीकरण २—इसमें राज्य सरकार को उस भाड़े की दरों को विज्ञापित करने का अधिकार दिया गया है जो उन मामलों में कर के प्रयोजनों के लिए देय भाड़ा समझा जायेगा, जिन में कोई भाड़ा देय न हों या देय भाड़ा उस भाड़े से कम हो जिसकी परिगणना इस प्रकार विज्ञापित दरों पर की गयी हो।

खंड ४ (१)—निजी माल वाहनों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की व्यवस्था की गयी है।

खंड ३ (२) और ४ (२)—इन खंडों में राज्य सरकार को कर की दर उस धनराशि तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया है जो भाड़े के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो।

खंड ७—इसमें राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस खंड में उल्लिखित कतिपय प्रयोजनों के लिए या कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे—यदि माल वाहन अन्तर्राज्यिक मार्ग पर चलता हो या यदि किसी वाहन के संबंध में कर की धनराशि के बदले में एक मुश्त धनराशि का भुगतान करने का अनुबन्ध हो गया हो, माल वाहनों द्वारा ले जाये जाने वाले माल को कर से मुक्त करें।

खंड ८—इस खंड के उपखंड (क) और (ख) में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार माल वाहन के, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, परिचालक द्वारा वसूल किये गये कर का भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा।

खंड १० (१)—इस खंड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह नियमों द्वारा, उन प्रपत्रों को जिनमें और उस रीति को जिसके अनुसार तथा उन अन्तरालों को जिन पर विवरणी, कर-अधिकारी या नियत प्राधिकारी को माल वाहन के परिचालक द्वारा प्रस्तुत की जाय, नियत करे।

खंड ११—इस खंड में राज्य सरकार को सरकारी कोषागार के भिन्न, उस प्राधिकारी को, यदि कोई हो, जिसे धारा १० के अधीन विवरणियों के अनुसार देय कर का भुगतान किया जायेगा और उस प्राधिकारी को जिसे भुगतान की रसीद प्रेषित की जायेगी, नियत करने का अधिकार दिया गया है।

खंड १२ (३)—इस खंड में राज्य सरकार को सरकारी कोषागार से भिन्न उस प्राधिकारी को, जिसे इस खंड के उपखंड (२) के अधीन निर्धारित धनराशि या उसकी शेष धनराशि, जैसी भी दशा हो, का भुगतान किया जायेगा और उस प्राधिकारी को, जिसे ऐसे भुगतान की रसीद, प्रेषित की जायेगी, नियत करने का अधिकार दिया गया है ।

खंड १६ (१)—इस खंड में राज्य सरकार को नियमों द्वारा ऐसे मांग के नोटिस का प्रपत्र नियत करने का अधिकार दिया गया है जो किसी परिचालक पर उस दशा में तामील किया जायगा जब माल का भुगतान न किया गया हो ।

खंड १७—इस खंड में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार नियत प्राधिकारी तदर्थ प्रार्थना करने वाले परिचालक को ऐसी कोई धनराशि वापस कर सकता है जो उक्त परिचालक ने देय पायी गई धनराशि के अतिरिक्त अदा की हो ।

खंड १९—इस खंड में राज्य सरकार को वह रीति जिसके अनुसार प्रति माल वाहन के लिए २ रुपये के हिसाब से शुल्क का भुगतान करने पर रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र किसी भी ऐसे परिचालक को दिया जायगा जो उसके लिए प्रार्थना-पत्र दे, और वह प्राधिकारी, जिसे प्रमाण-पत्र देने, रद्द करने या उसका हस्तान्तरण करने का अधिकार होगा, नियत करने का अधिकार दिया गया है ।

खंड २१—इस खंड में राज्य सरकार को वे प्रपत्र जिसमें और वह रीति जिसके अनुसार परिचालक माल वाहनों के सम्बन्ध में लेने तथा रजिस्टर रखेगा जिसमें ले जाये गये माल और उस के सम्बन्ध में वसूल किये गये भाड़े तथा कर, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जायगा, नियत करने का अधिकार दिया गया है ।

खंड २३—इस खंड में राज्य सरकार को उस रसीद का प्रपत्र नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके द्वारा माल, परिवहन के लिए माल-वाहन में भेजा जायगा । इसमें राज्य सरकार को ऐसे अन्य कागज-पत्रों या अभिलेखों को भी नियत करने का अधिकार दिया गया है जो माल का परिवहन करते समय सार्वजनिक माल वाहन में ले जाने के लिए आवश्यक समझे जायं ।

खंड २४ (१)—इस उपखंड में राज्य सरकार को वह प्राधिकारी नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसे किसी माल-वाहन में प्रवेश करने का, उसका निरीक्षण करने और उसकी तलाशी लेने आदि के अधिकार प्राप्त होंगे ।

खंड २४ (२)—इस उपखंड में राज्य सरकार को वह प्रपत्र जिसमें और वह रीति जिसके अनुसार इस उपधारा के अधीन की गई कार्यवाही का अभिलेख रखा जायगा, नियत करने का अधिकार दिया गया है ।

खंड २४ (६)—इस उपखंड में राज्य सरकार को ऐसी वर्दी या ऐसा अन्य विशिष्ट चिन्ह नियत करने का अधिकार दिया गया है जो उपधारा (१) के अधीन नियत प्राधिकारी धारण करेगा ।

खंड २९—इस खंड में राज्य सरकार को वह प्राधिकारी नियत करने का अधिकार दिया गया है जो अधिनियम के अधीन अपराधों के सम्बन्ध में समझौता करने के लिए सक्षम हो ।

प्रतिनिहित विधायन की ये सभी प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं ।

मुजफ्फर हसन,
परिवहन मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३५ एल ए०—१९६४—८६० ।